खण्ड-277, अंक-5
सोमवार, 6 श्रावण, शक संवत् 1891
(28 जुलाई, 1969 ई0)

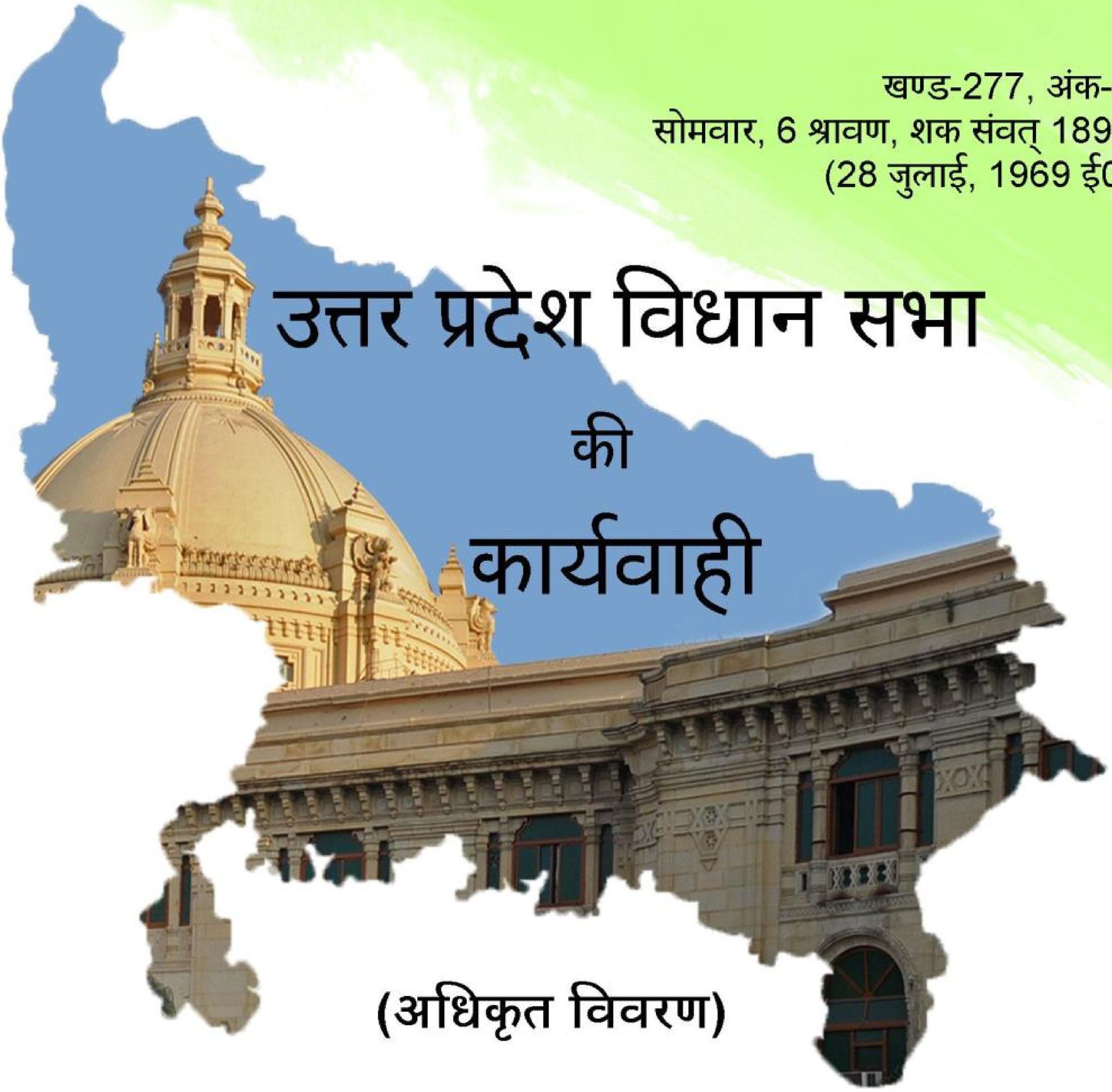

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 277 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	३८१–३८५
कार्य सूची न मिलने के सम्बन्ध में शिकायत	३८५
प्रश्नोत्तर	३८५–४०४
प्रश्नोत्तर सम्बन्धी आपत्तियां	४०४–४०५
श्री उदित नारायण द्वारा डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (निर्णय स्थगित)	४०५–४०९
१९६९–७० के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी)	४०९–४५०
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें	४५०
गोरखपुर जिले के ग्राम मुगलहा में लूटमार तथा झोपड़ियों को जलाने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	४५१–४५५
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा हजारों विद्यार्थियों का परीक्षाफल घोषित न करने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	४५५–४६१
सिंथेटिक्स ऐंड केमिकल्स लि०, बरेली, में बन्दी के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	४६२–४६५
नस्थियां	४६६–४७८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २८ जुलाई, १९६९

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में १०-३० बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३८१

अजब सिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्त राम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ़्फ़ार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पाण्डेय, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवैद्यनाथ, श्री
अशफ़ाक अहमद, श्री
अशरफ अली श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, राजा
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ए० सी० प्राइस, श्री
ओमप्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यान सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ़ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशवचन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)

गंगासिंह, श्री
गनेश दत्त बाजपेयी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासी राम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्रप्रताप नरायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह, श्री
चिरंजी लाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वरदयाल, डाक्टर (उर्फ मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
जैराम, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह, श्री
तिरमन सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिवेनी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारेलाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाई लाल, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री

प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
फिरंगी, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीरसिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीरसिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुस्तफ़ा कामिल किदवाई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोती लाल, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह, चौधरी
रघुवीर सिंह यादव, श्री
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजित राम पांडेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री

राम गोपाल संड, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी, श्री
राम निहोर, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामरतन, श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लखन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
रामसेवक, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर रफी खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, राजा
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकरप्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिवमहेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री

श्याम लाल रावत, श्री
श्यामसुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल, श्री
सूर्यनाथ, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुक्मसिंह, श्री (जिला आगरा—फतेहाबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा—पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

कार्यसूची न मिलने के सम्बन्ध में शिकायत

एक सदस्य—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आज मुझे एजेन्डा नहीं मिला। हम कार्यवाही में कैसे भाग ले सकते हैं?

श्री अध्यक्ष—

उत्तर तो आप कृपया पूरा हो जाने देते। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न बीच में नहीं उठता। एजेन्डा आप आफिस से भी ले सकते थे। आप (वित्त मंत्रीसे) कृपया उत्तर पूरा करें।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २८ जुलाई, १९६९

तारांकित प्रश्न

मैक्सिमम वेतन पाने वालों को आर्थिक सहायता देने की जानकारी

*१—श्री अवधेश कुमार (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रदेश के बहुत से कर्मचारी अपने वेतनक्रम की अन्तिम सीमा पर पहुंच कर पिछले पांच साल से अधिक अवधि से केवल मैक्सिमम वतन ही पा रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों को फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के फण्डामेंटल रूल्स के अनुसार कोई धन सम्बन्धी सुविधा देने जा रही है? वह क्या है?

वित्त मंत्री (श्री लक्ष्मी रमण आचार्य)--

जी हां।

जी नहीं।

इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश जनरल मर्चेन्ट्स फेडरेशन, लखनऊ का बिक्री कर सम्बन्धी प्रत्यावेदन

*२--श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)--

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जनरल मर्चेन्ट्स फेडरेशन ने हाल में कोई ज्ञापन या स्मरण-पत्र बिक्री-कर को एक पक्षीय एवं सरल करने के संबंध में शासन को दिया है? यदि हां, तो वह ज्ञापन क्या है?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--

जी हां, उत्तर प्रदेश जनरल मर्चेन्ट्स फेडरेशन, लखनऊ ने बिक्री-कर को एक पक्षीय एवं सरल करने के संबंध में एक प्रत्यावेदन दिनांक १९ मार्च, १९६९, शासन को दिया है।

उक्त प्रत्यावेदन की प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४६६ पर)

*३--श्री कृष्ण स्वरूप--

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त ज्ञापन के संबंध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--

फेडरेशन द्वारा संलग्न प्रत्यावेदन में उल्लिखित सुझावों के संबंध में स्थिति क्रमानुसार निम्न प्रकार है :--

(१) बिक्री-कर अधिकारियों को पहले से ही यह आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं कि बिना पर्याप्त कारण के व्यापारियों के हिसाब-किताब अस्वीकृत न किया जाय। यदि किसी मामले में कोई अधिकारी इन आदेशों की अवहेलना करता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

(२) साधारणतया किसी वर्ष की सर्वे रिपोर्ट को उसी वर्ष के कर-निर्धारण में प्रयोग किया जाता है, किन्तु कभी कभी सर्वे रिपोर्ट से व्यापारी द्वारा पिछले वर्षों में किये गये व्यापार का भी अनुमान मिल जाता है और ऐसी दशा में उसे पिछले वर्षों के कर निर्धारण में भी प्रयोग किया जाता है चूंकि प्रत्येक मामले का निपटारा उसके गुण गुणावगुण के आधार पर किया जाता है, अतः इस दिशा में कोई निषेधाज्ञा जारी करना उचित नहीं प्रतीत होता है।

(३) इसके संबंध में समुचित आदेश जारी कर दिये गये हैं। वैसे भी यह प्रयत्न किया जा रहा है कि अपीलों का निर्णय शीघ्रातिशीघ्र हो जाया करे।

(४) अपील अधिकारियों के पद पर न्याय विभाग के अधिकारियों की ही नियुक्ति किये जाने के संबंध में फेडरेशन का सुझाव मान्य नहीं है क्योंकि अन्य राज्यों के बिक्रीकर विभाग तथा आय-कर विभाग में भी अपील अधिकारी के पद पर विभागीय अधिकारियों की ही नियुक्ति की जाती है और बिक्री-कर समिति ने भी यह सिफारिश की है कि विभागीय अधिकारियों को, जिन्हें विभाग के कार्य का काफी अनुभव होता है, अपील अधिकारियों के पद पर नियुक्त किया जाय।

अपील अधिकारियों को बिक्री-कर आयुक्त के नियंत्रण में न रखे जाने के प्रश्न पर शासन द्वारा पुनः विचार किया जा रहा है।

(५) फडरेशन के इस सुझाव को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध जांच करने के लिए बिक्रीकर आयुक्त के मुख्यालय पर एक वरिष्ठ अधिकारी सहायक आयुक्त (शिकायतें) के पद पर कार्य कर रहे हैं। आवश्यकतानुसार बिक्री-कर आयुक्त तथा अतिरिक्त बिक्री-कर आयुक्त स्वयं विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध जांच करते हैं या उपयुक्त (विशेष अनुसंधान शाखा) को भी यह कार्य सौंप देते हैं।

(६) फेडरेशन के इस सुझाव पर कि सभी वस्तुओं पर एक स्थानीय बिक्री-कर की व्यवस्था की जाय, पुनः विचार किया जा रहा है। शासन द्वारा नियुक्त बिक्री-कर समिति और कर जांच समिति ने भी यही सिफारिश की है कि प्रदेश की आवश्यकताओं और विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान प्रणाली जिसके अन्तर्गत एकसूत्रीय तथा बहुसूत्रीय बिक्री-कर और प्रथम स्थलीय क्रय-कर लगाये जाने की व्यवस्था है, चालू रखी जाय। तदापि विभिन्न वस्तुओं पर कर की दरों पर समय-समय पर विचार किया जाता है और उनमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन किये जाते हैं। कर की वर्तमान प्रणाली एवं दरों पर हाल ही में नियुक्त की गई कर जांच समिति ने विचार किया था। फेडरेशन ने भी अपने सुझाव उक्त समिति को प्रस्तुत किये थे। समिति की सिफारिश को दृष्टिगत रखते हुए तथा व्यापारी वर्ग की कठिनाइयों का निराकरण हेतु जुलाई, १९६९ से बिक्री-कर की दरों में कुछ परिवर्तन किये गये हैं, जिनके फलस्वरूप १५ वस्तुओं पर बहुसूत्रीय बिक्री-कर के बजाय निर्यात/आयातकर्ता द्वारा बिक्री के स्थल पर एक सूत्रीय बिक्री-कर की बजाय व्यवस्था कर दी गई है। पड़ोसी प्रदेशों में कर की दरें यथासम्भव समान रखने के उद्देश्य से भारत सरकार ने क्षेत्रीय बिक्रीकर परिषद् का गठन किया है और ऐसी आशा है कि परिषद् के माध्यम से इस समस्या का समाधान हो सकेगा।

श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यदि बिक्री कर की अपीलें न्याय विभाग के अधिकारी सुनें तो इसमें क्या बाधा या आपत्ति है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

श्रीमन्, जो बिक्री कर की अपीलें है उनको असिस्टेन्ट कमिश्नर (जुडिश्यल) हमारे यहां सुनते हैं और वे न्याय विभाग से संबंधित इस माने में हैं कि न्याय विभाग में जो बिक्री कर का न्याय वाला विभाग है उसमें परिवर्तित किया जाता है। विभागीय अधिकारी वहां होते हैं।

श्री कृष्ण स्वरूप—

श्रीमन्, मेरा अभिप्राय यह है कि उन पर नियन्त्रण विभाग का अधिकार न हो, वे डायरेक्ट जुडीशियरी के अन्तर्गत हों।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

श्रीमन्, मैंने उत्तर दिया है कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। उन पर विभागीय अधिकारियों का किसी प्रकार का प्रभाव नहीं रहे और उनको हम जुडिश्यल में परिवर्तित कर देते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सभी वस्तुओं के आयात-कर्त्ताओं के स्थान पर ही वहां पर बिक्री कर वालों की जो योजना है वह कब तक कार्यान्वित हो रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

श्रीमन्, मैंने यह नहीं कहा कि हम उस योजना को स्वीकार कर रहे हैं। उसमें कुछ कठिनाइयां हैं। अगर आप आज्ञा दें तो दो, तीन कठिनाइयों का जिक्र कर दूं। उसमें सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि जितनी हमारे यहां चीजें बनती हैं व दो तरह से बनती हैं। एक तो

[श्री लक्ष्मी रमण आचार्य]

जो कि नियमित और सुव्यवस्थित स्थान हैं जैसे मिलें या और यूनिटस हैं उनमें बनती हैं। दूसरी व हैं जो कि काटेज इन्डस्ट्रीज के रूप में बनती हैं, बहुत छोटे छोटे लोगों के द्वारा बनती हैं। इस भाषण में मैंने जो कि कर जांच समिति का प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया है उसमें बड़ा लम्बा विवरण है। मेरा जहां तक अनुमान है एक या दो स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें एक ही स्थल पर बिक्री कर लगाया गया है। उनमें कदाचित् बंगाल है और एक इधर पंजाब है। लेकिन उनमें एक बड़ी कठिनाई है और उस संबंध में वे लोग भी विचार कर रहे हैं कि बिक्री कर प्रथम स्थलीय कर हो, फर्स्ट प्वाईंट पर लगायें या लास्ट प्वाइन्ट पर लगायें। हम इस पर पूरे तौर पर विचार कर रहे हैं और उसी विचार के अन्तर्गत १५ जो बहुसूत्री वाले पदार्थ थे उनमें एक सूत्री अभी हाल में किया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि बिक्री कर में जो विभिन्न दरें हैं उनमें दरों के अन्तर्गत परिवर्तन करने पर विचार किया गया है ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

बहुत कठिनाई की बात है। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे लक्जरी गुड्स, उन पर हमको ज्यादा टैक्स लगाना ही होगा और कुछ कन्जूमर गुड्स हैं उन पर हमको कम लगाना होगा, इसलिये एक सौ दरें सब चीजों पर रखने में कठिनाई होगी।

श्रीकृष्ण स्वरूप—

क्या माननीय मंत्रीजी यह बतायेंगे कि जनरल मार्केंडाइज की चीजों पर एक सौ दर कर दी जाय तो दूकानदारों को भी उसमें सुविधा होगी और कर की चोरी भी बच जायगी तथा हिसाब किताब रखने में भी सुविधा होगी। ऐसा करने में आपको क्या आपत्ति है ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

जनरल मर्केन्डाइज की प्रत्येक वस्तु पर एक समान कर निर्धारित किया जा सकना संभव नहीं है। अपने मित्र की तसल्ली के लिये यह बता देना चाहता हूं कि किसी स्टेट पर भी ऐसा नहीं है।

*४-५—श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

[४थे बुधवार के लिये प्र० सं० ३-४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*६—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

[३रे गुरुवार के लिये प्र० सं० ६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

गोवर्धन के निकट खुदाई

*७—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गोवर्धन के निकट जिला मथुरा में किसी पुराने किले की खुदाई हो रही है ? यदि हां, तो किस की देख-रेख में और किस उद्देश्य से ?

न्याय मंत्री (श्री स्वामीप्रसाद सिंह)—

जी हां, मथुरा जिले में गोवर्धन से आठ मील दूर स्थित सोंख खेड़ा नामक स्थान पर पिछले तीन वर्षों से खुदाई हो रही है। खुदाई का कार्य बर्लिन विश्वविद्यालय के प्राक्रम विभाग के अध्यक्ष तथा बर्लिन संग्रहालय के निदेशक डा० हार्दत के नेतृत्व में जर्मन पुरातत्ववेत्ताओं का एक दल कर रहा है। खुदाई का उद्देश्य मथुरा क्षेत्र की प्राचीन संस्कृति की खोज है।

*८—श्री रामचन्द्र विकल (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उपरोक्त योजना पर कितना व्यय हो चुका है और खुदाई कब तक होगी ?

श्री स्वामीप्रसाद सिंह—

उपरोक्त योजना का पूरा व्यय जर्मन सरकार वहन करती है। इसलिए यह बताना सम्भव नहीं है कि इस योजना पर अब तक कितना व्यय हो चुका है। इस कार्य के पूर्ण होने में लगभग तीन वर्ष और लगने की आशा है।

बीड़ी मजदूर फेडरेशन का न्यूनतम मजदूरी के लिए ज्ञापन

*९—श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें उत्तर प्रदेश बीड़ी मजदूर फेडरेशन का २२ मार्च, १९६९ का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ, इत्यादि स्थानों पर बीड़ी मजदूरों को पांच रुपये प्रति हजार की मजदूरी दी जाती है इसी प्रकार प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की प्रार्थना की गयी है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

नियोजन मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

जी हां।

जांच करने से पता चला है कि इस समय प्रदेश में कहीं भी बीड़ी मजदूरों को ५ रु० प्रति हजार की दर से मजदूरी नहीं दी जाती है। प्रचलित दरों और हाल ही में १-४-६९ से निर्धारित न्यूनतम दरों में इतना अन्तर नहीं है कि फिलहाल न्यूनतम दरों को बढ़ाना आवश्यक प्रतीत हो।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि प्रदेश की प्रचलित दरें क्या हैं और १-४-६९ से जो दरें निर्धारित की गयीं हैं, उनमें क्या अन्तर है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

दिनांक १-४-६९ से जो नयी दरें निर्धारित की गयी हैं वह नगरपालिका, टाउनएरिया, कैन्ट० बोर्ड में से नगरपालिका के ५ मील के क्षेत्र में २.२५ पैसा है और महापालिका के १० मील के क्षेत्र में २.२५ पैसा है तथा शेष क्षेत्रों में २.०४ रुपया है।

जहां तक प्रचलित दरों का संबंध है, गोरखपुर क्षेत्र में २.२५ से २.७५ रुपया है आगरा में २.२५ रुपया है, फैजाबाद में २.०६ से २.२५ रुपया है, रायबरेली में २.१० से २.४० है, हरदोई में २.२५ रुपया है। वाराणसी में जहां पर विशेष प्रकार की बीड़ी ज्यादा मुर्ती की बनायी जाती है वहां ३ रुपया है, जौनपुर तथा वाराणसी में ३ रुपया है, फर्रुखाबाद में २.१० से २.२५ रुपया, मुरादाबाद में २ रुपया से लेकर २.६० तक है, तथा आंवली में २ रुपया से लेकर २.२५ रुपया तक है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि बीड़ी मजदूर फेडरेशन ने जो ज्ञापन २२ मार्च, १९६९ को दिया था, उसमें निम्नतम वेतन क्या मांगा गया था और उस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

२२ मार्च को फेडरेशन की ओर से जो ज्ञापन दिया गया था उसमें यह कहा गया था कि निम्नतम वेतन की दरें जो निर्धारित की गयी हैं वे, कम हैं। तथा महंगाई को देखते हुये अधिक

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

होनी चाहिये। उन्होंने ३.२५ रुपया की मांग की थी। उनकी यह भी शिकायत थी कि निम्नतम वेतन निर्धारित करते समय हमारे प्रतिनिधियों की राय नहीं ली गयी। इसके अलावा जो बीड़ी लपेटते हैं उनके रेट्स के बारे में कहा कि गांवों और शहरों के रेट अलग अलग नहीं होने चाहिये, एक ही रेट्स होने चाहिये। अब हमने मध्य प्रदेश से पूछा है कि उनके यहां क्या दरें हैं ताकि फेडरेशन से इस संबंध में बातचीत की जा सकें।

श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि बीड़ी मजदूरों ने जो निम्नतम मजदूरी सवा तीन रुपया की मांग की है, उसके निर्धारित हर जिले में कर देने में सरकार क्या कठिनाई महसूस कर रही है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

इसमें मुख्य कठिनाई यह है कि बीड़ी के उद्योग को मार्किट में कम्पीटीशन का सामना करना पड़ता है। मध्य प्रदेश और हमारे प्रदेश में बड़ा भारी कम्पीटीशन है। अगर प्रदेश में ज्यादा न्यूनतम रख देंगे तो यहां बीड़ी के उद्योग को बड़ी भारी हानि होगी क्योंकि उनकी छटनी वगैरह होगी। इसलिए हमें दूसरे प्रदेशों के समकक्ष अपनी मजदूरी रखनी पड़ती है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी मेरे इस सुझाव पर विचार करेंगे कि बीड़ी के मजदूरों के प्रतिनिधियों को बुलाकर और मालिकों को बुलाकर एक कांफ्रेंस की जाय और फिर समान दर लागू करने पर विचार किया जाय ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

माननीय सदस्य के सुझाव के पूर्व ही हमारी बातचीत का क्रम जारी है। ३–४ बार फेडरेशन के लोगों से बात चीत की और भविष्य में भी किसी भी प्रतिनिधि से बात करने को तैयार हैं ताकि कोई रास्ता निकल सके।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन स्थानों पर न्यूनतम वेतन से भी कम मजदूरी दी जा रही है, उनके बारे में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

उनकी न्यूनतम वेतन के आधार पर ही प्रचलित दरें हैं।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मंत्री जी को विदित है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के पूंजीपति अपने व्यवसाय में यहां के मजदूरों का लाभ उठा रहे हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

ऐसा मैंने सुना है लेकिन मुझे इसकी निश्चित जानकारी नहीं है।

श्री रामसेवक (जिला सुल्तानपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बीड़ी मजदूर हैं, उनको न्यूनतम वेतन से भी बहुत कम पैसा मिलता है, उनको उनके मालिकों से ज्यादा पैसा दिलवाने के लिए सरकार कोई कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जहां तक हमें सूचना है ऐसा नहीं है लेकिन अगर माननीय सदस्य कृपया ऐसे स्थानों या ऐसे ग्रामों का संकेत करेंगे तो अवश्य ही कार्यवाही की जायगी ।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे चूंकि बीड़ी उद्योग में बड़ा शोषण हो रहा है तो सरकार उसका राष्ट्रीयकरण करने का विचार कर रही है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं माननीय सदस्य का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने राष्ट्रीयकरण का समर्थन किया । यह प्रश्न तेंदू की पत्तियों से संबंधित है । मध्य प्रदेश के अधिनियम के आधार पर वहां भी विचार हो रहा है ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जानकारी करेंगे कि हमारे पड़ोसी जो अन्य प्रदेश हैं, उनके मजदूरों के वेतन क्या हैं वे हम से कम हैं ? और अगर है, तो यहां पर पुनर्विचार करने में क्या हर्ज है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

हमारा जो मुख्य कम्पीटिशन है वह है मध्य प्रदेश से । जितनी न्यूनतम वेतन वहां है, उसी के लगभग हमारी न्यूनतम मजदूरी है । इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने हैदराबाद सम्मेलन में लेबर मिनिस्टरों की एक समिति भी बनायी थी जो समय समय पर जो सेन्ट्रल जोन और नार्थ जोन के बारे में पुनर्विचार करती रहती है ।

आजमगढ़ जिला परिषद् के अध्यक्ष को हटाने का आदेश

*१०—श्री दर्शसिंगार (जिला आजमगढ़)—

क्या नियोजन मन्त्री कृपाय कर यह बतायेंगे कि आजमगढ़ जिला परिषद् के (चेयरमैन) अध्यक्ष को राज्य सरकार ने किन किन अवैधानिकता के कारण अध्यक्ष पद से हटाने का आदेश दिया था ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

अध्यक्ष, जिला परिषद्, आजमगढ़ को श्री भोला नाथ गुप्त के निवृत्त पूर्व अवकाश पर जाने के कारण हुई स्थायी रिक्ति में कार्यालय अधीक्षक, जिला परिषद् आजमगढ़ के रूप में श्री विश्वनाथ राय को अनियमित रूप से नियुक्त करने के संबंध में अधिकार का दुरुपयोग करने और इसी प्रकार अध्यक्ष के रूप में २ अप्रैल, १९६४ से ६ मई, १९६४ के बीच प्राइमरी स्कूलों के ५४१ अप्रशिक्षित अध्यापकों को, शिक्षा अधीक्षक की उपेक्षा करते हुये अनियमित रूप से नियुक्त करने के सम्बन्ध में अधिकार का दुरुपयोग करने एवं अपने कर्तव्यों का पालन करने में अनाचार करने और कार्य समिति तथा नियोजन समिति की मासिक बैठकों को बुलाने में अपने परिनियत कर्तव्य का जान बूझ कर पालन न करने के कारण अध्यक्ष पद से हटाने के आदेश दिये गये थे ।

श्री छांगु —

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि अध्यक्ष, जिला परिषद्, आजमगढ़ को अध्यक्ष पद से हटाने के जब आदेश दे दिये गये थे तो फिर वह किस हैसियत से वहां काम कर रहे हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अध्यक्ष, जिला परिषद् को हटाने के आदेश ८ अक्तूबर, १९६५ को दिये गये थे । अध्यक्ष ने उन आदेशों के विरुद्ध हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की और स्थगन आदेश उन्होंने प्राप्त कर लिया और उस स्टे आर्डर की परिधि के अन्तर्गत वे काम कर रहे हैं ।

श्री दलसिंगार—

क्या सरकार इन आदेशों के सिद्ध होने पर कोई मुकदमा चलायेगी ?

श्री अध्यक्ष—

हाई कोर्ट में रिट स्वीकार कर ली है लिहाजा कोई मुकदमा नहीं चलेगा ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

६५ से अब तक ४ वर्ष हो गये हाई कोर्ट के स्टे को लिये, उसको खत्म कराने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सरकार की ओर से हाईकोर्ट में लगातार पैरवी की गयी और अब भी की जा रही है ताकि जल्दी से जल्दी इस प्रश्न पर निर्णय हो जाय ।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)—

क्या अध्यक्ष को हटाये जाने में राजनीतिक कारण भी हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी नहीं ।

श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

यह मामला ६५ से हाईकोर्ट में है तो क्या सरकार अविलम्ब विशेष तौर से इसे निबटाने के लिये कोई कदम उठायेगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

पूरी चेष्टा तथा सद्भावना होते हुये भी यह सम्भव नहीं है कि हाई कोर्ट को कोई निदेश दिये जा सकें ।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

यह स्टे क्या उस समय आया था जब कि उनको अलहदा किया जा चुका था ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मुझे ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

आप इजाजत नहीं दे रहे हैं तो अन्याय कर रहे हैं ।

श्री नरेन्द्रसिंह (जिला बलिया)—

व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य ने कहा कि आप अन्याय कर रहे हैं । मैं चाहता हूं कि वह अपने इस शब्द को वापस लें ।

श्री अध्यक्ष—

आपको यह शब्द वापस लेना चाहिये ।

श्री मैनेजरसिंह—

मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं कि आजमगढ़ के जिला परिषद् के अध्यक्ष के विरुद्ध इतना गम्भीर आरोप है जिसको सरकार भी मानती है.....

श्री अध्यक्ष—

आपकी समझ में बात आ नहीं रही है। अगर किसी एक जिले के बारे में सवाल करते हैं तो उसी के बारे में तैयार हो कर मंत्री महोदय आते हैं। अब अगर आप दस जिलों के बारे में पूछें तो कोई सबक पढ़ कर तो वह आते नहीं हैं। और फिर मैं समझता हूं कि वह स्वायत्तशासन मंत्री हैं भी नहीं, वह नियोजन मंत्री हैं। पुरानी बात है उसी को स्टडी कर के आये हैं। तो आप दूसरे जिलों के प्रश्नों को भिड़ा नहीं सकते। आप अपना प्रश्न अलग पूछिये। वह आपको अधिकार है। लेकिन आप मंत्री से यकायक यह नहीं पूछ सकते कि दूसरे जिले में क्या किया।

श्री हिम्मतसिंह—

माननीय मंत्रीजी ने कहा कि हाई कोर्ट को तो निर्देश दिये नहीं जा सकते, ठीक है। लेकिन इस दौरान में सरकार की ओर से जो वकील पैरवी कर रहे हैं उनको तो निर्देश दे सकते हैं?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

इसमें कोई कठिनाई नहीं है। ऐसे निर्देश दिये जा चुके हैं और फिर दिये जायेंगे।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

(श्री अध्यक्ष द्वारा अगला प्रश्न पुकारे जाने पर) इस प्रश्न के संबंध में मैं आठ मर्तबा खड़ा हुआ और आपने समय नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष—

अब मैंने दूसरे सवाल को शुरू कर दिया।

श्री जगदम्बा प्रसाद—

मैं आपकी इस व्यवस्था के विरोध में कि आपने मुझको समय नहीं दिया मैं वाक आउट करता हूं।

(श्री जगदम्बा प्रसाद सदन छोड़ कर चले गये।)

हापुड़ में बिक्री कर बकाया

*११—श्री लक्ष्मणस्वरूप तथा श्री आशाराम इन्दु (जिला मेरठ)—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हापुड़ नगर में कितने व्यापारियों पर दस हजार रुपये से अधिक बिक्री-कर बाकी है, और उस धन की वसूली के लिये क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

हापुड़ नगर में दिनांक १ अप्रैल, १९६९ को १५ व्यापारियों पर दस हजार रुपये से अधिक बिक्री-कर का बकाया था। इस बकाया की वसूली के लिए वसूली प्रमाण-पत्र जारी किए जा चुके हैं और राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

श्री लक्ष्मण स्वरूप—

क्या मंत्री जी इन व्यापारियों के नाम बताने की कृपा करेंगे?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

श्रीमन्, जिन व्यापारियों के ऊपर दस हजार से ज्यादा बकाया है उनके नाम निम्न प्रकार हैं :—

१, छिद्दासिंह रामस्वरूप, ठेका शराब, खरसोवा; २—डिप्टी डायरेक्टर (साइलो), हापुड़; ३—भारत मैटल उद्योग सहकारी समिति, हापुड़; ४—जग्गामलकूड़ेमल पंसारी, हापुड़;

५—काबुलसिंह मट्ठेवाले, ग्राम मुक्तेसरा; ६—इन्द्रा आयल मिल, हापुड़,; ७—मोती दाल एन्ड आयल मिल, हापुड़; ८—ओमप्रकाश मूलचन्द आढ़ती, हापुड़; ९—ओमप्रकाश आनन्द स्वरूप आढ़ती, हापुड़, १०—मदन लाल सुरेश कुमार आढ़ती, ११—वेद प्रकाश रामेश्वर दयाल आढ़ती, हापुड़; १२—रामचरन कैलाश चन्द्र कापड़ागढ़ मुक्तेश्वर; १३—श्री राम बाऊदयाल, कच्चा आढ़ती, हापुड़; १४—सागर मल भिखारीलाल, कच्चा आढ़ती, हापुड़; १५—सम्पू रामकालूराम, हापुड़ ।

श्री लक्ष्मणस्वरूप—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन १५ व्यापारियों पर कुल कितनी धनराशि बकाया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

इन सब पर कुल मिलाकर ३०, ७०, ३८४ रुपये हैं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कब से शेष है, किस पर सबसे अधिक है और कितना है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

डिप्टी डाइरेक्टर साइलो, हापुड़ पर १७,१४,००० के करीब १९५९–६०, ६०–६१, ६१–६२ का बकाया है ।

श्री लक्ष्मणस्वरूप—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि असेसमेंट कब हुआ और केवल प्रमाणपत्र ही इश्यू हुआ है जब कि वह ३० दिन के बाद ही हो जाना चाहिये था ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

श्रीमन्, असेसमेंट आर्डर ६०–६१ का है तो २–३ साल बाद होता है । मेरे मित्र खयाल न करें । मैंने जो धनराशि बताई है वह सब की सब ऐसी नहीं है जो वसूल कर सकें । काफी ऐसी है जो अदालती तौर पर रुकी हुई है और हम उसे वसूल नहीं कर सकते हैं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या मंत्री बतायेंगे कि ५९ से लेकर ६९ तक के समय में कितने आदमियों से वसूली के लिये क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

श्रीमन् वसूली निरन्तर होती रहती है । जैसे ५९ से लेकर ६२ तक डिप्टी डाइरेक्टर साइलो हापुड़ के ऊपर १७,१४,००० रु० बाकी हैं । ये न्यायिक अधिकारी द्वारा स्टे पड़ा हुआ है । इसी तरह से और भी धनराशियां हैं जो स्टे पड़ी हुई हैं । बाकी धनराशियों के सिलसिले में पहले डिमान्ड आर्डर जाता है । इसके बाद डिस्ट्रेस वारेन्ट जाता है । और वसूलियां न होने पर जायदाद की कुर्की होती है और उनको गिरफ्तार किया जाता है ।

श्री हिम्मतसिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट की तरह से वसूली क्यों नहीं की जा रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

जैसा मैंने कहा कुछ तो स्टे में पड़े हैं । हर एक में कोई न कोई कार्यवाही की गयी । यह पूछें कि इस वर्ष में कितना वसूल हुआ है तो मैं फीगर्स दे सकूंगा । आज तो नहीं हैं ।

श्री रामधारी (जिला देवरिया)—

ऐसा तो नहीं है कि व्यापारियों की तरफ से माफी के लिए दरख्वास्तें पड़ी हैं और सरकार विचार कर रही है कि माफ कर दिया जाय ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मेरी जानकारी में न एक ऐसी दरख्वास्त है, न सरकार विचार कर रही है ।

श्री छांगुर—

मंत्री जी ने वसूली के संबंध में क्या क्या प्रोसीडिंग होती हैं डिमांड होती है, वारंट होता है, यह बताया, लेकिन उन्होंने क्या क्या, कौन कौन सी कार्यवाही की है, यह विशेष रूप से बताने की कृपा करेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

श्रीमन्, यह तो अलग-अलग केसेज में अलग अलग कार्यवाहियां हैं । उनका पूरा विवरण इस समय तो है नहीं । अगर मेरे मित्र पूछें कि अमुक-अमुक में क्या कार्यवाही की गयी तो अगली दफा मैं देख लूंगा ।

श्री धर्मसिंह—

क्या माननीय वित्त मंत्री बतायेंगे कि यह जो ३० लाख ७० हजार रुपया बताया है, इसमें जो लोग समय पर नहीं दे पाते उनको कुछ सूद देना पड़ता है, इसमें वह सूद का रुपया भी शामिल है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

निश्चय, श्रीमन् । उसका सीधा सा तरीका है । पेनाल्टी भी एम्पोज होती है और १८ प्रतिशत तक सूद चलता है ।

श्री आशाराम इन्दु—

माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जब व्यापारियों ने अदा नहीं किया तो कितनी पेनाल्टी इम्पोज की गयी है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

इस समय मेरे पास इसकी सूचना नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १५ व्यापारियों में से कितने के खिलाफ स्टे आर्डर आ चुका और कितने के खिलाफ कार्यवाही की गयी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

श्रीमन्, जिनके खिलाफ स्टे आर्डर्स हैं मैं जरा सा उनके नाम पढ़ देता हूं । भारत मेटल उद्योग सहकारी समिति, हापुड़, मोतीलाल आयल मिल्स, हापुड़, डिप्टी डाइरेक्टर, साइलो, हापुड़, शम्भूराम कालूराम, हापुड़ । ये लोग हैं जिनके सम्बन्ध में स्टे मिल चुके हैं ।

श्री आशाराम इन्दु—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन १५ व्यापारियों की लिस्ट में कच्चे आढ़ती ५० प्रतिशत हैं, इनमें से किसी व्यापारी ने अगर १९६७ तक फम्पाउंड नहीं किया तो कोअ-सिव मेजर्स से वसूल होना चाहिए, तो अब तक क्यों वसूल नहीं हुआ ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

जहां तक मैं इसमें देख पाया, इसमें आढ़ती, आढ़ती हैं। मैं नहीं जानता कि इसमें कितने कच्चे आढ़ती हैं। श्री राम बाऊ दयाल कच्चे आढ़ती हैं। कच्चे आढ़ती जिन्होंने कम्पाउन्ड नहीं किया, उनसे पूरा धन वसूल किया जा रहा है।

श्री लक्ष्मणस्वरूप—

क्या वित्त मंत्री बतायेंगे कि यह वही व्यापारी हैं जिनके यहां आप चाय पर गये थे ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो आक्षेप है।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

श्रीमन्, मैं कभी चाय पर नहीं गया।

श्री हिम्मतसिंह—

क्या माननीय वित्त मंत्री बतायेंगे कि स्टे के पहले क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य।—

इसका विवरण नहीं है।

श्री मंजूर अहमद—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आप से एक व्यवस्था चाहता हूं। मंत्री जी ने कहा है कि चाय पर नहीं गया। वहां मंत्री जी का फोटो उन आढ़तियों के साथ खींचा हुआ है। इसकी कापी मैं दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझा था कि यह खाली एक मजाक है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

चूंकि मेरे मित्रों ने यह प्रश्न उठा दिया है। जहां तक मुझे याद है, वहां व्यापारियों द्वारा कभी कोई मान-पत्र पेश किया गया था। उस समय मैं वहां गया था और जाने पर यदि चाय हुई, सारे हापुड़ के व्यापारी आये थे, तो मुझे ख्याल नहीं। लेकिन किसी कच्चे आढ़तिया के यहां चाय पीने में गया यह कहना ठीक नहीं है।

श्री मंजूर अहमद—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, पहले मंत्री जी ने कहा कि मैं किसी आढ़तिया के यहां चाय पीने नहीं गया लेकिन अब कहते हैं कि मैं गया था। यह उनके लिये शर्म की बात है।

श्री अध्यक्ष—

वह कच्चा आढ़तिया था जिसके यहां उन्होंने चाय पी थी। वह प्रश्न दूसरा था।

श्री लक्ष्मण स्वरूप—

क्या यह वही व्यापारी हैं जिनके यहां आप चाय पर गये थे, कच्चे पक्के दोनों इसमें शामिल हैं ? तो क्या यह वही १५ व्यापारी हैं जिनके यहां आप चाय पर गये थे ?

श्री अध्यक्ष—

आपने यहां कहा कि कच्चे आढ़तियों से क्यों नहीं वसूल हुआ तो उन्होंने कहा मुझे तो एक ही कच्चा आढ़तिया मालूम होता है। फिर आपने कहा कि कच्चे आढ़तियों से क्यों नहीं वसूल

किया। तो उन्होंने कहा कि मुझे यह नहीं मालूम कि कौन कच्चा अढ़तिया था। उसके बाद आप एक दम से खड़े हो गये और यह पूछा तो उन्होंने बता दिया।

श्री लक्ष्मण स्वरूप—

मेरा अभिप्राय उन्हीं व्यापारियों से है जिनका मामला है, जो १५ हैं इसमें दोनों शामिल हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैं जब किसी जिले में जाता हूं तो वहां पर कुछ चीजों का आयोजन किया जाता है व्यापारियों की परेशानियों पर विचार करने के लिये, तो मैं उनके बीच में जाता हूं और भविष्य में भी उनके बीच इस हेतु जाना मैं उचित समझता हूं कि उनके बीच जाकर मैं उनकी परेशानियों को समझूं। इसके लिये कोई चाय का आयोजन करता है वह भी चलता है।

श्री सतीशचन्द्र—

स्टे आर्डर को वैकेट कराने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मेरे पास इस समय इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री जगदम्बा प्रसाद—

क्या यह ३० लाख ७० हजार रुपया उन्हीं व्यापारियों पर बाकी है जिनसे गुप्ता जी की सालगिरह पर ६० लाख रुपया वसूल किया गया था ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री हिम्मत सिंह—

चूंकि प्रदेश में यह मनोवृत्ति बढ़ रही है हाईकोर्ट आदि में जाकर स्टे आर्डर लेने की, तो क्या इसे रोकने के लिये आप कोई उपाय कर रहे हैं ? पेनाल्टी बढ़ाने की कोई व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

वैसे तो मैं प्रश्न को पूरी तरह से समझ नहीं पाया कि किसी को स्टे आर्डर मिल जाए तो हम उस पर पेनाल्टी लगा दें। ऐसा तो मेरी समझ से न हुआ है न हो सकता है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

सदन में इस बात पर बड़ी आपत्ति है कि मंत्रिगण जिले में व्यापारियों या व्यापारिक संस्थानों के यहां चाय पीते हैं। इसे देखते हुये क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि जब मंत्रिगण बाहर जायं तो ऐसी संस्थाओं की चाय स्वीकार न करें ?

श्री अध्यक्ष—

मुख्य मंत्रीजी इसका जवाब दे सकते हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

यह तो मंत्री या मुख्य मंत्री जो ममनूं किये जाते हैं उनके विचार करने का विषय होता है। जहां वे यह समझते हैं कि कोई चाय पिलाकर उनसे नाजायज फ़ायदा उठाना चाहता है तो उसे

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

मना कर देना चाहिये और वह कर देता है लेकिन जहां कोई संगठन या सम्मेलन हो वहां चाय पीने में कोई एतराज नहीं हो सकता है ।

श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)—

क्या मुख्य मंत्री जी इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि चाय पीने से पूर्व मंत्रीगण वहां के जिलाधीश से मशविरा लिया करेंगे कि उस स्थान पर चाय पीने से उक्त समुदाय से टैक्स वसूली में या जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर बुरा असर तो नहीं पड़ेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जिलाधीश से उन्हें जानकारी अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिये जहां स्वतः उन व्यक्तियों के बारे में वे कोई जानकारी नहीं रखते हैं और वे चाय पीने के लिये आग्रह करते हैं ।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

जिन ११ व्यवसाइयों के लिये कोर्ट का इजेक्शन नहीं है क्या उनके खिलाफ़ वारन्ट ईशू किये गये और यदि हां, तो कितनी संख्या में और किन किन के ऊपर ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

हर एक का अलग-अलग ब्योरा तो इस समय मेरे पास नहीं है । मैंने फ़ेहरिस्त पढ़ी थी कि जिनके विरुद्ध निरन्तर कार्यवाही की जा रही है । मेरा ऐसा खयाल है कि इन ड्यू कोर्स वसूलयाबी हो जायगी ।

श्री जगदम्बा प्रसाद—

माननीय शिवराजसिंह जी के प्रश्न से संबंधित मैं । यह जानना चाहता हूं कि जब संविद की गवर्नमेंट थी तो आज के माननीय नेता विरोधी दल या दूसरे सज्जन जो इस बेंच पर बैठे हुये हैं उन्होंने क्या परम्परा कायम की थी ?

श्री अध्यक्ष—

अब इस वक्त वे इसका जवाब नहीं दे सकते । वे मंत्रि-परिषद् में नहीं हैं ।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, अभी वित्त मन्त्री जी से प्रश्न किया जा रहा था लेकिन अभी कुछ माननीय सदस्य ऐसा प्रश्न कर रहे हैं जिससे ऐसा लगता है कि इनकी निगाह में अभी भी यहां पर चरणसिंह जी की सरकार है और उनको ही मुख्य मन्त्री मानते हैं और उनसे ही प्रश्न करते हैं । तो उनको वित्त मन्त्री जी से प्रश्न करना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने उसकी व्यवस्था उसी समय कर दी थी ।

*१२—श्री लक्ष्मणस्वरूप तथा श्री आशाराम—

[३रे गुरुवार के लिये प्र० सं० ४८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

मध्यावधि चुनाव में अनियमितता सम्बन्धी नैनीताल जिले की शिकायतें

*१३—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

क्या न्याय मन्त्री कृपया बतलावेंगे कि पिछले मध्यावधि चुनावों में तैयार की गई निर्वाचन नामावलियों में हुई गलतियों की शिकायतें जिला नैनीताल के रुद्रपुर इलाके से पिछले माह मुख्य निर्वाचन अधिकारी, लखनऊ को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही शासन द्वारा हो रही है ?

श्री स्वामीप्रसाद सिंह—

जी नहीं। ऐसा कोई शिकायत पत्र मुख्य निर्वाचन अधिकारी, लखनऊ के कार्यालय में पिछले माह तक नहीं प्राप्त हुआ। इसलिए शासन द्वारा कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री इन्द्रलाल—

क्या न्याय मन्त्री जी इस प्रश्न को सूचना मानकर पुनः जांच कराने का आश्वासन देंगे कि जिले के स्तर पर इस मध्यावधि चुनावमें कितनी अनियमितता होने की शिकायत शासन के पास पहुंची है ?

श्री स्वामीप्रसाद सिंह—

जिले के निर्वाचन अधिकारियों को इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई है लेकिन कोई शिकायत मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्राप्त नहीं हुई है।

श्री कृष्णस्वरूप—

सारे प्रदेश में इस प्रकार की शिकायत है कि मतदाता सूची में गड़बड़ है। तो इस प्रकार का आर्डर सारे सूबे के लिये करेंगे कि जांच की जाय और जहां पर मतदाता सूची में गलती रही है वहां के अधिकारी को दंड देंगे ?

श्री स्वामीप्रसाद सिंह—

ऐसी कोई शिकायत यहां नहीं आई है। माननीय सदस्य ऐसी शिकायत बतलायेंगे तो उसकी जांच की जायगी।

श्री हिम्मत सिंह—

क्या इस सम्बन्ध में शिकायत अन्य किसी अधिकारी से प्राप्त हुई है और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री स्वामीप्रसाद सिंह—

नैनीताल जिले से जो शिकायतें प्राप्त हुई थीं उनकी जांच निर्वाचन अधिकारी द्वारा की गयी और जो शिकायतें थीं वे निरर्थक पायी गयीं।

श्री हिम्मत सिंह—

वे कौन-कौन सी शिकायतें थीं जो निरर्थक पायी गयीं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जो शिकायतें आयी थीं उनके संबंध में माननीय सदस्य इन्द्रलाल जी भी बुलाने पर गये थे और वे चुनाव के बाद भी गये थे। हर शिकायत की अलग अलग जांच हुई लेकिन जांच से मालूम हुआ कि उन शिकायतों का कोई अस्तित्व ही नहीं था।

श्री हिम्मत सिंह—

वे शिकायतें क्या थीं ?

श्री स्वामीप्रसाद सिंह—

चार पांच आदमियों के अप्लीकेशंस थे, और माननीय इन्द्रलाल जी के नाम से भी एक था जिस पर कोई तारीख नहीं है, शिकायत यह थी कि नाम दर्ज नहीं किये गये थे चुनाव के वक्त में।

गांव पंचायतों के आगामी चुनाव

*१४—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या पंचायती राज्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभाओं का एलेक्शन कब होगा और पिछले ग्राम सभाओं के चुनाव में समस्त प्रान्त में ग्राम सभाओं की संख्या क्या थी और आने वाले चुनाव में क्या होगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

प्रदेश में गांव पंचायतों के आगामी सामान्य निर्वाचनों की तिथियां निश्चित करने का प्रश्न अभी शासन के विचाराधीन है। पिछले सामान्य निर्वाचन में, समस्त प्रदेश में, गांव सभाओं की संख्या ७२,३३३ थी और इस समय गांव सभाओं की संख्या ७२,२९२ है। कुछ गांव सभाओं के पुनर्गठन का प्रश्न विचाराधीन है। अनुमानतः आने वाले चुनावों में गांव सभाओं की संख्या बढ़ कर ७२,८२५ के लगभग हो जायगी।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की ओर ध्यान देकर कि ग्राम सभाओं के चुनाव १०–१२ साल से नहीं हुए हैं और हर गांव में प्रधानों ने जिस तरीके से चकबन्दी द्वारा छोड़ी हुई जमीनों का नाजायज पट्टा वगैरह करके कब्जा कर रखा है, चुनाव न होने के कारण प्रजातंत्र का खून हो रहा है, इस चीज को सामने रखते हुए जल्द से जल्द चुनाव कराने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि गांव सभाओं के चुनाव जल्द से जल्द होने चाहिये। इसके लिये कार्यवाही की जा रही है। आप देखेंगे कि सामान्य निर्वाचन कराने का निर्णय तो हो चुका है, तिथियों के निर्णय करने का निश्चय अभी विचाराधीन है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने ग्राम सभाओं के इस निर्वाचन को फरवरी, १९७० तक टालने का निर्णय कर लिया है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, टालने का कोई निर्णय तो नहीं किया है, चुनाव कराने का निर्णय किया है, उसकी तिथियां विचाराधीन हैं।

श्री मंजूर अहमद—

क्या माननीय मन्त्री जी इस हाउस के सभी सदस्यों को आश्वासन दें कि यह चुनाव कब तक हो जायगा ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार का कुछ ऐसा विचार है कि क्षेत्र समितियों के प्रमुखों का चुनाव पहले कराकर फिर उसके बाद वह ग्राम सभाओं के चुनाव करायेगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

ऐसा कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि ग्राम पंचायतों के चुनाव क्षेत्र समितियों के चुनाव के पहले होंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

क्षेत्र समितियों आदि के चुनाव का प्रश्न इस समय नहीं है, ग्राम सभाओं के चुनाव के संबंध में प्रश्न विचाराधीन है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

श्रीमन्, सन् १९६८ में कुछ ग्राम सभाओं को तोड़ कर दूसरी जगह मिला लिया गया था, उस सम्बन्ध में कुछ आपत्तियां की गयी थीं। क्या उन पर भी सरकार विचार करने की कृपा करेगी?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है कि कौन सी ग्राम सभा के संबंध में माननीय सदस्य पूछ रहे हैं?

मेरठ में हाई कोर्ट की ब्रांच खोलने पर विचार

*१५—श्री रामचन्द्र विकल (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि मेरठ में हाई कोर्ट की ब्रांच खोलने का विचार है? यदि हां, तो कब?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

प्रस्ताव के सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। अभी शासन ने कोई निर्णय नहीं लिया है, इसलिए इसका प्रश्न नहीं उठता कि कब तक कार्यान्वित होगा।

उत्तर प्रदेश लाटरी नियमावली

*१६—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा) तथा श्री शिवराज सिंह—

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि प्रदेश में लाटरी चलाने के सम्बन्ध में सरकार की योजना क्या है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

उत्तर प्रदेश राजकीय लाटरी योजना का उद्देश्य उससे प्राप्त आय को प्रदेश के अस्पतालों के रख-रखाव एवं सुधार तथा वि लांगों की सहायता हेतु लगाने का है। योजना की मुख्य बातें उत्तर प्रदेश लाटरी नियमावली, १९६९ में दी हुई हैं। लाटरी के नियमावली की प्रतियां सदन के सूचनार्थ रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४६७ पर)

*१७—श्री देवकीनन्दन विभव तथा श्री शिवराज सिंह—

अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी बार सरकारी लाटरियां खुलीं और उसमें सरकार को कितनी आय हुई और उसका क्या उपयोग हुआ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

अब तक प्रदेश में दो बार लाटरी खोली गई हैं जिनसे शुद्ध आय क्रमशः २८.४५ लाख तथा १५ लाख होने का अनुमान है। इस आय को लाटरी के उद्देश्यों के अनुसार उपयोग करने के निमित्त एक नियमावली बनायी जा रही है।

नोट—तारांकित प्रश्न १४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी

*१८—श्री रामवचन (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार खेतिहर मजदूरों के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में संशोधन करके उनकी न्यूनतम मजदूर में वृद्धि करने का विचार कर रही है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां।

कवाल नगरों में श्रमिक आवास

*१९—श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर, इलाहाबाद तथा अन्य कवाल नगरों में कितने श्रमिक क्वार्टर हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

कवाल नगरों में भारत सरकार से सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्मित श्रमिक आवासों की संख्या इस प्रकार है :—

(१)	कानपुर	१७,५४७
(२)	लखनऊ	१,३४६
(३)	आगरा	१,२९६
(४)	इलाहाबाद	१,७६४
(५)	वाराणसी	६९६
	कुल	२२,६४९

जिलेवार औसत आमदनी

*२०—श्री इन्द्रमणि (जिला टेहरी गढ़वाल)—

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति औसत आमदनी न्यूनतम किस जिले की है ? सरकार चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इस असन्तुलन को दूर करने के लिये क्या कर रही है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

राज्य सरकार द्वारा जिलेवार औसत आमदनी के अनुमान अभी नहीं निकाले जाते। अतः यह ठीक-ठीक ज्ञात नहीं है कि किस जिले की प्रति व्यक्ति आय-न्यूनतम है। चौथी योजना का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि पिछड़े क्षेत्रों तथा अन्य क्षेत्रों के बीच समाज सेवाओं तथा आर्थिक अवस्थापना संबंधी विषमताएं कम की जाएं। उपलब्ध सीमित साधनों को देखते हुए चौथी योजना में प्रासंगिक असंतुलन को कम करने का भरसक प्रयत्न किया जायगा।

माताटीला बांध के ठेकेदारों से रायल्टी की वसूली

*२१—श्री भगवत दयाल (जिला झांसी)—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माताटीला बांध, जिला झांसी के तीनों डिवीजनों में जिन ठेकेदारों के पास वित्तीय वर्ष १९६६–६७, १९६७–६८ तथा १९६८–६९ में मिट्टी तथा रेत सप्लाई करने का ठेका रहा है क्या उनसे बिक्री-कर तथा रायल्टी का पूरा धन सरकार

को प्राप्त हो गया है ? यदि नहीं, तो प्रत्येक के पास कितना-कितना धन बकाया है और उससे अब तक वसूल न कर पाने का क्या कारण है ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

माताटीला प्रखण्ड में जिन ठेकेदारों ने वित्तीय वर्ष १९६६–६७, १९६७–६८ तथा १९६८-६९ में मिट्टी तथा रेत सप्लाई करने का ठेका लिया था उन सभी ठेकेदारों से रायल्टी का सम्पूर्ण धन सरकार को प्राप्त हो गया है। बिक्री-कर के संबंध में वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

पटेल समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन न हो सकना

*२२—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर), श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव), तथा श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)—

क्या सरकार बतायेगी कि पूर्वी जिला जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़ और देवरिया के लिये गठित पटेल आयोग की सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

धन की कमी के कारण पटेल समिति की सिफारिशों को पूर्णतया कार्यान्वित नहीं किया जा सका है फिर भी चतुर्थ योजना काल में इन जिलों के तीव्र विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाना प्रस्तावित है।

हरहा घरों के महसूल में कमी करने की मांग

*२३—श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार बतने की कृपा करेगी कि क्या उसे मार्च, १९६९ या अप्रैल, १९६९ में बहुत से विधायकों के हस्ताक्षरों युक्त ऐसा कोई पत्र मिला है, जिसमें उन्होंने स्वायत्त शासन संस्थाओं द्वारा संचालित हरहा घरों में प्रचलित महसूल दरों में कमी करने की मांग की गई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कायवाही की गई ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जी हां।

शासन के विचाराधीन है।

पूर्वी जिलों में विकास कार्य

*२४—श्री रामरतन (जिला बलिया)—

क्या नियोजन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पूर्वांचल जिले में उनके पिछड़ापन को देख कर उनके उत्थान के कौन-कौन से कार्य किये गये हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

१५ पूर्वी जिलों के विकास के लिए विशेषकर तीसरी पंच वर्षीय योजनावधि से विभिन्न कार्य किये जा रहे हैं जिनमें कृषि, सिंचाई, विद्युत्, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन पर हुये व्यय तथा उपलब्धियों का ब्योरा संलग्नकों में दिखाया गया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४७६ पर)

*२५—श्री रामरतन—

क्या नियोजन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पटेल आयोग पूर्वी जिलों में किन-किन जिलों में लागू किया गया है ? उसमें बलिया का क्या स्थान है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

पटेल समिति की संस्तुतियों के आधार पर विकास कार्यक्रम १९६४–६५ से देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर एवं गाजीपुर जिलों में प्रारम्भ किया गया। वर्ष १९६६–६७ से बलिया एवं बस्ती जिलों को भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया।

अतारांकित प्रश्न

जिला बुलन्दशहर में क्षेत्र अधिकारियों के विचाराधीन मुकदमे

१—श्री कल्याणसिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर के क्षेत्र अधिकारियों के यहां अक्टूबर, सन् १९६८ से ३१ मई, १९६९ तक कितने मुकदमे हुक्म के लिये दफ़ा १४५ तथा १०७ (जाब्ता फ़ौजदारी) तथा धारा ३९ ऐक्ट मालगुजारी के पड़े हुए हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

धारा १४५ जाब्ता फ़ौजदारी का केवल एक मुकदमा क्षेत्राधिकारी अनूपशहर के न्यायालय में हुक्म के लिये था जिसका निर्णय हो चुका है। धारा १०७ जाब्ता फ़ौजदारी तथा धारा ३९ लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट के अन्तर्गत कोई मुकदमा नहीं पड़ा था।

प्रश्नोत्तर सम्बन्धी आपत्तियां

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मेरा व्यवस्था का सवाल है। उस दिन सप्लीमेन्टरी सवालों बारे में आप के यहां तय हुआ था कि ५–७ सवालों से ज्यादा एक सवाल पर सप्लीमेंटरी करने का अवसर नहीं दिया जायेगा। आज आपने एक सवाल पर २५ मिनट का समय दे दिया जिससे अन्य प्रश्न रह गये। इसके लिये आप कोई व्यवस्था करेंगे?

श्री अध्यक्ष—

इसमें कोई बन्धन नहीं होता, उस पर अधिक लोगों को दिलचस्पी थी, एक्सेप्शन भी हो सकता है।

एक सदस्य—

मेरे प्रश्नों का जो उत्तर मिला है उससे मुझे संतोष नहीं है, वह हमेशा छूट जाता है और उत्तर भी संतोषजनक नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया मेरे कमरे में आकर मुझे समझा दें, मैं तभी उसे समझकर कुछ कार्यवाही कर सकूंगा।

श्री उदित नारायण (जिला फतेहपुर)—

माननीय सुदामा प्रसाद जी ने मेरे बारे में कुछ कहा था...

श्री अध्यक्ष—

मैंने उन्हें इजाजत नहीं दी थी, और मैंने सुना भी नहीं कि क्या कहा। आप व्यक्तिगत कोई एक्प्लेनेशन देना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री उदित नारायण—

माननीय सुदामा प्रसाद जी ने यह कहा था कि जब संविद की सरकार में मैं मंत्री था तो मंत्री की हैसियत से मैंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहां चाय पी और खाना खाया। अभी माननीय

मुख्य मन्त्री जी ने यह कहा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से पूछ कर किसी के यहां भोजन या चाय पी जा सकती है। तो यदि उससे पूछ कर पी जा सकती है, तो उसके यहां भी पी जा सकती है। मगर माननीय सुदामा प्रसाद जी ने क्या कभी यह समझने की कोशिश की कि कानपुर के नटराज होटल से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का घर अच्छा है जहां पर कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने खाना खाया था।

श्री अध्यक्ष—

मैंने सुदामा प्रसाद जी को रोक दिया था और वह इस कार्यवाही में नहीं आयेगा। सवाल तो यह है कि ऐसे जो एक दूसरे के खिलाफ़ आक्षेप किया जाता है और मैं रोक देता हूं वह प्रोसीडिंग्स में आयेगा नहीं।

श्री उदितनारायण द्वारा डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

अभी श्री उदित नारायण जी ने प्रश्न उठाया श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी के खिलाफ़ विशेषाधिकार की अवहेलना का। उनका कहना यह है कि उन्होंने यह लांछन लगाया था कि श्री चरण सिंह के खिलाफ़ कि उन्होंने एक पत्र लिखा किसी सदस्य के लिये उन्होंने इनकी मदद मांगी थी एक मुकदमें में और वही सदस्य थे जो सम्बन्धित थे किसी हत्या के सम्बन्ध में। वह कहते हैं कि ऐसा कोई भी पत्र उन्होंने नहीं लिखा। इस पर श्री वह कहती गईं कि उन्होंने लिखा। तो ऐसी हालत में विशेषाधिकार की अवहेलना हुई। तो मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि उस वक्त जो चर्चा चल गई थी मुझे जहां तक याद है चरण सिंह जी ने यह कहा कि मैंने स्त्री को पत्र लिखा तो क्या बुराई की जो मेरे पास स्त्री आई, वह कहते हैं कि उसके पति की हत्या हो गई थी, मैंने कहा कि ऐसी मदद नहीं कर सकते। श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी ने यह नहीं कहा कि आपने कत्ल कराया है। मैंने यह कहा कि मुख्य मन्त्री को उस बेवा ने यह पत्र लिखा कि उसके पति का जो कत्ल हुआ बिनौली ग्राम में उसमें कत्ल करने वालों की आपने पैरवी की सरकारी वकील तक उसकी बात पहुंचाई। यह उन्होंने कहा था। श्री चरणसिंह ने उसमें यह कहा कि जो आपने कहा उसका उलटा है जो मुल्जिम लोग होंगे वे छूट गये होंगे। सरकार की ओर से अपील हुई और जो विधवा थी उसे लिखा कि उसकी पैरवी कर दो। मेरा जवाब यह था कि मैं हाई कोर्ट में पैरवी नहीं कर सकता। लेकिन जो सरकारी वकील हैं श्री रिषीराम, जिनका काम है पैरवी करना उनके पास केवल एक खत भेज दिया। यह आप ने उत्तर दे दिया। अब जब प्रश्न में श्रीमती बाजपेयी ने चार्ज किया और श्री चरण सिंह ने उत्तर दे दिया तो मैंने मामला समाप्त कर दिया और वे बैठ गये। तब यह चीज खत्म हो गई। तो मैंने कह दिया था कि यह चीज खत्म हो गई। इस पर आप कोई सवाल नहीं कर सकते। इस पर वित्त मंत्री खड़े हुए और उन्होंने कहा कि किसको पत्र लिखा। उस औरत को लिखा या दूसरे आदमी को लिखा। सवाल है वह विधवा, उसके जीवन का उसके आदमी का कत्ल हुआ। जायज बात है। कातिल कोई दूसरा था। उस विधवा स्त्री ने शिकायत की मुख्य मन्त्री जी से कि चौधरी साहब कातिल की मदद इस तरह से करना चाहते हैं। उन्होंने उस को यह राय दी कि जिस के ऊपर मुकदमा चल रहा था यानी हाई कोर्ट में उस की अपील थी और अपील करनेवाला दूसरा आदमी यानी जो कि कातिल बनाया गया है और छूट गया है उसकी सरकार की ओर से अपील कराई गई। सरकारी वकील रिषीराम जी जाकर मुकदमे में उसके विरुद्ध पैरवी करेंगे और यह कहेंगे कि यह आदमी दोषी है। उसको सजा होनी चाहिये। इस विषय में उस विधवा की शिकायत यह है कि चौधरी साहब ने कातिलों से यह कहा कि तुम जाकर सरकारी वकील से कहो कि वह तुम्हारी मदद करेंगे। इसके ऊपर शोर हुआ और फिर मालूम नहीं क्या हुआ।

[श्री अध्यक्ष]

उसके बाद मुझे इतनी याद है कि प्रश्न यह पूछा गया कि वह पत्र किसी स्त्री को लिखा गया था या मर्द को लिखा गया था। उसका जवाब दिया गया कि मर्द को लिखा गया था और शायद उसका नाम भी लिया गया। मुझे यह भी याद है कि उन्होंने यह भी कहा था कि यह बात सही नहीं है। वह पत्र तो वकील को लिखा गया था कि वे उसके ऊपर विचार कर लें। इस पर वे चुप होकर बैठ गये। चूंकि यह बात बाद को उठायी गयी थी कि औरत को पत्र लिखा या मर्द को लिखा। ऐसी हालत में उत्तर प्राप्त होने पर वह खत्म हो गया। इसलिये अब इस सवाल को उठाया जाना मैं मुनासिब नहीं समझता क्योंकि जब आप स्वयं मौजूद हैं। एक दूसरे पर आक्षेप करते रहते हैं मुख्य मंत्री जी के बारे में आपने १०-२० उदाहरण दिये कि उन्होंने यह-यह ज्यादती की। पचासों बातें और कह दीं। अब उसका जवाब माननीय मुख्य मंत्री देंगे। वह बैठे हुए हैं। यहां पर बैठे हुओं को एक दूसरे के जवाब देने का अधिकार है। अतः वह चीज समाप्त हो गयी।

श्री उदितनारायण—]

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह नहीं है। क्योंकि आप खड़े थे इसलिये मैंने बीच में बोलना मुनासिब नहीं समझा। जैसा आपने अभी फरमाया उस वक्त चर्चा यह हो रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य मंत्री पद का दुरुपयोग हो रहा है। इस पर उन्होंने प्रत्यारोप लगाया कि आपने भी अपने मुख्य मंत्रीकाल में मुख्य मंत्री के पद का दुरुपयोग किया था। उसमें उन्होंने बताया कि ऐसा पत्र लिखा फलां तारीख को मुख्य मंत्री की हैसियत से। इस समय प्रश्न यह नहीं है कि वह पत्र मुनासिब था या मुनासिब नहीं था। इन सब बातों के अतिरिक्त एक बात यह है कि उनका यह कथन असत्य था कि मुख्य मंत्री काल में उन्होंने ऐसा पत्र लिखा था जिस पत्र का वह जिक्र कर रही हैं और जिस तारीख का वह पत्र है, उसको देखते हुए यह स्पष्ट है कि वह मुख्यमंत्रीकाल में नहीं लिखा गया था। उसके साथ में ही उन्होंने अखबारों की कटिंग भी दी है जिसमें यह लिखा है कि "ही हैज मिस-यूज्ड हिज पावर्स एज चीफ मिनिस्टर" माननीय चरण सिंह जी जिस जमाने में चीफ मिनिस्टर थे उस जमाने में यह पत्र लिखा ही नहीं गया था। जब कि उस पत्र पर तिथि लिखी हुई है। इस बात को जानते हुए भी वे कह रही हैं कि उस समय में ही लिखा गया इसलिये जानते हुए भी किसी बात को सदन के सामने गलत रखना सदन को गुमराह करना है। इसलिये उससे यह प्रिविलेज का सवाल उठता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

यहां एक महत्वपूर्ण विषय उठ खड़ा हुआ है। प्रश्न इतना ही नहीं कि चरणसिंह साहब ने कोई पत्र लिखा, उस पर सवाल हुआ या उसका जवाब हो गया। इस प्रकार से अब वह प्रश्न समाप्त नहीं होना चाहिये। यहां महत्वपूर्ण प्रश्न यह पैदा हो गया है कि उस महत्वपूर्ण पत्र की प्राप्ति माननीय सदस्या को कैसे हुई, पत्र सही है या किसी के द्वारा बनाया गया है। मेरी प्रार्थना है कि उसको सदन के पटल पर रख दिया जाय ताकि उसके बारे में पूरी छानबीन हो सके। उसके बाद आप अपना निर्णय दें कि विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है या नहीं।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यहां पर इस तरह के आक्षेप लगाये जाते हैं कि मंत्रियों ने अपनी हैसियत से मदाखलत की और उसका फायदा आपने पार्टी को पहुंचाने की बात की और उसका उत्तर मन्त्री जी दे देते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया। ऐसे मामले में मैं इजाजत दे देता कि आप उत्तर दे सकते हैं वरना मुझे रोक देना चाहिये क्योंकि व्यक्तिगत आक्षेप आप नहीं कर सकते हैं, इन्सीन्युएशन आप नहीं कर सकते हैं जानबूझ कर अगर कोई बेईमानी नहीं की। यह सदन का रिवाज नहीं है। इजाजत इसलिये दी जाती है कि चूंकि सामने बैठे हुये लोग हैं और जवाब दे दें लेकिन उसका अर्थ यह नहीं है कि हर चीज को विशेषाधिकार का प्रश्न बना दिया जाय। तो यह तो एक नीति का सवाल है। जब एक दूसरे को उत्तर दे सकते हैं तो जानकारी हासिल कर

सेना अच्छा है, लेकिन हर चीज को अगर विशेषाधिकार का प्रश्न बनाया जायगा तो जो वर्तमान मुख्य मंत्री हैं, उनके विरुद्ध जो ४०-५० उदाहरण दिए गए हैं, कि उन्होंने अपने मुख्य मन्त्रित्वकाल में अपने पद से नाजायज तरीके से मदाखलत की तो इतने विशेषाधिकार के प्रश्न नहीं हो सकते हैं। उनका जवाब तो वे देंगे और जवाब में स्पष्ट करेंगे कि वस्तुस्थिति क्या है। एक कहता है कि अमुक बात सही है और दूसरा कहता है कि गलत। तो हर एक चीज विशेषाधिकार की नहीं हो सकती है। पर इसमें एक प्रश्न अवश्य उठता है कि वह पत्र कहां से प्राप्त हुआ, सही है या नहीं, जानबूझकर या फर्जी बनाकर या किसी दूसरे के दस्तखत कराकर तो नहीं दिया। श्रीमती बाजपेयी आज सदन में नहीं हैं इसलिए उनसे जानकारी करके ही किसी निर्णय पर पहुंच सकूंगा। मुझे दिक्कत हो रही है फैसला देने में चूंकि वह मौजूद नहीं हैं। पहले मैं उनसे भी जानकारी हासिल कर लूं कि वह पत्र कहां से उन्हें मिला और चौधरी साहब से भी पूछलूंगा कि उन्होंने लिखा अथवा नहीं लिखा। उसके बाद ही इसमें निर्णय दे सकूंगा।

श्री राम विलास (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं और वह यह है कि अगर इस मामले को आपने स्वीकार कर लिया है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसे बहुत से मामले हैं, उन पर भी विचार करना बहुत आवश्यक है.....

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह तो आपको आदेश दे रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—

यह तो मुझे तय करना है। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

वित्त मन्त्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

श्रीमन्, आपने अभी कहा कि चूंकि श्रीमती बाजपेयी आज सदन में नहीं हैं, इसलिए आप उनसे विचार करके इस पर अपना निर्णय देंगे तो मैं यह समझता हूं कि क्या यह उचित होगा कि इस पर अब चौधरी साहब बोलें?

श्री अध्यक्ष—

मैंने उन्हें इजाजत दी है—

श्री कमलनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान नियमों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। नियमों में दिया हुआ है कि जब शिकायत किसी माननीय सदस्य के विरुद्ध हो तो उसे शिकायत की प्रति उपलब्ध होनी चाहिए। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जब माननीया सदस्या आज उपस्थित नहीं हैं, उनको कोई शिकायत की प्रति उपलब्ध नहीं है तो आप इस बहस को, चरणसिंह जी को खड़ा करके, आगे बढ़ने से रोकें।

श्री अध्यक्ष—

आपका व्यवस्था का प्रश्न सही है। इसीलिये मैंने कहा है कि जब वह मौजूद नहीं हैं, उस पर कोई फैसला अभी नहीं होगा। लेकिन मैंने चरण सिंह जी को केवल बोलने की इजाजत दी है।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

व्यवस्था का प्रश्न है। जब कोई माननीय सदस्य सदन में नहीं हैं तो उसके प्रति चर्चा हो सकती है ?

श्री अध्यक्ष—

पिछली बातों के बारे में चर्चा हो सकती है, लेकिन कोई फैसला नहीं हो सकता।

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, जैसा उदित नारायण जी ने कहा, राजेन्द्र कुमारी जी ने यह जिक्र किया कि मैंने गुप्ताजी के ऊपर बहुत से चार्ज लगाये और चीजें बतलाई, जिनसे भ्रष्टाचार बढ़ता है। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैंने भी अपने मुख्य मंत्री काल में अपने पद का दुरुपयोग किया और एक लेटर उन्होंने पढ़ कर सुनाया जो कि उनके हाथ में था। मैंने बाद में देखा कि उस पर ७ अप्रैल ६९, लिखा हुआ है जबकि उनका चार्ज है कि मुख्य मंत्री पद के काल में मैंने उसे लिखा हो। जब खत उनके सामने है, वह स्वयं मौजूद हैं और पत्र पर ७ अप्रैल, ६९ लिखा हुआ है तो सवाल बनता है ब्रीच आफ प्रिविलेज का कि जानबूझ कर उन्होंने गलत बयानी की है। मैं उनको झूठा नहीं कहता, लेकिन जानबूझ कर उन्होंने गलतबयानी की है और ब्रीच आफ प्रिविलेज, की मुजरिम वह ठहरती हैं। मैंने गवर्नमेन्ट एडवोकेट से टेलीफोन पर बातचीत की है। सब चीजों की जैसा कि नित्यानन्दजी ने कहा है तहकीकात हो जाय, मैं तैयार हूं। लेकिन रूलिंग इस समय केवल इसी पर होनी है कि जानबूझ कर गलतबयानी की है और सदन का अवमान किया है।

श्री अध्यक्ष—

उन्हें आने दीजिये तभी ठीक रहेगा। आपने उनको नोटिस दिया है ?

श्री उदितनारायण (जिला फतेहपुर)—

नियम में जैसी आवश्यकता है दो प्रतियां हमने भेज दी हैं, एक आपके लिये और एक उनके नोटिस के लिये।

श्री अध्यक्ष—

उनके पास नोटिस पहुंचना चाहिये।

श्री चरणसिंह—

जो खत उनके पास था मैंने खुद देखा। वह ७ अप्रैल, १९६९ का था। रास्ते में वह मुझे मिल गयीं। उनको मैं अपने कमरे में ले गया। उन्होंने कहा कि वाकई मुझसे गलती हो गयी। लेकिन अखबार में तो पहले ही वह बात छप गयी।

श्री अध्यक्ष—

अगर उनसे गलती हुई तो उनको रिगरेट एक्सप्रेस करना चाहिये।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

उस दिन मैं इस सदन में हाजिर नहीं था, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर मैं आपके द्वारा जानना चाहता हूं कि क्या कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक जीवन में रहता हो और ऊंची जगह पर रहते हुये एक मर्डरर की सिफारिश, जबकि उसके खिलाफ गवर्नमेंटकी अपीलपेंडिंग हो, सरकारी ऐडवोकेट से कर सकता है या उसको इस प्रकार का खत लिख सकता है ?

श्री अध्यक्ष—

यह सवाल दूसरा है। उन्होंने जो प्रिविलेज का सवाल उठाया वह तो इस बेसिस पर उठाया कि उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री की हैसियत से चरणसिंह जी ने गवर्नमेंट ऐडवोकेट को लिखा।

अभी हम कोई मेरिट्स के ऊपर बहस नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका जवाब हमको पहले मिलना चाहिये जिन्होंने कोई बात कही है। अब जो दूसरा सवाल है वह भी उसी वक्त तय होगा। अगर वह कहेंगी कि मुझसे गलती हुई कि मैंने उनको मुख्य मंत्री कहा तो शायद उदित नारायण जी भी प्रश्न न उठावें।

श्री चरणसिंह—

मैं यह अर्ज कर रहा था कि आपने खुद फरमाया कि सवाल इस वक्त केवल यही है कि मैंने मुख्य मंत्रित्व के काल में किया या नहीं। जो दूसरा प्रश्न गुप्ताजी ने उठाया है, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं कि अगर मैंने यह जानते हुये कि उसने कत्ल किया है और गवर्नमेंट अपील उसके खिलाफ पेंडिंग है खत लिखा है तो भी गलती है मैं माने लेता हूं अगर्चे सवाल इस वक्त केवल यही है.....

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने भी हाइपाथिटिकल बात कही और आपने भी हाइपाथिटिकल जवाब दिया। पहले फैक्टस तो मालूम हो जायं।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा बहुत नम्र निवेदन आपसे यह है कि एक तरफ तो आप यह निर्णय देते हैं कि जबतक संबंधित व्यक्ति यहां पर उपस्थित न हो तबतक कोई बात ऐसी न की जाय, जिससे उस पर किसी प्रकार का संदेह या भ्रान्ति पैदा हो सके और दूसरी तरफ आप प्रश्न को खोद कर के एक ऐसी भ्रान्ति पैदा कर देते हैं जिसकी वजह से तरह तरह के विचार लोग कर सकते हैं। जब संबंधित व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो किसी को उस पर बोलने ही नहीं देना चाहिये था। सारी बातें सदन के सामने आ गयीं और उसका परिणाम अब यह होगा कि समाचार-पत्रों में यह चर्चायें लिपिबद्ध हो जायेंगी।

श्री अध्यक्ष—

यह जो व्यवस्था का प्रश्न है इसमें मैंने ठीक व्यवस्था दी कि उनके पास में नोटिस भेजूंगा और जब वह आयेंगी तब इसके ऊपर चर्चा होगी। लेकिन चर्चा मुख्य मंत्री ने कर दी या और लोगों ने कर दी तो मैं उसके लिये रोक नहीं सकता। इसमें कोई अनुचित बात नहीं हुई है।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, माननीया राजेन्द्रकुमारी जी के खिलाफ इसलिये विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता है कि मैंने उनको एक पत्र लिखा था कि चौधरी साहब ने मुख्य मंत्रित्व काल में ऐसा किया था। उस महिला ने ऐसा पत्र लिखा था।

१९६९–७० के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत*)

श्री अध्यक्ष—

अब १९६९–७० के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा जारी होगी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आजादी के समय उत्तर प्रदेश भारत में एक उन्नत प्रदेश माना जाता था लेकिन आज दुर्भाग्य से हमारा प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, इंडस्ट्रीज और कृषि उत्पादन की दृष्टि से एक आन्ध्र प्रदेश को छोड़कर सभी से पीछे है। हमारे प्रदेश की प्रति व्यक्ति आमदनी सन् १९४८ में २४६.३३ रु० थी। १९६८ में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय २४४.५६

---

*२६ जुलाई, १९६९ की कार्यवाही से।

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

रह गई। यानी तीन योजनाओं पर अरबों रुपया खर्च होने के बाद भी वह प्रति व्यक्ति १.७३ रु० घट गई है। १९४८ में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय देश की प्रति व्यक्ति औसत आय से अधिक थी किन्तु आज देश के साथ तुलना की जाय तो मालूम होगा कि हमारे प्रदेश की प्रति व्यक्ति आमदनी करीब ३८ रु० कम है। क्या कारण है कि हम तरक्की नहीं कर सके, क्या कारण है कि हम आगे से पीछे हटते जा रहे हैं? मेरी दृष्टि से और बुद्धि के अनुसार इसका कारण यह है कि इस प्रदेश में सदैव कृषि उत्पादन की उपेक्षा हुई है और आज भी उपेक्षा हो रही है बावजूद इसके कि वित्त मंत्री जी ने कहा है कि कृषि उत्पादन पर ध्यान दे रहे हैं।

श्रीमन्, पहले बिजली ८ पैसे प्रति यूनिट दी जाती थी और इंडस्ट्रीज के लिये १२ पैसे पर यूनिट थी लेकिन १९६० में माननीय गुप्ता जी के मुख्यमंत्रित्व पद पर आते ही उन्होंने इसको बढ़ाकर १२ पैसे पर यूनिट कर दिया। इसके अतिरिक्त रोजाना हम देखते हैं कि साल में दो बार रासायनिक खाद की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं और इस वर्ष तो माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने २० प्रतिशत की वृद्धि की है। केवल एक साल का सन् ६६-६७ का कृषि का उत्पादन इस प्रदेश में बढ़ा जिससे यह गलतफहमी भारत सरकार और प्रदेश सरकार को हो गई कि हम आत्म निर्भर हो गये, और उसके फलस्वरूप पम्पिंग सेट्स के ऊपर भी उन्होंने २० प्रतिशत की ड्यूटी और फर्टिलाइजर के ऊपर नया टैक्सेशन किया। यह प्रसन्नता की बात है कि चारों ओर से दबाव पड़ने पर पम्पिंग सेट्स पर से इस ड्यूटी को हटाया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद फर्टिलाइजर पर से एक्स्ट्रा ड्यूटी नहीं हट ई गई। माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि संसार के १२६ स्वतन्त्र मुल्कों में से भारत सबसे ज्यादा गरीब देश है, लेकिन यहां के किसान को खाद की जो कीमत देनी पड़ती है वह संसार के हर मुल्क से अधिक है। अमेरिका, स्वीडन और इंग्लैन्ड सबसे धनी देश माने जाते हैं लेकिन इन देशों में भी फर्टिलाइजर की कीमत हिन्दुस्तान के मुकाबले बहुत कम है। इंग्लैन्ड में सब्सिडी दी जाती है, लेकिन यहां पर नया टैक्स फर्टिलाइजर पर लगा दिया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि कृषि उत्पादन की ओर सरकार का यथोचित ध्यान नहीं है। कृषि उत्पादन के साधनों ट्रैक्टरों व कृषि मशीनरी आदि की कीमतें बढ़ती चली जाती हैं और कृषि वस्तुओं की कीमतें घटती चली जा रहीं हैं। अभी अखबार में निकला कि उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें आज सबसे ऊंची है कंज्यूमर्स गुड्स के मूल्य सबसे ज्यादा ऊंचे हैं, लेकिन आज कृषि पैदावार की चीजों की कीमतें निम्नतर हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि १० रु० प्रति क्वींटल गन्ने की कीमत काश्तकार को मिली जबकि साढ़े सात, आठ प्रतिशत चीनी की रिकवरी थी और ज्यों-ज्यों रिकवरी बढ़ती चली गई त्यों-त्यों गन्ने की कीमतें घटती चली गईं। कहा गया कि पश्चिमी प्रदेश में गन्ने में बीमारी का प्रकोप था। लेकिन वह तो प्रारम्भ में था दिसम्बर और जनवरी में था। पहले तो गन्ने की कीमत १० रुपया प्रति क्विन्टल दी गई, लेकिन मध्यावधि चुनाव के बाद जब गन्ने की रिकवरी बढ़ती चली गई थी किसान को कीमत कम मिलने लगी। यह किसके हित में हुआ? कहा जाता है कि मिल मालिकों ने मुख्यमंत्री गुप्ता जी को चुनाव के लिये ३८लाख रुपया दिया इसलिये उन्हें यह मौका दिया गया कि वह ३८ करोड़ और उससे अधिक रुपया कमा लें इस वर्ष मालिकों को जितनी आमदनी हुई उतनी इसके पूर्व कभी नहीं हुई। फिर भी परचेज टैक्स ५० लाख रुपये का उनपर छोड़ा गया। क्या यह गन्ना उत्पादकों या मजदूरों के हित में किया गया?

अध्यक्ष महोदय, एक और अजीब बात है कि शुगर फैक्ट्री एरिया में उन व्यक्तियों को क्शर लगाने की आज्ञा है जो दूसरों का गन्ना खरीदते हैं, लेकिन जो काश्तकार स्वयं अपना गन्ना क्शर पर पेरना चाहें तो उनको इजाजत नहीं दी जाती। इसका क्या कारण है? कामर्शियल बेसिस पर जो पेरना चाहें उन्हें इजाजत है काश्तकारों को नहीं। एक गरीब काश्तकार को अपने साधनों से अपना ही गन्ना पेरने देने से क्यों महरूम रखा जा रहा है? माननीय वित्त मंत्री जी की तरफ़ से सोशलिजम की बहुत चर्चा हुई इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी और दूसरे मंत्री महोदयों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि शुगर फ़ैक्टरीज का जल्द से

जल्द राष्ट्रीयकरण कराया जाय। इससे ७२ शुगर मिलों के मालिकों का तो हित राष्ट्रीयकरण के बावजूद होगा ही लेकिन हम किसानों को और मजदूरों के हितों की भी सही रक्षा हो सकेगी और इस प्रदेश की एक नामी (आर्थिक अवस्था) के हित में हम एक सही कदम उठा सकेंगे। माननीय नेता विरोधी दल ने शुगर मिलों के राष्ट्रीयकरण की मांग की है। पहिले तीन वर्षों में बिजली के चार्जेज में इंडस्ट्रीज को १५ परसेंट तक सुविधा दी है लेकिन कृषकों के लिये २ पैसे की छूट भी मुअस्सर नहीं है। और वह इसलिये कि माननीय मुख्य मंत्री इंडिस्ट्रियलिस्टस के हित में हैं और किसानों के खिलाफ़ हैं। इस प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था सुधर नहीं सकती जब तक कि यहां कृषि का उत्पादन न बढ़े और वह उसी समय हो सकता है जब कि कृषि-उत्पादन के सभी साधनों को जुटाया जा सके, बिजली और पानी आदि की सुविधायें बढ़ाई जावें। यहां यह कहा जाता है कि हम बिजली पानी की सुविधायें बढ़ाने जा रहे हैं लेकिन भारत भर में जितने आज सिंचाई के साधन हैं उनमें आधे से अधिक यानी ५०·२ प्रतिशत अकेले मद्रास प्रान्त में विद्यमान हैं। अब से २ वर्ष पूर्व केवल ३·३ प्रतिशत सिंचाई के साधन हिन्दुस्तान के मुकाबले में उत्तर प्रदेश में थे। इस दृष्टि से हम कितने पीछे हैं। हिन्दुस्तान में २२ प्रतिशत ही हमारा सिंचाई का रकबा है इस पर भी भारत सरकार द्वारा हमारे सिंचाई साधन, पम्पिंग सेटस आदि पर एक्स्ट्रा ड्यूटीज लगाई जाये। क्या यह इस बात को साबित नहीं करता कि न तो उत्तर प्रदेश और न ही भारत सरकार सिंचाई के साधनों को बढ़ाने में दिलचस्पी रखते हैं? मैं मैसूर और मद्रास गया था। इन दोनों ही स्थानों पर कृषकों को ज्यादा से ज्यादा सिंचाई साधनों की सुविधायें दी जाती हैं। इन्डस्ट्रीज के मुकाबले में कृषि कार्यों के लिये बिजली के काफी कम रेट्स हैं। तो निवेदन है कि दूसरे प्रदेशों की भांति हम भी चेष्टा करें कि हर हर तरीके से कृषि को बढ़ावा दिया जाय जिससे यह प्रदेश कृषि पदार्थों में भी आत्म निर्भर हो सके। उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह आवश्यक है।

इसके अलावा मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि मुख्यमंत्री जी का ध्यान केवल बड़े उद्योगों की तरफ़ ज्यादा जाता है काटेज इंडस्ट्रीज उन्हें पसन्द नहीं। बिड़ला को और मोदी को बौराला के फ़ार्म को ३ सौ ४ सौ एकड़ ५० लाख रुपये की जमीन मुफ्त ही दी जा रही है इस वजह से कि बड़े आदमी फ़ायदा उठावें। जो अरबों और करोड़ों रुपया फ़ैक्टरी पर खर्च कर सकते हैं वह जमीन के खरीदने पर सही मार्केट वैल्यू दे कर भी जमीन खरीद सकते हैं किन्तु उनको भी मुफ्त जमीनें दी जा रही हैं। इसलिए जहां माननीय मुख्य मन्त्री का ध्यान बड़े उद्योगों की तरफ है, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि छोटे उद्योगों की तरफ भी उनका ध्यान जाय। पंजाब में एक भी बड़ा उद्योग नहीं है। पानीपत और रोहतक में और गंगा नगर में ये तीन फैक्ट्रियां हरियाना में लगी हुई हैं। पंजाब में एक आध ही शुगर फैक्ट्री है उसके अलावा कोई बड़ी इंडस्ट्री पंजाब में नहीं है लेकिन भारत में कृषि व छोटे उद्योगों के आधार पर पंजाब की प्रति व्यक्ति आमदनी सबसे अधिक है। इसलिए अगर हम जापान से सबक नहीं लेते, जिसने लड़ाई के बाद २५६ प्रतिशत अपनी नेशनल इन्कम बढ़ायी है, तो कम से कम पंजाब से ही सबक ले सकते हैं। यह मेरे चन्द सुझाव हैं।

अब मैं कुछ शिकायतों पर आता हूं। जहां तक ऐडमिनिस्ट्रेशन की बात है माननीय पंत जी के जमाने में हमारा प्रदेश ऐडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से देश में अग्रगीय माना जाता था। दूसरे प्रदेश यहां के ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स को अपने यहां मंगाते थे। आज हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की हालत गिरती चली जा रही है। एडल्ट्रेशन (मिलावट) बढ़ता जा रहा है। न तो ईश्वर का डर है, न हुकूमत से डर है और न तो जनता से ही डरते हैं। अडल्टरेशन इस कदर होता है जैसे उसने अडल्ट्रेशन का लाइसेन्स प्राप्त कर लिया हो। भ्रष्टाचार भी बढ़ता चला जा रहा है और अनइम्प्लायमेंट भी बढ़ता चला जा रहा है। क्या करेंगी हमारी ये योजनाएं अगर बेरोजगारी बढ़ती चली जाय और जितना भी रोजगार अभी तक योजनाओं के मातहत दिया गया है, वह अनुत्पादक था। इसीलिए हमारी प्रति वर्ष आमदनी में वृद्धि नहीं हो सकी। जहां तक ला-एण्ड आर्डर का सवाल है, हाउस में रोज जिक्र होता है, सीतापुर में ग्यारह आदमी जिन्दा जला दिये जाते हैं। इलाहाबाद में एक आदमी को मार कर गंगा जी में फेंक दिया जाता

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

है। गोरखपुर और मिर्जापुर की हत्याएं आपके सामने आ चुकी हैं। इसके अलावा फर्रुखाबाद और दूसरे स्थानों पर कत्ल हुए। हमारे ला-ऐण्ड आर्डर की सिच्युएशन बहुत गिरावट पर है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम ला-एण्ड आर्डर सिच्युयेशन की तरफ ध्यान दें। एडमिनिस्ट्रेशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। ऐडमिनिस्ट्रेशन में जनता का विश्वास नहीं रहा तो हमारे प्रशासन को खतरा पैदा हो जायगा, न डिमाक्रेसी चल सकेगी और न प्रशासन चल सकेगी। माननीय मुख्य मन्त्री जी इस तरफ ध्यान दें और पक्षपात और बदले की भावना छोड़ दें, जिस प्रकार पक्षपात व बदले की भावना से वह काम कर रहे हैं उससे इस प्रदेश व इस प्रदेश की जनता का नुक्सान होगा। नारा लगाया जाता है कि इम्मोशनल इन्टीग्रेशन की आवश्यकता है, लेकिन यहां गुप्ता जी ने अपने प्रशासन में जाति की बिना पर अपने विश्वासपात्र आदमियों को ऊंचे-ऊंचे पदों पर नियुक्त किया है। जब माननीय बहुगुना जी इस स्थान पर बैठते थे और माननीय चौधरी चरण सिंह मुख्य मन्त्री थे, तो भाषण में यह कहा गया कि श्री चरण सिंह जी ने अपने भाई या भतीजे को इलाहाबाद हाई कोर्ट में गवर्नमेन्ट एडवोकेट नियुक्त किया, ऋषी राम अग्रवाल जिनको उनका भाई कहा जाता है, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन कौन है, एडवोकेट जनरल जो जूनियर मोस्ट हैं, उनको बनाया, जिनके यहां जा कर गुप्ता जी ठहरते हैं। आपके डाइरेक्टर पंचायत राज कौन हैं? जो सहारनपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, और जिनको सस्पेंड किया जा चुका था और जिनके खिलाफ सीरियस चार्जेज थे, उनको बहाल किया जाता है और उनको डाइरेक्टर पंचायत राज बनाया जाता है। आज डाइरेक्टर आफ एग्रीकलचर कौन है? जो रिटायर्ड डाइरेक्टर आफ एग्रीकलचर थे उनको कानपुर एग्रीकलचर इन्स्टीट्यूट का प्रिन्सिपल बना दिया जाता है .....

श्री अध्यक्ष—

जो सरकारी नौकर हैं उनका नाम लेकर चर्चा न की जाय।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

इसी सदन में पहले इस तरह के पक्षपात के चार्ज लगाया गया था तो उसी का जवाब दे रहा हूं। अगर इस तरह से पक्षपात को लेकर यह सरकार चलेगी तो एडमिनिस्ट्रेशन चौपट हो जायगा और शासन के ऊपर से जनता का विश्वास उठ खड़ा होगा। जब श्री गुप्ता जी मुजफ्फरनगर जाते हैं तो श्री जगत प्रसाद अग्रवाल के यहां जाकर ठहरते हैं। वह ६० साल के हो कर जी० टी० सी० से रिटायर्ड हुये जिले से नये प्रार्थना पत्र मंगा लिये गये। इन्टरव्यू की तिथि मुकर्रर कर दी गई लेकिन थोड़े दिन के बाद यहां से गुप्ता जी का आर्डर जाता है कि उनको कन्टीन्यू रखा जाय जब तक कि और आदेश न दिया जाय। प्रदेश में और कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा, मान्यवर। जितने भी कांग्रेस के पराजित मन्त्री हैं उनका नाम लेना मुनासिब नहीं है लेकिन उन सबको अच्छी-अच्छी जगहों पर बिठा दिया गया है, प्रदेश के टैक्स देने वालों की कास्ट पर। भारत सरकार भी यही करती है कि जितने भी मन्त्री हार जाते हैं उनको वह गवर्नर बना देती है या किसी को कमीशन का चेयरमैन बना देती है। यह गुप्ता जी की खास बात है कि वह अपने साथियों को नहीं छोड़ते हैं। कहीं न कहीं अपने हारे हुए साथी मन्त्री या एम० एल० ए० को वह एडजस्ट कर देते हैं। जब हार जाते हैं तो वह जनता के नुमाइन्दे नहीं रहते हैं फिर उनको रख लिया जाता है तो यह कहां का न्याय है? मैं उस गोली कांड की चर्चा नहीं करता जिसका केस अदालत में जा चुका है लेकिन दूसरे केस की जो पेश्तर रिपोर्ट की गई थी आज तक ६ महीने बाद भी उसको अदालत में नहीं भेजा गया जिसकी एफ० आई० आर० पहले से थी जिसमें ६५ आदमी गोली के शिकार हुए थे और ५ आदमियों की आंखें खत्म हुई थीं और ५ आदमियों के गोली आरपार हुई थीं जिनमें बच्चे, बूढ़े और औरतें भी थीं। उनके लिये सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई। अगर कीकर बोई जायगी तो उस पर कांटे ही लगेंगे और आम बोयेंगे तो आम खाने को मिलेंगे। मैं गुप्ता जी से अपील करना चाहता हूं कि अगर नित्य प्रति यही पक्षपात किया जायगा तो जिस प्रकार से बीज बोया जायगा

उसी प्रकार से उसको काटना होगा। प्रदेश में किसी प्रकार से भी सद्भाव नहीं हो सकता है यदि नफरत प्रदेश के अन्दर बढ़ती चली जाय और आप के बाद आने वाले लोग इस बात को महसूस करेंगे कि पहले लोगों ने गलती की थी जो जाति-बिरादरी के नाम पर काम किया था।

जहां तक डिफेक्शन का प्रश्न है इसका बहुत चर्चा किया गया। आज भी श्री चरण सिंह जी के डिफेक्शन का चर्चा किया जाता है। अभी इस प्रदेश में आप के रहते हुए गुप्ता जी ने दो माननीय सदस्यों को अपनी पार्टी में तोड़कर मिलाया है। राजस्थान के अन्दर हम देखते हैं कि १९ सदस्यों को तोड़ कर सुखाड़िया जी अपनी सरकार चला रहे हैं। भारत सरकार भी संसद में दूसरी पार्टी के लोगों को अपनी पार्टी में मिलाती है। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? आपने पंजाब में देखा जब पिछली बार मिनिस्ट्री गिरी थी कि क्या हुआ था। बिहार के डिफेक्शन का हाल सबको मालूम है। मेरा आपसे निवेदन यह है कि यह हमारे प्रदेश के लिये बहुत नुक्सानदेह बात होगी अगर हम प्रदेश के लिये सद्भाव की मंशा से काम नहीं करेंगे और सद्भाव का ध्यान नहीं रखेंगे।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट को बनाने में जो मेहनत की है, उसके लिये में उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। खासतौर से यह ४८–४९ करोड़ के घाटे के होते हुए भी उन्होंने कुछ ऐसे करों की तरफ ध्यान नहीं दिया जिसकी चर्चा बहुत हो रही थी और उससे हम लोग बहुत घबड़ा भी रहे थे। श्रीमन्, उन्होंने जनता की बातों को ध्यान में रखा और कर लगा कर जहां से संसाधन बढ़ाने की कुछ चेष्टा की, मैं समझता हूं कि उसका माननीय सदस्यों को स्वागत ही करना चाहिए। उन्होंने शराब पर कुछ बिक्री-कर लगाया और कुछ ऐसे ही मामले में उन्होंने अपने कर संसाधन बढ़ाने की चेष्टा की है और उसके लिये श्रीमन्, उनकी जितनी भी तारीफ की जाय वह थोड़ी है।

एकाध बात मैं उनसे सुझाव के रूप में रखना चाहता हूं। कुछ किफायतशारी जो कि आंशिक मामले में हुई है, उनका ख्याल है कि विभागीय लोगों के दौरों को कम करके २ करोड़ रुपय की बचत हो जायगी। बहुत अच्छी बात है कि इतनी बचत हो जायगी। लेकिन जहां तक माननीय सदन की किसी कमेटी को कहीं जाने देने में, माननीय सदस्यों के सूबे के किसी भी कोने में पहुंचने में और सूबे की जानकारी प्राप्त होने देने में जो किफायतशारी उन्होंने की है, मैं अदब के साथ कहना चाहूंगा कि कुछ स्वार्थी लोगों ने इस तरह की उनको सलाह दे दी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि देश में एक तरफ नौकरशाही है और दूसरी तरफ पब्लिक वर्कर्स हैं, उन दोनों के बीच में द्वंद है। असेम्बली के सदस्य या विधान परिषद् के सदस्य अगर सूबे में कहीं जा कर कुछ देख सकें और अपना ज्ञान वर्द्धन कर सकें– जिलों में उनकी कमेटी बैठेगी तो मेरा भी ऐसा ख्याल है कि वह खर्चा करोड़ों तक नहीं पहुंचेगा बल्कि वह खर्चा केवल लाखों में ही रहेगा और इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हमारी आंखें कुछ तेज हो सकेंगी और इससे हमारा कुछ ज्ञान वर्द्धन हो सकेगा। जब माननीय सदन के माननीय सदस्यों का कुछ ज्ञानवर्द्धन होगा तो उसमें कितनी किफायतशारी होगी। वह एक रुपया १०० रुपये की किफायतशारी करायेगा। क्योंकि हमको आने जाने के लिये पास तो मिले हुए हैं, केवल टी० ए० और इंसिडेंटल चार्जेज ही मिल सकेंगे। तो मेरा निवेदन है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए उस हिस्से को वे निकालें और आज भी कम से कम इस बात की चेष्टा की जाय ताकि माननीय सदस्यों को यह मौका मिल सके और इस सूबे के प्रशासन में जो अंशदान उन्हें देना है, उसके देने में कहीं गलती न करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

मैं चाहता हूं कि इस देश में सरकार के पास भारी सम्पत्ति आनी चाहिए और उस सम्पत्ति का ठीक से उपयोग होना चाहिये। मैं माननीय नेता विरोधी दल का बहुत आभार मानता हूं और उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जब कि उन्होंने अब की मर्तबा सरकार के हाथ में धन ले आने के लिये एक बहुत अच्छी सिफारिश की। उन्होंने कहा कि बिक्री कर से दुगुनी आमदनी हो सकती है। मेरा विश्वास है कि केवल दुगुनी नहीं बल्कि उससे ज्यादा आमदनी हो सकती है। श्रीमन्, मैं जल्दी में माननीय वित्त मंत्री जी—मुख्य मन्त्री जी भी मौजूद हैं, उनके सामने यह रखना चाहता हूं कि बिक्रीकर की आमदनी जो है वह हमारे राज्य में, पूरे भारत में सब से कम है। जम्मू कश्मीर को आप छोड़ दें, लेकिन और जगह, जैसा कि पिंडारा जी ने कहा, सब जगह टैक्स से आमदनी हमारे मुकाबले में बहुत ज्यादा है। हमारे यहां ४ रुपया प्रति व्यक्ति इससे आय है जब कि दूसरे प्रदेशों में २५ रुपये तक और कहीं-कहीं इससे भी ज्यादा है। बिहार में १९६७-६८ में इससे आमदनी २८ करोड़ २ लाख थी। केरल में इसी वर्ष २२ करोड़ २४ लाख की थी। बड़े-बड़े प्रदेशों को मैं छोड़े देता हूं। इनके मुकाबले में हमारे यहां इससे आमदनी ३३ करोड़ ९४ लाख थी। अब जरा सोचिये कि हम कहां हैं। मैं समझता हूं कि इससे हमारी आमदनी ८० करोड़ की हो सकती है यदि इस विभाग की मशीनरी को और अधिक एफ़ीशियेन्ट बनाया जाय। यदि इससे ४० करोड़ की आमदनी बढ़ जाती है तो आप का यह जितना भी डेफिसिट है वह आगे चल कर फायदे में बदल जायेगा। इसके लिये जरूरत इस बात की है कि इस विभाग की मशीनरी को और अधिक कुशल बनाया जाय। आप अपने लखनऊ शहर में ही देखिये, साइकिल, मोटर, स्कूटर, बैलगाड़ी आदि के जो टायर बिकते हैं वे लिस्ट प्राइस से दुगने दामों पर बिकते हैं और रसीद लिस्ट प्राइस की दी जाती है। इसी तरह से और भी चीजें हैं, जिनकी दुकानदार रसीद काटते ही नहीं और इस प्रकार लाखों रुपया सेल्सटैक्स का मारा जाता है। अगर इनकी धड़पकड़ हो तो काफी बिक्री कर से आय हो सकती है। आप इस बात में सख्ती करें कि दूकानदार जो बेचें, उसका कैशमेमो दें।

इसके अलावा प्रदेश में ईंट के भट्ठे चल रहे हैं। किस कीमत पर बेचते हैं वे, इसको मैं छोड़े देता हूं लेकिन जिन दामों पर बेचें, उसी पर सेलटैक्स वे दें तो कहीं ज्यादा आय हो सकती है। मैं देवरिया का उदाहरण देता हूं—वहां पर ईंट के भट्ठों से १९६५-६६ में ८ लाख की आमदनी थी, जो १९६६-६७ में बढ़ कर २२ लाख हो गयी। प्रतापगढ़ को ले लीजिये, वहां भी आमदनी बढ़ कर दुगनी हो गयी। इसी तरह अगर हर जिले में चेकिंग की जाय, सख्ती हो, तो हर जिले की आय बढ़ सकती है।

माननीय नेता विरोधी दल ने जो और बातें कही हैं, उनको मैं छोड़े देता हूं, मगर जो उन्होंने चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की बात कही है, श्रीमन्, वह बहुत जरूरी है। बिना उनका राष्ट्रीयकरण किये हमारा प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता। श्रीमन्, आपके सामने उदाहरण है कि जहां सब से अधिक मिलें हैं वहीं सब से अधिक दरिद्रता है। गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से सर्वे करने के लिये एक टीम आई थी उसने यह कहा कि उत्तर प्रदेश के २२ जो पूर्वी जिले हैं, वे सब से दरिद्र हैं और उन २२ जिलों में देवरिया जिला है। देवरिया जिले में तो १४ शुगर फैक्टरियां हैं। इन १४ शुगर फैक्टरियों की क्या करामात है कि वहां आज भी भुखमरी होती है। श्रीमन, मैं समझता हूं कि इसके पीछे कारण हैं और बड़े मजबूत कारण। सन् १९३० और सन् १९५० तक इन्होंने करोड़ों गन्ना उत्पादकों और उपभोक्ताओं से लूट की है और उस लूट का हिसाब मैं कह रहा हूं आप को कहीं नहीं मिलेगा। वह सारी लूट या तो इनकी ऐय्याशी में खर्च हुई या कोई समझ वाला था तो उसने कहीं, बम्बई वगैरह में कोई कारखाना खरीद लिया। श्रीमन्, वह उस चीनी [illegible] जायदाद नहीं है, वह जायदाद उनकी है जो १९५० तक

मोनोपली थी गन्ने में, शुगर बनाने में और उस शुगर बनाने के द्वारा देश के उपभोक्ताओं का गला काटा। उसको इकट्ठा किया और इकट्ठा कर के इन मिलों को बरबाद कर दिया। कोई टेक्नीकल डेवलपमेंट नहीं होने पाया और टेक्नीकल डेवलपमेंट न होने के कारण आज श्रीमन्, हमारी हालत यह है कि यह सरकार-सरकार चिल्ला रहे हैं कि सरकार हमको धन दे और दूसरों सूबे के मिलों और गन्ना काश्तकारों का मुकाबला करने में मदद करे। कैसे मदद हो सकती है? जब एक सौ मन गन्ने में साढ़े ग्यारह मन चीनी निकलती है तो उत्तर प्रदेश में एक सौ मन गन्ने में साढ़े नौ मन की चीनी निकलती है। दो मन चीनी जो अतिरिक्त निकलेगी वह सस्ते दाम में हो जायेगी।

अब यह कहते हैं कि चीनी हमारी महंगी करो, स्केर्सिटी ले आओ। गन्ना कम पैदा हो, चीनी कम बने, तब उत्तर प्रदेश और बिहार में चीनी मिलों की हालत ठीक हो। इसलिये इस पर सरकार को बड़ी गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिए और अगर अफीम, नील और कपास की तरह से गन्ने को खत्म ही करना है तो जरूरी है कि गन्ने की मिलों को अपने हाथ में लो। वह दिन दिखा देगा जिस दिन सरकार चीनी मिलों को लेकर चलेगी। सरकार कोआपरेटिव मिल चला रही है, निजाम हैदराबाद की मिल चला रही है। उसके नतीजे को देख लीजिये कि क्या नतीजा हो रहा है। श्रीमन, मैं यह समझता हूं कि विश्वास के साथ सरकार को कदम उठाना चाहिये और सरकार ही नहीं विरोधी दल और सरकार दोनों मिल कर इस कदम को उठाकर इस सूबे का भला करें।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें। मैं बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूं। श्रीमन्, मुझे शिकायत है और मुझे ही नहीं शिकायत होगी, सब को शिकायत होती है नेता विरोधी दल से, यद्यपि मैं जानता हूं कि यह आंकड़ों के पंडित हैं लेकिन मुझे अफसोस हुआ यह सुनकर उनके मुंह से कि उत्तर प्रदेश में मजदूरी सब से अधिक है। वे तो उठकर चले गये, शर्मा जी उनके मित्र हैं दामन की तरह इसलिये वे सन्देश पहुंचा देंगे मैं ऐसा समझता हूं। वे १९६८ का जो गवर्नमेन्ट आफ इंडिया का पब्लिकेशन "इन्डिया" है उसे कृपा कर के देखें लें और ३९० पन्ना देखें। उसमें श्रीमन्, ऐसा है कि हमारी पर कैपिटा एन्युअल अर्निंग ४०० से कम पाने वाले फैक्टरी वर्कर्स की १,९४६ रुपया है जब कि पश्चिमी बंगाल की २,०२९, आंध्र की २,०२४, आसाम की २,१३० तथा बिहार की २,०५० है। लेकिन उनका घर हरियाणा के नजदीक पड़ता है। हरियाणा मजदूर की जो आमदनी है वह कम है, १,७१२ रुपया है। अब यह बात मैं स्वयं नहीं कह रहा हूं। यह इस किताब की बात है। चौधरी साहब के विचार से भी यही बात है कि यू० पी० के मजदूरों को ज्यादा मिलता है। उस कुर्सी पर खड़े हो कर यह बात कह पाना मामूली खतरे की बात मैं नहीं समझता। वे सरकार को तो कहते हैं कि वह मिल मालिकों की पोषक है। सरकार को तो हमेशा ही मिल मालिकों की पोषक कहा जाता है और वह किसी हद तक ठीक भी हो सकता है लेकिन इस सूबे के मजदूरों को अधिक वेतन मिलता है, इसके माने क्या होते हैं?

मैं चाहता हूं कि सरकार उनसे इस बात को पूछे, उनकी सलाह से काम करे। मैं तो उनकी सलाह से बिलकुल भी सहमत नहीं हूं। कभी भी उनकी राय उन लोगों के पक्ष में नहीं रही और यही कारण है कि हमारे यहां लोगों की इतनी दुर्गति हो रही है। इसी का दुष्परिणाम है कि आज सारे भारतवर्ष में हमारा प्रदेश १९५०–५१ से लेकर १९६५ तक फ़सल के उत्पादन में जब कि पंजाब और मद्रास जैसी स्टेट्स में ग्रोथ रेट ४ या ४ से ऊपर है, हमारे यहां उत्तर प्रदेश में १.२ है। श्रीमन् १६ सूबों में केवल एक सूबा ही हमारे नीचे है और १५ हमारे ऊपर हैं। यह मजदूरी कम होने का ही फ़ल है। उसके लिये जिम्मेदार कौन है? उसके लिये मैं जिम्मेदार नहीं हूं। उसके लिये जिम्मेदार वे हैं जो १५ साल से वहां कुर्सी पर बैठे हुए थे और जब मैं कहता था तो कहते हैं कि गेंदा सिंह तो बार-बार मुखमरी की बात कह कर सूबे का मनोबल गिराता है। श्रीमन्, यह दुश्वारी इस सूबे की है।

*श्री चरणसिंह (जिला मेरठ)—

श्रीमन्, मेरा एक पर्सनल एक्सप्लेनेशन है। इत्तफ़ाक से मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था और मैंने स्पीकर को कनेक्ट कर दिया तो मैंने गेंदा सिंह जी की स्पीच सुनी। मुझे माननीय गेंदा सिंह जी से हमदर्दी है कि वह जिस जोश से बोल रहे थे, उससे उनको पसीना आ गया होगा लेकिन वह गलत बोल रहे थे और मेरा जिक्र कर रहे थे। आप मिसाल दे रहे थे एग्रीकल्चर लेबर का और मैं कह रहा था फ़ैक्ट्री लेबर के बारे में, उनके वेजेज के बारे में। आपने हरियाणा की मिसाल भी दे डाली। मैंने सोचा कि अगर आप इसी जोश से बोलते रहे तो बहुत स्ट्रेन पड़ जायगा। इसलिये मैं चला गया। जब हम अपने सूबे की आमदनी को देखेंगे तो उसको अमेरिका की आमदनी से कंपेयर नहीं करेंगे। हम तो जब कोई बात करते हैं तो आमदनी के प्रपोर्शन को देख कर ही करते हैं। अपने सूबे की आमदनी से ही तो उसके लेबरर्स के वेजेज को कंपेयर किया जायगा।

श्री गेंदा सिंह—

मैं चौधरी साहब को बहुत धन्यवाद देता हूं। वे बहुत ठीक वक्त पर आ गये। लेकिन बुढ़ापे में आंखें और कान थोड़ा धोखा देने लगते हैं। मैं उनकी सेवा में यह कह रहा था। १९६८ का जो हिन्दुस्तान पब्लीकेशन है भारत सरकार का उसको कृपा कर के वे देख लें। उसका पेज ३९० कृपया देख लें। मैं चाहूंगा कि चौधरी साहब की जो रिजनल मामले में रा० है उसे वे बदलें। हमारे माननीय विरोधी दल का यह कर्त्तव्य था कि आज जो करोड़ों आदमी भूख से पीड़ित हैं, उनके बारे में वे सब से पहले कुछ कहते। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में जो बजट प्रस्तुत है, उसके सम्बन्ध में मैं अपने विचार प्रकट करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, हमारे आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसे देखने से साफ़ जाहिर है कि यह कांग्रेस सरकार का किसान विरोधी बजट है। धीरे धीरे उन्होंने किसानों के हित में सोचना कम कर दिया है। इतना ही नहीं किया बल्कि बजट के अन्दर ऐसी चीजें हैं जो कुछ किसानों के विरोध में हैं। भूमिधरी के अधिकार प्राप्त करने के लिये अब तक नियम यह था कि सीरदार १० गुना लगान जमा कर देता था। परन्तु आज बजट में देखने से विदित होता है कि इसमें २० गुने का प्राविधान किया गया है। जो भूमिहीन किसान है सीरदारी के रूप में कार्य करता है, उसको आज १० गुना जमा करना ही कठिन होता था लेकिन उसके स्थान पर २० गुना करके, इस सरकार ने किसानों का सर्वथा अहित किया है।

खेती के लिए किसानों को सबसे पहली जो चीज मिलनी चाहिये थी वह था पानी। बजट में जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि सिंचाई के सम्बन्ध में जो आश्वासन पिछले निर्वाचन में अपने घोषणा-पत्र में कांग्रेस पार्टी ने दिया था, उससे वह मुकर रही है। हमारे वित्त मन्त्री जी ने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाने वालों को तो अनेक प्रकार की छूट दी है, कम रेट पर उन्हें बिजली देने का वायदा किया है, कम कीमत पर भूमि, टैक्सों में छूट आदि आदि। लेकिन किसानों को किसी प्रकार की छूट नहीं दी गयी है। कांग्रेस सरकार को इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि जो व्यक्ति सिंचाई के लिए, पंपिंग सेट्स के लिए या नलकूप के लिए बिजली लेगा उसे हम कम रेट पर बिजली देंगे। सरकार को सोचना चाहिए था कि क्या बड़े-बड़े लोगों को फ़ैक्ट्रियों और उद्योगों के लिए कम रेट पर बिजली दें या किसानों की सिंचाई के लिए, इससे सरासर सरकार की किसान विरोधी भावनायें जाहिर होती हैं। खाद की कीमत भी बढ़ गयी। अभी अभी हमारे मित्र ने कहा कि खाद के ऊपर जो ड्यूटी लगी वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं हटी। रासायनिक खाद की मांग बढ़ती जा रही है। सरकार को यह चाहिए था कि इस बजट में गोबर से खाद बनाये जाने के बारे में विचार करती और सही रेट पर खाद की व्यवस्था करती। जब तक किसानों को खेती द्वारा उत्पन्न किये हुए अनाज का ठीक मूल्य नहीं मिलता तब तक किसान को उत्साह नहीं मिलता। आज लाभप्रद मूल्यों का निर्धारण नहीं हो पा रहा है। गन्ने को लीजिये, उसकी कीमत गिरती जा रही है और चीनी का भाव उसके अनुपात में कम नहीं हो रहा है। गन्ने की कीमत अगर १० रुपये कुन्तल निर्धारित की गयी है तो चीनी का भाव १२० से १५० रुपये कुन्तल आता है लेकिन बाजार में चीनी २०० रुपये कुन्तल से ज्यादा बिकती है और इस पर चीनी मिलों के घाटे की बात कही जाती है और उनके बारे में चिन्ता व्यक्त की जाती है। श्रीमन्, भूमिहीन किसानों के लिये इस बजट में कोई स्थान नहीं है।

सरकार द्वारा जमीन का उचित ढंग से बटवारा भूमिहीन किसानों को होना चाहिये। जोत के हदबन्दी का कड़ाई से पालन करना चाहिये। खेत पर काम करने वाले की आर्थिक स्थिति आज बड़ी दयनीय है और पूर्वी जिलों में दो रुपये प्रतिदिन से ज्यादा कहीं प्राप्त नहीं होते। जो बजट आज प्रस्तुत किया गया है उसमें भूमिहीन किसान को गारंटी मिलनी चाहिये थी एक निश्चित दैनिक रेट तय होना चाहिये था। हमारी राय में खेतिहर मजदूरों के लिये कम से कम १५० रुपये मासिक वेतन निश्चित होना चाहिये।

गांव में लघु उद्योग पनपने चाहिये। गांधी जी यह सोचते-सोचते चले गये। गांधी जी ने कहा था कि गांव की आर्थिक उन्नति तभी हो सकती है जब गांव में छोटे-छोटे उद्योग धन्धे लगें लेकिन आज इस पर बल नहीं दिया जाता। गांव में उद्योग की स्थापना से शिक्षित तथा अशिक्षितों को काम मिल सकेगा। जवान खाली वक्त में फ़ैक्टरी में काम करेगा और खेती के समय खेत पर काम करेगा। जो आर्थिक ढांचा उत्तर प्रदेश का है उससे उत्तर प्रदेश का उत्थान नहीं हो सकता। खेत के ऊपर व्यक्ति का भार कम पड़े इसके लिये छोटे उद्योग-धन्धे पनपाने होंगे। शिक्षित बेकारों के लिये इस बजट में कोई योजना नहीं है, जिसका होना नितान्त आवश्यक है। बेकारी भत्ता का प्राविधान होना चाहिए। श्रीमन्, कांग्रेस सरकार का यह बजट हरिजन विरोधी बजट है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में हरिजनों के लिये १ करोड़ २६ लाख का प्राविधान है जो २३ पैसा प्रति हरिजन पड़ता है। इससे उनका उत्थान नहीं हो सकेगा। मकान और पीने के पानी के लिये ५ लाख ५० हजार की व्यवस्था है, जो कि २ पैसे प्रति हरिजन पड़ता है इससे भी समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा। सुअर पालिये, मुर्गी पालिये इस प्रकार का अनुदान दे कर राज्य सरकार हरिजनों को हरिजनों के रूप में ही रखना चाहती है।

हरिजनों को उद्योगों एवं लघु उद्योगों के लिये ऋण दीजिये। व्यक्तिगत जमानत पर ऋण दीजिये। आज जिसके पास जमीन या मकान है उसको तो ऋण मिलता है लेकिन जो भूमिहीन किसान हैं उनको किसी प्रकार का ऋण नहीं मिलता। श्रीमन्, आप कहें तो मैं इनकी आय के स्रोतों को बता दूं क्योंकि सरकारी पक्ष की ओर से बार-बार कहा जाता है कि विरोधी पक्ष की ओर से आय के स्रोत नहीं बताये जाते। बहुत से ऐसे विभाग हैं जो अनुपयोगी हैं, जैसे प्रान्तीय रक्षक दल की स्थापना १९४८ में हुई थी। उसकी आज कोई आवश्यकता नहीं है। उसको तोड़ कर लाखों रुपये की बचत हो सकती है। इसी प्रकार बांट और माप विभाग पर २४ लाख का खर्च है और २१ लाख की आमदनी है। इसको तो तोड़ दिया जाय तथा ब्लाक खंडों को तोड़ कर व्यय बचाया जा सकता है। आपने बजट में नये पदों का सृजन किया है। यदि आप उसे रोक दें और मौजूदा लोगों से ही काम लें तो काफ़ी बचत होगी। जिला केन्द्रों पर प्रदेश सरकार द्वारा एक कार्यालय की स्थापना की जाय। आज कई-कई स्थानों पर भारी किराये दे कर कार्यालय रखे गये हैं। इसमें बहुत खर्चा होता है। किन्तु अस्थायी पदों को स्थायी करने में कमी नहीं की जा सकती। विभागों के अन्दर जैसे रेडियो, कार, मोटर आदि के लिये व्यय रखा गया है इसमें कटौती की जा सकती है। एलाटमेन्ट की जगह पर यदि

[श्री शंकरप्रसाद जायसवाल]

आप नीलाम कर दें तो करोड़ों की आमदनी बढ़ जायगी, जैसे विदेशी शराब की दुकानें, स्पिरिट की दुकानें, बस की परमिट, राज्य सरकार की जमीनों का नीलाम। एरियर्स के बारे में सेल्स टैक्स तथा अन्य टैक्स जो २० करोड़ से अधिक है वसूल किया जाय। अकेले बनारस में एक सज्जन के ऊपर उद्योग का इतना ऋण है कि यदि उनसे वह रुपया वसूल कर लिया जाय तो बनारस की इंच-इंच जमीन की सिंचाई हो सकती है। किन्तु मैं हथ करघे से बने बनारसी कपड़ों पर लगे सेल्स टैक्स की दर की बढ़ोत्तरी का विरोध करता हुआ इस बजट का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

सुबह से संसोपा के सदस्य खड़े होते हैं बैठते हैं, उनको समय नहीं मिलता। इसलिये आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे सब मुतमईन हों।

*श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट के लिये वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं। बजट में कई अच्छी बातें हैं, जैसे निर्बलों पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। अध्यापकों के लिये ९ करोड़ ५० लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। शिक्षा पर २० प्रतिशत खर्च करने का निश्चय किया गया है। भूमिहीनों के लिये ५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। यह गांधी शताब्दी का वर्ष है। हमारा यह प्रयास होना चाहिये कि कम से कम शुद्ध पेय जल की व्यवस्था तो कर सकें। हमारे विरोधी दल के नेता के भाषण में सूखा क्षेत्र का कहीं जिक्र नहीं आया। कहावत है कि सावन के अन्धे को हमेशा हरियाली ही हरियाली नजर आती है।

श्रीमन्, हमारे विरोधी दल के नेता को बुंदेलखंड और पूर्वी जिलों का सूखा इलाका नजर नहीं आया। इसलिये उन्होंने उसका जिक्र न करके जनता के साथ न्याय नहीं किया है। वित्त मंत्री जी ने पेयजल के लिये इस बजट में काफ़ी धनराशि रखी है। गांधी शताब्दी में हम पिछड़े हुये इलाके के लोगों को शुद्ध पेय जल का प्रबंध कर सके तो यह बड़ी अच्छी बात होगी। विरोधी दल के लोग सोचते थे कि नये बजट में बड़े-बड़े टैक्सेशन आने वाले हैं, फीस बढ़ने वाली है, लेकिन इसमें जनतांत्रिक प्रणाली की भावना का आदर करके कोई टैक्स नहीं लगाया है। इसके लिये हम उनको बधाई देते हैं। विरोधी दल ने इसको अपने प्रचार का सिम्बल बना रखा था और सत्याग्रह करने की धारणा बनाई थी, लेकिन उनको इससे निराशा हुई है।

हमारा बजट कितना ही अच्छा हो, हमारे विचार कितने ही अच्छे हों और हमारी योजनायें कितनी ही अच्छी हों लेकिन अगर अमल करने वाले हमारे विचारों से मेल नहीं खाते हैं तो सारी योजनायें धरी रह जायेंगी। विधान सभा जो जनतांत्रिक तरीके से बनती है वह जो कानून बनाती है या निर्णय लेती है तो उसका अमल हमारी बनाई हुई मशीनरी द्वारा होता है। अमल करते वक्त वह मशीनरी हमारी भावनाओं का कहां तक ध्यान रखती है यह विचारणीय बात है। इसलिये मेरा निवेदन है कि हमने जैसा अच्छा बजट बनाया है उसका अमल कहां तक होता है यह देखने की जरूरत है। यह मानी हुई बात है कि चुनी हुई सरकार के आने पर ब्यूरोक्रेसी पर काबू होता है। लेकिन फ़िर भी आवश्यकता है कि उस पर काबू रखते हुए सही तरीके से अमल करायें। अगर इसकी हम में क्षमता नहीं होगी तो हम जनता के प्रति न्याय नहीं कर सकेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, पहले जमाने में पुलिस तथा माल विभाग भ्रष्टाचार के बड़े भारी विभाग समझे जाते थे, लेकिन नौकरशाही द्वारा हमारी भावनाओं को तोड़ मरोड़ कर अमल करने के कारण ये विभाग बहुत पीछे रह गये हैं और दूसरे विभाग आगे चले गये हैं। अगर हम नौकरशाही पर काबू नहीं रखेंगे तो हमारी सारी योजनायें और प्लानिंग धरा रह जायेगा।

श्रीमन्, पिछले समय में ललितपुर सब डिवीजन एक अलग जिला था १८९५ में और झांसी २०० मील लम्बा चौड़ा है, इसलिये इसके अलग जिले की मांग करते हैं। यहां पर गरीबी की समस्या है, डाकुओं की समस्या है, इसलिये इसको एक अलग जिला बनाया जाय जिससे वह अपनी कमियों को पूरी करने का प्रयास करेगा और हम हमेशा से यह मांग करते आये हैं। भूमिहीनों की समस्या बड़ी तगड़ी है, चाहे कोई नक्सलबाड़ी की समस्या कहे–हमें इसको हल करना होगा। अगर हम चुने हुये लोग नहीं कर सकेंगे, तो कौन करेगा? लाखों एकड़ जमीन सीलिंग के माध्यम से हमने निकालने का प्रयास किया, कोई जमीन नहीं मिली। लाखों एकड़ जमीन कृषि योग्य बन विभाग रखे हुए है। भूमिहीन आदमी परेशान है। भूमिहीनों को केवल पट्टा दे देना ही काफ़ी नहीं है। लगान भूमिहीन देते हैं, लेकिन कब्जा दूसरों का है। एक गांव में एक हजार एकड़ रकबा है। ५–७ सौ एकड़ पचास आदमियों के पास है। दो सौ तीन सौ एकड़ सैकड़ों आदमियों के पास है। इसलिये गांधी शताब्दी में इस प्रदेश से भूमि हीनों की समस्या को हल करना है। यही नहीं कि हम उनको भूमि दे दें, ये पिछड़े हुए लोग लकड़ी बीन कर गुजर करता है, उनके पास हल और बैलों के लिए पैसा नहीं होता। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ५ करोड़ रुपया इस समस्या को हल करने के लिए रक्खा है लेकिन सबसे बड़ी बात उनको कब्जा दिलाने की है। पट्टा लेने का मतलब यह नहीं है कि उनको जमीन मिल गई। पट्टा किसी के पास है और कब्जा किसी और का है। इसके अलावा बैल और हल का इन्तजाम स्वयं सरकार करके उनको दे। हजारों एकड़ का रकबा फ़ार्म के नाम पर लोग दबाये हुए हैं, उनके खिलाफ़ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। केवल सौ गुना, पचास गुना लगान ले लेना काफ़ी नहीं है। उनको जेल का दरवाजा दिखाना चाहिए जो जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किये हुए हैं। जब तक उनको पुलिस के द्वारा कब्जा नही दिलाया जायगा, गरीब भूमिहीनों को जब तक कानून कब्जा दिलाने में नहीं मदद करेगा तक तक केवल पट्टा देने से समस्या हल नहीं होगी।

माननीय विरोधी दल के नेता ने एक बात कही थी कि मऊरानीपुर में एक बी०के०डी० के सदस्य को गिरफ्तार कर लिया। जहां तक मुझे पता चला है, टीकमगढ़ जिले का चोरी से लाया हुआ गल्ला मऊरानीपुर में मिला। जिस दरवाजे पर वह गल्ला मिला, वह गिरफ्तार हुए और जो लाये वह गिरफ्तार हुए। वह भारतीय क्रांति दल के सदस्य हों या किसी अन्य दल के, अगर भारतीय क्रांतिदल के सदस्यों के यही कारनामे हैं, तो जो चोरी करेगा, वह भारतीय क्रांतिदल का हो या किसी अन्य दल का हो, कानून उसको माफ़ नहीं करेगा। यदि सरकार ने गिरफ्तार किया तो यह समझ कर नहीं किया कि वह भारतीय क्रांति दल के हैं, बल्कि इसलिये कि कानून में उन्होंने जुर्म किया है।

एक और निवेदन करना चाहता हूं। सिंचाई पर, विद्युत् पर हमारे माननीय मंत्री जी ने निर्णय किया कि ३५ प्रतिशत खर्च करेंगे। प्रदेश में सिंचाई की बहुत आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश ने कई मामलों में भारतवर्ष का मार्गदर्शन किया है। कांग्रेस ने २० वर्ष में बड़े-बड़े काम किये। हमारा प्रदेश सबसे प्रथम प्रदेश था, जिसने जमींदारी प्रथा को समाप्त करके देश का मार्ग दर्शन किया। हमने २० वर्षों में क्या-क्या किया?

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

देश की जमीन को दुश्मनों के हवाले कर दिया। यह मामूली कमाल आपने किया?

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—

जो कुछ हम कर रहे हैं वह हम आपको बता रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आपको जवाब देने की इजाजत मैं नहीं देता हूं, इसका जवाब लोकसभा में होगा । अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री सुधामाप्रसाद गोस्वामी—

अन्त में मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

अध्यक्ष महोदय, और इस सदन के सम्मानित सदस्यों, मैं आप से बहुत अदब से गुजारिश.....

श्री अध्यक्ष—

यहां पर तो सिर्फ़ अध्यक्ष को सम्बोधित किया जाता है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल —

मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार इस लायक नहीं है कि इसको एक पैसा भी खर्च करने की इजाजत दी जाय । इस सिलसिले में इस सदन में जो कुछ घटनाओं के ऊपर प्रकाश पड़ा है और कुछ बाहर की इधर हाल की घटनाओं का मैं जिक्र करूंगा । मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सीतापुर में ११ आदमियों को जिन्दा जलाकर मार डालने की बात इस सदन में आई । श्रीमन्, उस सिलसिले में आपने नोट किया होगा कि उस घटना के लगभग १५ दिन पहले जो मरहूम परिवार है उसकी तरफ़ से एक दरखास्त गुजारी गई थी । लेकिन वह दरखास्त बिलकुल खटाई में पड़ी रही, अगर उस पर कोई कार्यवाही की गई होती तो शायद उस घटना की नौबत नहीं आती । दूसरी घटना उठाने की कोशिश की गई, वह अलीगढ़ जिले के बन्नादेवी थाने की है । अलीगढ़ के एक एस० डी० एम० के यहां चोरी हुई । उसकी तफ़तीश में हबूड़ा जो आदिम जाति के होते हैं, उनकी बस्ती लोहियानगर में पुलिस के आदमी पहुंचे । उनकी और उनके परिवार वालों की तलाशी के दरम्यान उनको और उनकी औरतों को घटना स्थल पर बुरी तरह से पीटा गया फिर बाद में एक हबूड़ा को थाने में पीटा गया जिससे उसका इन्तकाल हो गया ।

इलाहाबाद की भी चर्चा आई, यहां पर एक पासी को मारकर उसकी लाश गंगा में बहा दी गई । इसी तरह से यहां पर सतिया हत्याकांड का जिक्र हुआ । उस सवाल पर भी आपने देखा कि एक बाप ने अपनी लड़की के मारने की इत्तिला थाने पर दर्ज कराई । एक दारोगा हरीशचन्द्र उसकी तफ़तीश कर रहा था । उस दारोगा को वहां से हटाया जाता है और उसके बाद होता यह है कि बनारस के ज्ञानपुर थाने से एक दूसरे दारोगा गुलजारसिंह को वहां पर तैनात किया जाता है । फ़लस्वरूप देखने को यह मिलता है कि एक बाप अपनी पुत्री के कत्ल के मामले में अदालत में जाकर हलफ़नामा लगाता है कि जो मैंने पहले रिपोर्ट लिखाई थी वह गलत है । यह साधारण घटनाएं नहीं हैं । यकीन करने लायक नहीं हैं । उसको कितनी मजबूरी में ऐसा करना पड़ा होगा ।

श्री अध्यक्ष—

उसने यह कहा कि यह गलत है, तो सही क्या बताया ? क्या उसने यह कहा कि हमारी लड़की नहीं मारी गई ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इतना ही नहीं श्रीमन्, इसके अलावा गवाहान ने अब अपनी अलग-अलग स्टोरी दी है। अब सब गढ़ी हुई कहानी सुनाई जा रही है । किसी ने कहा कि शिकार खेलने में गोली लग गई

लेकिन जो प्रश्न यहां पर पूछे गये और उनका जो उत्तर दिया गया उनसे स्पष्ट रूप से जो नतीजा निकलता है उससे बिना किसी शक शुबह के यह बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि इस मामले में असलियत को साफ़ नहीं किया गया है, उसको जान बूझ कर छिपाया गया है। जनता के सामने उस पर पर्दा डालने की कोशिश की गई है।

उप मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

श्रीमन्, यह बिलकुल झूठ है।

श्री अनन्तराम जायसवाल —

आपको सफ़ाई का मौका मिल जायगा।

वित्त मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस बात का जिक्र वह सदन में कर रहे हैं क्या उन्होंने उस बयान को अपनी आंखों से देखा है?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, यहां पर उपमुख्य मंत्री द्वारा डींग मारी गयी कि अगर दूर तक हाथ साबित हो जाय तो इस्तीफ़ा दे दूंगा, लेकिन इस सदन में जब बारबार मांग की गई कि हाई कोर्ट के जज से जांच कराई जाय तो मुख्य मंत्री टाल गये, यह आपको याद होगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह बात हुई थी कि जो शिकायतें हों माननीय सदस्य लिखकर दे दें। मैंने सदन में कहा था और फ़िर जोरदार शब्दों में दुहराता हूं कि चाहे सी० आई० डी० इन्क्वायरी हो, चाहे जुडीशल इन्क्वायरी हो जाय और यदि कहीं पर मुझ पर दोष आता है तो मैं पदत्याग कर दूंगा। मान्यवर, लिखकर कोई चीज न देना, जिस पर इन्क्वायरी हो सके और निरन्तर बारबार मिथ्या बातों को दुहराना जिससे अखबारों में छपता रहे, अनुचित बात है। इसके लिये मैं अध्यक्ष महोदय, आप का संरक्षण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैंने भी कहा है कि आपके जो चार्जेज हैं वह लिखकर भेज दें। उसमें फ़ैसला करने में आसानी होगी कि जुडीशल इन्क्वायरी बैठाई जाय। आप का यहां का भाषण प्रिविलेज्ड है। उस पर तो इन्क्वायरी नहीं होगी।

श्री अनन्तराम जायसवाल —

इस सदन के नियमों की मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है। अगर मैं गलतबयानी यहां करूंगा तो मेरे विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। जो सूचनायें मैं यहां प्रस्तुत करता रहा हूं उस पर इन्क्वायरी हो सकती है। उसके बाद भी मामले को टालते जाना उसके लिये तो मैं यही कह सकता हूं कि कृपया वे लोग जो नियमों से अवगत नहीं हैं उनको फ़िर से पढ़ें। जो कुछ मैं कह रहा हूं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं और उसका जो भी नतीजा निकलेगा, उसको बर्दाश्त करने के लिये भी तैयार हूं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

यह बड़ी विचित्र विडम्बना है कि बार बार वही झूठ दोहराया जा रहा है। मैं बारबार पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने उस बयान को पढ़ा है? श्रीमन्, यह मामला सबजुडिस है। जिस मामले के सम्बन्ध में पुलिस तहकीकात करती हो वह सबजुडिस होता है।

श्री अध्यक्ष—

देखिये, यह अभी सब जुडिस नहीं है, क्योंकि अभी उसमें चार्जशीट लगी नहीं है।

लेकिन इनकी जो शंका है उस का समाधान यदि आप कर सकते हैं तो करें कि आपके पास यह जानकारी कहां से आयी ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

वह मैं दे दूंगा। श्रीमन्, पौराणिक काल का अन्धविश्वास आपके राज्य में अभी भी पनपता है। बाराबंकी में एक गांव हरपालपुर है।

श्री रामविलास (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, माननीय जायसवाल जी मुख्य विषय, बजट पर भाषण न करके माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल की बातें जो और विषयों पर भी कही जा सकती हैं कह रहे हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय जायसवाल जी बजट पर अपनी बात कहें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, मैं समझता हूं कि सदस्य साहब बगैर नियमों को पढ़े हुए ही बोल रहे हैं। मैं जानता हूं कि मैं बजट पर बोल रहा हूं। ग्राम हरपालपुर थाना सुबेहा जिला बाराबंकी के अयोध्याप्रसाद का बेटा जगन्नाथ ४ वर्ष का था। उसी गांव में एक ठाकुर साहब रहते हैं, उनका नाम धनेश्वरसिंह है। उनके कोई सन्तान नहीं होती थी। किसी सन्यासी ने उनको सलाह दी, अगर तुम किसी इंसान की कुरबानी कर दो तो तुम्हारे सन्तान हो जाय। तो उन ठाकुर साहब ने उस बेचारे अयोध्याप्रसाद के ४ साल के लड़के को अपने घर में बन्द किया। उस लड़के के बाप ने सुबेहा थाने में रिपोर्ट लिखाई। उसके बाद गांव वाले उस ठाकुर साहब के घर से आवाज सुनते हैं और वह जाकर दारोगा साहब से फिर निवेदन करता है कि हमारा लड़का वहां पर बन्द है। उसके बाद उस लड़के की लाश १२ जुलाई, १९६९ को एक कुयें से बरामद होती है।

(इस समय १ बजकर २४ मिनट पर, उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए)

इसी तरह की एक घटना पिछले साल भी देवरिया के लार कस्बे में हुई थी। वहां पर भी एक नरबलि की घटना हुई थी। तो आप देखें कि इस राज्य में क्या-क्या हो रहा है। एक घटना अल्मोड़े की है। यह घटना अल्मोड़े के एक गांव गरुड़ गड़सेरटीट की है जहां लगभग २० हरिजन परिवार सन् ५७ से रहते थे। उनको निकालने के लिए एक श्री जय बल्लभ साहब हैं उन्होंने कोशिश की। वह अदालत में केस ले गये। एस० डी० एम० ने सन् ६८ में हरिजनों के माफिक फैसला दिया कि हरिजनों को उजाड़ा नहीं जा सकता, तो सन् ६२ में उनको निकाला नहीं जा सका। फिर उसके बाद उन्होंने यह चाल चली कि उन्होंने जंगल पंचायत बनाई और उस जमीन से हरिजनों को निकालने के लिए उस पंचायत के माध्यम से कार्यवाही की। अफसरों की मेहरबानी से वहां पर फारेस्ट पंचायत कायम हुई थी। उस पंचायत ने उस जमीन पर कब्जा नहीं किया। लेकिन वह जमीन रेशम विभाग व स्थानीय कृषक विद्यालय को ट्रांसफर कर दी। उसके बाद ३,४ मई, १९६९ को उस रेशम विभाग के लोग, कृषक विद्यालय के लोग और एस० डी० एम० यह सब पहुंचते हैं और उनसे मार पीट करते हैं और उनको तंग करते हैं। उसके बाद २-६-६९ को फकीर राम हरिजन के मकान को जमीन पर गिरा दिया जाता है। उसके बाद मुख्य मंत्री ७ जून को अल्मोड़ा तशरीफ ले जाते हैं तो उनके सामने हरिजन का प्रतिनिधि मंडल सारी मुसीबत बयान करता है। हमारे श्रममंत्री जी भी जाते हैं, उनसे भी वहां अल्मोड़ा में वे अपनी दुख की दास्तान बयान करते हैं लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता है। आगे क्या होता है कि ७ जुलाई को वहां के एस०डी० एम०, सिविल पुलिस, रेवेन्यू पुलिस और स्कूल के अध्यापक और स्कूल के बच्चे-ये सब लोग जाकर उनके मकान गिराते हैं और उनकी खेती नष्ट कर देते हैं और फिर ८ जुलाई और १२ जुलाई के बीच में वहां के १३ हरिजनों

को आतंकित करने के लिये जेल में बन्द कर दिया गया । यह सारा मामला पूरे प्रदेश में चल रहा है । ऐसी हालत में आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस सरकार को खर्च करने की इजाजत देनी चाहिये ? खाली यही नहीं, मैं आगे अपने साथियों को बतलाना चाहता हूं कि अब बजट का हाल भी कुछ सुन लीजिये ।

कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत एक अनुभाग है कृषि रक्षा । उसके डिप्टी डाइरेक्टर हैं श्री प्यारे लाल चतुर्वेदी जो कृषि रक्षा के अनुभाग के इंचार्ज हैं। वे ९ साल से मुस्तकिल लखनऊ में हैं और इस ९ साल के बीच में उनके विभाग का आडिट नहीं हुआ है। यहां एक लखनऊ केंद्र ही नहीं है बल्कि उस विभाग के अन्तर्गत जिले में जो केंद्र फैले हुए हैं, उनकी भी कभी वस्तुगत जांच नहीं हुई है। यह अफसरशाह कितना ताकतवर है, इसको भी सुन लें । एक बार माननीय हरगोविन्द सिंह ने इस मामले को उठाना चाहा लेकिन उनकी कोशिश के बावजूद यह मामला दबा पड़ा रहा। इसलिये मैं चाहता हूं आचार्य जी कि आप इस बात की ओर भी थोड़ा ध्यान दें कि आखिर क्या मामला है। इस संबंध में आपकी जानकारी के लिये गड़बड़ी केओर कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और एक पत्र भी है जो बाद में आपकी जानकारी के लिये दे दूंगा । यह मामला है १९६५-६६ का । उस साल इन्होंने एडवांस किया स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन को लाखों रुपये का कीटनाशक दवायें वगैरह खरीदने के लिये । लेकिन जितना धन दिया गया उसके लिये न तो लेखाकार से कोई इजाजत ली गयी और न तो मैं समझता हूं कि उस जमाने की सरकार से ही कोई इजाजत ली गयी और न आज तक उसका कोई हिसाब-किताब ही हुआ। इतनी बड़ी रकम जो बाकी है वह करीब १६ लाख की है । उसकी वसूली के लिए लेखाधिकारी रामप्रताप को बाम्बे, दिल्ली तक दौड़ाया गया कि उनसे कुछ रकम वापस मिले तो पता चला कि एक लाख रुपये के आस-पास का चेक उन्होंने दिया है। वह धनराशि है १,०७,७९० रुपये की और चेक नं० है ७१३९६९ और उसकी तारीख है ३०–१२–६८ ।

इसके अलावा इस अनुभाग में जितने भी उनके सबआर्डिनेट मुलाजिम हैं, चाहे मिकेनिक्स हों, चाहे लिपिक हों, चाहे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हों, उनको भर्ती के लिए इस विभाग के निदेशक का लिखित आदेश व निर्देशन है कि कोई भी व्यक्ति बगैर सेवायोजन दफ्तर को इत्तला दिये हुए भरती नहीं किया जा सकता है, लेकिन कम से कम एक हजार आदमियों की भरती श्री चतुर्वेदी ने योजना दफ्तर को बिना सूचना दिए कर ली है। खाली यहीं पर नहीं बल्कि यहां से भरती करके लोगों को जिलों में भी भेज दिया है और मुझे मालूम हुआ है कि इस तरह से नियमों को तोड़ कर भरती करने में फी भरती के ऊपर २०० रुपये उन्होंने हासिल किया है।

इसके बाद लखनऊ की होचेंड कम्पनी को कीटनाशक दवायें वगैरह खरीदने के लिए एकमुश्त रकम दी गयी १४ लाख रुपये की, प्रतापगढ़, लखनऊ, बस्ती वगैरह के लिये। और बिना किसी ट्रायल के यह १४ लाख की दवा खरीद ली गयी और उसके सिलसिले में कंपनी ने, यह जो चतुर्वेदी साहब हैं, उप निदेशक, इनके बच्चे को,जो हाई स्कूल ही है ४०० रुपये माहवार की नौकरी दे दी ।

मान्यवर, अमीनाबाद में जो कृषि रक्षा केंद्र था, यह एक बहुत बड़ी इमारत में था । इसके साथ ही एक बहुत बड़ा अहाता था, जिसमें चारों तरफ चहार दीवारी थी । यह इमारत इस विभाग के पास केवल ८० रुपये माहवार किराये पर थी । आप पता लगायें कि वह इमारत क्यों छोड़ दी गयी ? इस इमारत को छोड़ कर एक बहुत ही गैर महफूज इमारत को जिसमें जगह भी बहुत कम है ४०० रुपये माहवार पर इसी कार्य के लिये ली गयी और यह इमारत उनके एक दोस्त की है। अगर आपसे कोई यह कहे कि वह इमारत पुरानी थी, खराब थी इसलिये बदली गयी, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप फाइल देख लें, एक इंजीनियर महोदय ने इस इमारत को देख कर लिखा है कि यह इमारत अच्छी हालत में है इसको बदलना जरूरी नहीं है। आज श्रीमन्, जो दवा और मशीन आदि खरीदी गयी थीं, वे खुली जगह में पड़ी हुई खराब हो रही हैं ।

एक सदस्य—

वह इमारत संविद के समय में तो नहीं बदली गयी थी ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

फिर आप देखिये कि इसी कीट नाशक के सिलसिले में १९६७–६८ में ४९ लाख रुपये का टक्नीकल पैसटीसाइड खरीदा गया। इसकी हालत यह है कि जब इसको दूसरे किसी तरल पदार्थ के साथ मिलाकर छिड़का जाता है, तब यह कीड़ों को मारने में मदद करता है। इतनी बड़ी मात्रा में टेक्निकल पेस्टीसाइडों को खरीदने की कोई जरूरत नहीं थी। वह भी बेकार पड़ा है। फिर धीरे-धीरे इसको कीट नाशक में बदलने के लिये एक सर्वश्री सिंघल पेस्टीसाइड कम्पनी है, आगरा की और कुछ उनके ही एक भाई उदयपुर में हैं उनको भेजा जाता है।

श्रीमन्, १९६६–६७ का वर्ष सूखे का वर्ष था। उस वर्ष रबी और खरीफ दोनों फसलें नष्ट हो गयी थीं। कृषि रक्षा विभाग ने यह कोशिश करनी चाही कि जितना फसल को बचाया जा सके बचाया जाय। उसने उसके लिये कुछ मशीनें और कुछ कीट नाशक दवायें खरीदीं। आप देखें कि सन् १९६६ से १९६८ के बीच जो मशीनें खरीदी गयीं उनमें ९७० तो ऐसी थीं जिनमें इंजिन मय बाडी के थे, लेकिन लगभग इससे दुगनी १,९६० मशीनें ऐसी खरीदी गयीं, जिन पर इंजिन नहीं खाली बाडी ही थी, और जहां तक १९६६ और १९६७ की फसल बचाने का सवाल था तो ये जितनी दवाइयां और मशीनें इनको हैं, वे आई कब हैं, वे आई हैं उस मुद्दत के गुजर जाने के बाद और उनका प्रयोग शून्य है। मैं एकाध को रेफर करूंगा तो आप पायेंगे कि उनका प्रयोग शून्य है। फिर इसी तरह से मैंने आपको कहा कि किस तरह से यह पैस्टीसाइड बहुत बड़ी मिकदार में खरीदते रहे हैं और जब इनकी जांच लेखाधिकारी ने की तो पाया गया कि पैस्टीसाइड की जो यहां पर मशीनें हैं उनका ओवर-स्टोरिंग चल रहा है। जितनी जरूरत है उससे ज्यादा मौजूद हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो दवायें हैं, इनका एक समय बंधा रहता है। इस समय के अन्दर ही ये दवायें प्रभावी या एफेक्टिव होंगी। और आज उन दवाओं को अगर आप विस्तार से चेक करायें तो आपको मालूम होगा कि ये दवायें टाइम-बार्ड हो चुकी हैं लाखों रुपये की और यह लेखाधिकारी का एस्टीमेट है। यहां पर जो सरकार के पास हैं या जो टेन्डर मौजूद हैं वही अकेले पांच साल के लिये पर्याप्त हैं। अब आप इसका नतीजा निकालें। इसी तरह से गन्ने में एक कीड़ा लगता है, पायरेला। वह कीड़ा मारने के लिये गन्ना विभाग आपके पास है, वह भी प्रयास करता है और गन्ना विभाग ने इस कीड़े को मारने के लिए हवाई छिड़काव कराया अक्टूबर, १९६७ में। लेकिन आपके चतुर्वेदी साहब जो हैं उन्होंने इसका इस्तेमाल कराया फरवरी में गेहूं की फसल के लिए। पांच लाख एकड़ के आस पास इन्होंने गेहूं की फसल का हवाई छिड़काव कराया और तीन लाख एकड़ भूमि पर भी बाद में छिड़काव कराया। इस सदन की जानकारी बढ़ जायेगी अगर आप बता सकें कि पायरेला उसके लिये मय प्रमाण के पुस्तक में लिखा हो कि यह पायरेला नाम का कीड़ा क्या गेहूं की फसल में भी लगता है। हमारी जानकारी यह है कि यह पायरेला नाम का कीड़ा गेहूं की फसल को शायद ही नुक्सान पहुंचाता है और यह जो पैस्टीसाइड खरीदा गया है इस संबंध में आपके जो एक्सपर्ट हैं उनके बगैर कन्सलटेशन के यह सारा का सारा सौदा चल रहा है। मैं इन सारी चीजों का विवरण इसलिये प्रस्तुत कर रहा हूं.....

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, तय यह हुआ था कि हमको एक घंटे का समय दिया जायेगा और उसी हिसाब से मैं बोल रहा था।

श्री उपाध्यक्ष—

हमारे यहां तो इस संबंध में कुछ नहीं है कि तय क्या हुआ ? हमारी जानकारी के हिसाब से नेता को बीस मिनट हैं। यह तय हुआ था कि जो प्रमुख नेता विरोधी दल

के बाद आते हैं उनको कम से कम पैंतालीस मिनट य. .धिक से अधिक एक घंटे का समय दिया जायेगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

तो इतने बड़े व्यापक पैमाने पर यह जो मामला चल रहा है इस विभाग में वह कोई साधारण घटना नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें इस विभाग के सचिवालय स्तर के अफसर और उसके आगे तो मेरी कहने की हिम्मत नहीं है लेकिन एक कहावत मशहूर है कि "मांस की गठरी का कुक्कुर रखवारा" यानी गोश्त की गठरी है और रखवाली करे उसका कुत्ता। कुत्ता होगा तो उसकी रखवाली क्या होगी। वही हालत इस विभाग की भी है। जो प्लांट प्रोटैक्शन के आफिसर हैं दिल्ली सरकार के उनका नाम है डाक्टर सरदार सिंह, वे भी इसमें शामिल हैं और वह अब इस प्रयास में हैं कि चतुर्वेदी जी महाराज को, जिन्होंने वे खिदमात की हैं जिनका मैंने वर्णन किया, उन खिदमात के सिलसिले में जरमनी भेज दिया जाय। यह सारे मामले चल रहे हैं। उनको आप १९६७ के बजट में देखेंगे। आप यह भी देखेंगे कि इस साल एक संयुक्त निदेशक-पौध-रक्षा की जगह का सृजन किया गया था। ऐसा नहीं है कि इस वर्ष के बजट में इस पद का पहली बार ही सृजन किया गया हो। सम्भवतः सन् ६७ में भी सृजन किया गया था, लेकिन उस वक्त तक बेचारे चतुर्वेदी जी उसके लिये क्वालीफाइड नहीं थे। इसलिये वह जगह खाली ही पड़ी रही। लेकिन अब जब वे यह सब कुछ करके क्वालीफाइड हो गये, तब फिर यह जगह क्रियेट कर दी गयी। इसके साथ ही साथ उनकी जो डिप्टी डायरेक्टर की जगह है उसको रिक्त ही रखा जायगा इसलिये कि इन बेचारों ने प्रदेश की सेवा की है इसलिये उनको यह पदोन्नति दी गयी, लेकिन इस पद पर कोई दूसरा आदमी आकर न बैठ जाय। यह सारे मामले इस बजट में चल रहे हैं।

इसके अतिरिक्त पन्ना ३ पर आपने यह भी मान लिया है कि पिछले सालों के मुकाबले में सन् ६७–६८ में हमारे सूबे की आय गिर गयी थी, लेकिन इसके आगे आने वाले साल में वह आमदनी प्रति व्यक्ति वार्षिक आय २४७ से बढ़कर २५४ रुपया हो जायगी। लेकिन इसके लिये कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है केवल आंकड़ों का मायाजाल है। यह जो चौथी पंचवर्षीय योजना बनायी गयी है, उसमें जो आंकड़े दिये गये हैं, उनसे लगता है कि पिछले वर्ष के मुकाबले में उसका आकार दुगना हो गया है, जहां तक रुपयों का संबंध है। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। क्यों नहीं है ? इसलिये कि इसके पहले जो पंचवर्षीय योजना बनायी गयी थी, उसका सूचकांक १२४.९ था और जो अब बनायी गयी है उसका २०५ से कुछ ऊपर है। अर्थात् पहले से कीमतें दुगनी हो गयी हैं। इस दृष्टि से अगर आप चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को देखें तो आपको मालूम होगा कि योजना देखने में तो बड़ी चढ़ी मालूम होती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि उसमें किसी तरह की बढ़ोत्तरी नहीं है। पिछली बार आपने जो राष्ट्रीय आय का हिसाब लगाया था उसमें आपने पहले तो हिसाब बताया था कि २४० करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी लगाने से १०० करोड़ रुपये की नयी आमदनी बढ़ जाती है। लेकिन अब जो हिसाब आपने लगाया है मालूम नहीं किस आधार पर लगाया है। मैंने कहा कि उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। उसमें २४० से घटा कर २१० करोड़ कर दिया। २१० करोड़ रुपया अतिरिक्त पूंजी लगाने से १ सौ करोड़ रुपये की नयी आमदनी हो जायगी। इससे जैसी अभी तक हालत होती आयी है, वही रहेगी। यह चलने वाली बात नहीं है क्योंकि उसका भी कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है।

सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह योजना ही चल नहीं पायेगी। इस योजना को चलाने के लिए राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार और विदेशी सहायता, ये तीनों मिलकर इसके साधन जुटाते हैं। अभी तक यह निश्चय नहीं हो पाया है कि विदेशी सहायता की, जिसकी जितनी हमें जरूरत है, हम को मिलने वाली है अथवा नहीं। तीसरी पंचवर्षीय योजना दिसम्बर, १९६६ में पूरी हो गयी और फिर उसके बाद यह चौथी योजना चल रही है। १९६७ में योजना नहीं

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

चल पायी, १९६८ में नहीं चल पायी । १९६९ में अभी तक चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप पास नहीं हो पाया है । इस समय १–१ वर्ष की योजना चलाई जा रही है। दिक्कत इसमें यह हो गयी है कि जो विदेशी लोग हैं, वे हमें पहचान गये हैं चाहे वे रूसी हों या अमरीकी हों और कहते हैं कि चाहे इनको सहायता दो या न दो, ये तो पीछे-पीछे चलने वाले हैं । वे अपना रुपया देने को तैयार नहीं हैं। अगर विदेशी सहायता नहीं मिलती है तो क्या होगा ? जिस मात्रा में विदेशी सहायता नहीं मिलती, उसी मात्रा में योजना का आकार घटेगा यह कहना सही नहीं होगा । इसका हाल हमारे यहां के स्कूलों की मैचिंग ग्रांट की तरह हो गया है। जिस प्रकार हमारे यहां पर स्कूलों में जब मैनेजिंग कमेटी कुछ रुपया देती है तो फिर सरकार उसी को ध्यान में रखकर देती है, उसी प्रकार अगर विदेशी सहायता कम होती है तो केंद्र से भी कम पैसा मिलता है और राज्य का भी पैसा उसी हिसाब से मिलेगा। तो उससे कई गुनी मात्रा में योजना कम हो जायगी । इस प्लान में ये सब चीजें छिपी हुयी हैं। अपने प्रदेश के लोग धोखे में न रहें । आमदनी और योजना को जो चलाने वाले साधन हैं ये बहुत ही मशरूक हैं, इस वक्त तक । हमारी योजना के जो दस्तावेज हैं, उनसे स्पष्ट है कि हमारा देश पीछे हटता जा रहा है। सन् १९६५ में जहां हमारे यहां प्रति व्यक्ति अनाज का खर्च ४७४ ग्राम, कपड़ा १५.१ मीटर, चीनी का ५.२ ग्राम था वहां पर १९६८ में घट कर अनाज में ४५७ ग्राम, कपड़ा १३.४ मीटर और चीनी ४.३ ग्राम हो गयी । यह हैं आपकी पंचवर्षीय योजना के नतीजे जिसकी यहां तारीफ करते करते आप नहीं थकते और दूसरे सदस्य भी नहीं थक रहे हैं । उसका नतीजा जो निकला है उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं।

किताबों में लिखा हुआ है कि हमारा जीवन स्तर दिन प्रति दिन घटता जा रहा है। हमारी भूख और नंगापन जो है वह बराबर बढ़ता जा रहा है। हमारी जो योजना बनेगी वह अनिश्चितता के गर्त में हैं । आशंकाएं बढ़ जाती हैं और हमारा भूखापन और नंगापन और बढ़ जायगा । इधर बहुत चर्चा हुई है बैंकों के राष्ट्रीयकरण की और यहां भी तेजी दिखाई जा रही है कि लगे हाथों शकर के उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाय। जो आर्थिक नीति इस प्रकार चल रही है वह बेमानी है। राउरकेला सरकारी कारखाना है। उसमें भी १ हजार बड़े अफ़सर हैं, जिनके वेतन और भत्ते पर २० लाख रुपये खर्च हो रहे हैं और उसी कारखाने में सन् ६७ के आधार पर मैं बतला रहा हूं ३० हजार मजदूर थे जिन पर कुल खर्चा ३० लाख रुपये आता था। तो सरकारी कारखाने और टाटा बिरले के कारखाने में कोई फ़र्क नहीं है। सरकारी क्षेत्र में पूना में स्ट्रेप्टोमाइसिन बनती है, जिसकी कीमत २ आने की आती है लेकिन बाजार में वह १२ आने और १ रुपये में बिकती है। यह समाजी क्षेत्र का कारखाना है, जिसमें तपेदिक के मरीज के फ़ेफ़ड़े के साथ भी खिलवाड़ होता है। जब तक सेठ बिरला और टाटा का असर सरकार पर रहेगा तब तक राष्ट्रीयकरण से कुछ होने वाला नहीं है वह बेमानी है। हां बढ़ी हुई आमदनी से राजकोष का भले ही भला हो जाय। फ़िजूलखर्ची और ऐयाशी और बढ़ जाय। सेठ बिरला की आमदनी १ दिन की दो लाख रुपये के आसपास है और प्रधान मंत्री पर दो तीन साल पहले २५ हजार रुपये रोज खर्च आता था और यहां मंत्रियों पर भी एक हजार रुपये रोज खर्च आता है। यह क्या समाजवाद है? अगर कोई कमेटी बैठे और जांच करे तो मेरी बात की ही पुष्टि होगी।

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

व्यवस्था का प्रश्न है। पिछली एस० वी० डी० सरकार में मंत्रियों पर जो औसत खर्च आता था, वह भी जरा बतला दीजिये ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो आप सूचना मांग रहे हैं। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

डिप्टी मिनिस्टर को आपके कायदे के मुताबिक साढ़े ६ सौ रुपये वेतन और डेढ़ सौ रुपये बंधा हुआ भत्ता मिलता है ।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि मैं बंगले में नहीं गया और अपना चार्ज सम्हालने के बाद चार महीने तक मैंने दफ्तर नहीं छोड़ा काम को समझने के लिये ।

श्री रामप्यारे—

मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस समय की जो संयुक्त सरकार थी तो केवल स्वास्थ्य मंत्री श्री प्रताप सिंह ने ४७ बार शाहजहांपुर का दौरा किया था ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

आप हमारी कुछ मदद कर दें तो पूरी सोशलिस्ट सरकार बन जाय और यह शिकायत करने का आपको मौका ही न मिले ।

जब तक आप दाम नीति नहीं बदलेंगे, जब तक आपकी जाति नीति इसी तरह से चलती रहेगी तब तक खाली राष्ट्रीयकरण से क्या हो जायगा । पिछले बीस साल से हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री जवाहरलाल जी, लालबहादुर शास्त्री जी और इन्दिरा जी बराबर यही कहते रहे हैं कि देश का औद्योगीकरण कर देंगे तो सब समस्या हल हो जायगी लेकिन समस्यायें अभी तक वैसी ही हैं । जब तक आप इस ढांचे को बदल नहीं देते तब तक कुछ होने वाला नहीं है । तो गेंदासिंह जी से या ऐसे ही जो दूसरे समाजवादी रहे हैं, गुप्ता जी भी रहे हैं लेकिन कुर्सी का मोह ऐसा होता है कि बेचारे उसी से चिपके रह गये, उनके गुरु आचार्य नरेन्द्रदेव वगैरह चले गये, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि यह जो नीति चल रही है इसके जानते हुये जैसा कि प्रस्ताव उस दिन कांग्रेसी विधायकों की बैठक में पास हुआ, अगर अज्ञान में हो गया तब तो कोई बात नहीं लेकिन अगर जान बूझकर किया तो संदेह होता है कि कांग्रेस के अन्दर जो गुटबन्दी चल रही है उसको और तेज करने के लिये यह किया जा रहा है इसका और कोई मतलब ही नहीं निकलता । कहावत मशहूर है कि बच्चे के पैर पालने में पहचाने जाते हैं । ऐसा नहीं है कि बीस साल ये गद्दी में रहे, जनता से इनका सम्पर्क छूट गया, यह मामला सड़ता सड़ता गया तब यह नौबत आयी । मैं यह रपट लाया हूं और आपके सामने उसको पढ़ देना चाहता हूं । १९४६ में जब इनको गद्दी सम्हाले हुये मुश्किल से कुछ महीने ही बीते थे तब इसी विधान मंडल में २३ जुलाई को उस वक्त के एक कांग्रेसी सदस्य श्री राजाराम शास्त्री ने अपने भाषण के दौरान उस वक्त की कांग्रेस सरकार के बारे में जो कहा था वह मैं पढ़ देता हूं :—

"मैं आपसे बड़े अदब से कहूंगा कि सन १९२१ से १९४६ तक जब आपकी मिनिस्ट्री नहीं थी तब आप पिकेटिंग करते थे । हम कांग्रेसजनों ने बीसियों बार पिकेटिंग की है, शराबबन्दी की है । इस तरह से तो कभी नहीं हुआ कि जो लोग शराब पीना चाहेंगे गवर्नमेंट उनकी रक्षा करेगी । जब कभी कोई शराब पीने जाता था तो आप खुद धरना देते थे और लोगों को शराब पीने नहीं देते थे । इसी तरह से कांग्रेस आगे बढ़ी है । जुल्मों के खिलाफ़, बुराई के खिलाफ़ आप लड़े हैं । आपने लोगों को रोका । आप उनके आगे लेटे और बीसियों बार आपने पिकेटिंग की । जो लोग काम करने के लिये मिलों के अन्दर जाना चाहेंगे तो उनकी रक्षा के लिये हथियारबन्द पुलिस लाकर खड़ी कर देंगे और स्ट्राइक तोड़ने वाले मजदूरों से कहेंगे कि कारखाने के अन्दर जाओ और काम करो । ऐसी हालत में जाकर खुद लेटूंगा, उन्हें वहां पर रोकूंगा, समझाऊंगा, हाथ जोड़ूंगा, पैर पकड़ूंगा और उन्हें हरगिज नहीं जाने दूंगा । मैं अपने प्राण दे दूंगा पर उन्हें अंदर नहीं जाने दूंगा ।"

स्पीकर महोदय, सब से पहला मेरा सख्त एतराज यह है कि जितनी भी विज्ञप्तियां मिनिस्टर साहबान की तरफ़ से निकलती हैं, उसमें लिखा होता है कि ऐ मजदूरो! अगर तुम यह काम करोगे तो आई० पी० सी० की फ़लां दफ़ा के अनुसार गिरफ्तार किये जाओगे । फ़िर

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

आगे उन्होंने कहा, यह मैं वोल्यूम २३ सन १९४६ का पृष्ठ ३३० पढ़ रहा हूं। पहले मने ३२९ पढ़ा था। वह इस प्रकार है कि "सिर्फ एक बात कह कर मैं अपनी तकरीर खत्म करूंगा और वह एक बड़ी ही फ़ंडामेंटल बात है। मैं साफ़ तौर से कहता हूं कि उसके रहते हुये हमारे और मिनिस्ट्री के बीच शायद कोई समझौता नहीं हो सकता। आज गवर्नमेंट की तरफ़ से मजदूरों के बारे में एक वक्तव्य निकाला गया है। मजदूरों के बारे में सरकार की पालिसी है कि जिस किसी मिल में हड़ताल होती है अगर कोई मजदूर हड़ताल करना चाहता है तो वह हड़ताल कर सकता है लेकिन जो मजदूर हड़ताल करना नहीं चाहता और काम करना चाहता है और जो मजदूर हड़ताल के जमाने में काम करने जायेगा गवर्नमेंट उसकी रक्षा करेगी। उनको तंग करने वाला कोई नहीं है। उनको परेशान करने वाला कोई नहीं होगा। देखने में यह बात बड़े इंसाफ़ की मालूम होती है लेकिन मैं बड़े अदब से पूछना चाहता हूं कि क्या वह मिल मालिकों को इनकरेजमेंट देना नहीं है? इस समय हम आपको बदनाम करने के लिये नहीं कह रहे हैं। हम आपके अंग हैं, आपकी ही तरफ़ से मजदूरों में खड़े होते हैं, उनके लिये लड़ते हैं। हमारी आज जो बदनामी हो रही है वह आपकी भी बदनामी है। मैं कोई अपनी व्यक्तिगत बदनामी के लिये नहीं कह रहा हूं। हम अपनी नामवरी को कायम रख सकते हैं लेकिन मुझ से यह बात जिन्दगी भर नहीं हो सकती कि कांग्रेस के नाम पर कोई धब्बा आये। कांग्रेस का मैंने मजदूरों में प्रचार किया है और उसकी बदनामी सहन नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि मिनिस्ट्री की नीयत तो ठीक है लेकिन मशीनरी इतनी कम रफ्तार से चल रही है जिसकी वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है।" यह आज का मामला नहीं है। मैंने शुरू में ही कहा कि बच्चे के पैर पालने में देखे जाते हैं. जैसे ही देश की बागडोर आपके हाथ में आई तो गांधी जी के चरणों में जो आपने सीखा था वह भूल गये। लोहिया की बात मैं नहीं कहता क्योंकि आप बिगड़ने लगेंगे। गांधी जी ने १९४५ में कांस्ट्रक्टिव वर्क के नाम से एक पुस्तक लिखी थी, उसमें हिन्दुस्तान की नाबराबरी का जिक्र किया था। इसमें दिया हुआ है कि दिल्ली के आलीशान महल के मुकाबले में अगर सबर्ब में मजदूरों की झोपड़ियां कायम हैं तो यह आजाद हिन्दुस्तान में नहीं चलेगा। आज जो गैर बराबरी है अगर यह कायम रही तो खूनी क्रान्ति अवश्यम्भावी है। मैं कहना चाहता हूं कि सचमुच आप वह दिन ले आये हैं। गांधी जी ने जो हवा बहाई थी, जिसमें जमींदारियां टूट रही थीं, रजवाड़े टूट रहे थे वही बहाते रहते और रजवाड़ों की हैसियत को तोड़ने, उनको नीचे उतारते और उनको मामूली आदमी की सतह पर बिठा देते तो आज इस प्रदेश की इतनी बुराई नहीं हो पाती। नतीजा क्या निकल रहा है? आपने फिर से सर्द हवा बहा दी, नक्सलबाड़ी का नाम लिया जाता है। मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि नक्सलबाड़ी आज उसी का नतीजा है। गांधी जी के जमाने में जब जमींदारी को तोड़ने के लिये, हरिजन उत्थान के लिये, हरिजन और पिछड़े हुए लोगों को विशेष सहायता देकर आगे बढ़ाने की बात चल रही थी, कांग्रेसी लोग जब इन चीजों के लिये लड़ रहे थे, और देहातों में जाते थे तो अक्सर उनको जमींदारों के जूते डंडे और मां बहन की गालियां मिला करती थीं। जो लोग जमींदारों के जूते, डंडे और गालियां बरदाश्त करते थे, जिस वक्त १९४७ में कुर्सी पर बैठ गये, अपने त्याग और तपस्या के बल पर, जैसे ही कुर्सी पर बैठे उनकी यह ख्वाहिश नहीं रही कि इन लोगों को तोड़ कर, उनके बड़े खेत को तोड़ कर, उनकी हैसियत जो उन्होंने स्वयं बनाई नहीं थी, बल्कि जो उन्हें उनके पुरखों से मिली थी, उसको तोड़ कर नष्ट कर दें। अगर ऐसा किया होता तो आज जो यह सामन्ती लोग थे, उनकी पहले से ज्यादा ताकत न होती। आज हुआ क्या है? वह ऐसे लोग थे जिनके बाप दादाओं में विद्या चली आ रही थी, ताकत के ठिकानों पर उनका हजारों साल से कब्जा चला आ रहा था मिलिटरी, सिविल और अनेक बड़ी बड़ी जगहों पर। वह जानते थे, समय को पहचानते थे, उनको मालूम था कि समय के साथ अपने को कैसे बदल दिया जाता है।

१९४७ में जब देश स्वतंत्र हुआ तो पहले वह डर गये थे, लेकिन उनका डर काली सांप का डर था। वह सिकुड़ गये थे, जब उन्होंने देखा कि हम को अंदेशा है, इस कांग्रेस से

तो उन्होंने उसी घर पर कब्जा कर लिया। रातों रात खद्दर पहन कर उन्होंने उसी घर पर क जा कर लिया। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर जांच करवायें तो जितनी विकास क्षेत्र समितियां बनी हैं, उनका ढांचा ऐसा बनाया गया है कि अधिकांश पुराने सामन्ती ही उन पर काबिज हैं। पहले उनका अधिकार एक दो गांव तक सीमित था, अब वह बढ़ कर पूरे विकास क्षेत्र में फ़ैल गया है। इस प्रदेश की कबीना में और दिल्ली की कबीना में २० साल में पुराने सामन्तों को स्थान मिला है। पहले से उनकी कहीं ज्यादा ताकत बढ़ा दी गई है। आज इस प्रदेश की ही नहीं बल्कि देश भर में गरीब आदमी को अकिंचन को कौन मानता है? उस आदमी को आज हम नहीं मानते, उससे नफ़रत और अलगाव करते हैं। वही बेगार, वही डंडा, वही गाली, जितनी पहले थी, उससे कहीं ज्यादा पड़ रही है। हरिजन और पिछड़े लोग पीटे जा रहे हैं, चाहे वह बांदा हो या अल्मोड़ा हो, पूरी छानबीन करें, आज बेगार के लिये इस प्रदेश में हरिजनों को जिस तरह से पीटा जा रहा है। सन १९४७ से कुछ पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन आज हमारा बेगार के खिलाफ़ कानून है। सन् ४७ से ५२ तक खींच ले जाइये, ५५ तक ताजिरात हिन्द की तहत जो दफ़ा बढ़ाई गई थी, उसमें मुकदमे अंकित होते हैं। अगर कोई सदस्य इसको जानना चाहे और अगर सवाल कर दे तो मैं आपको पूरे जोर के साथ कहूंगा कि आज पूरे प्रदेश भर में एक भी बेगार का मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता और कोई छोटा आदमी कहीं थाने पर पहुंच जाये तो उस की कौन सुनता है। जब मंत्री गण कहते हैं कि पुलिस विभाग काबू में नहीं है तो उनकी क्या बिसात है। चाहे कचहरी में जाओ, चाहे बस में जाओ, चाहे दफ्तर में जाओ, आज छोटे आदमी की कोई औकात, कोई अस्तित्व रह ही नहीं गया है। ऐसा होते खाली राष्ट्रीयकरण से फ़ायदा नहीं होगा। इस प्रकार की कोई नीति, कोई पतवार नहीं रही है। इसके संकल्प में दम नहीं रहा है। इस सत्र में जो हुआ, वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। राज्यपाल महोदय अपने अभिभाषण में घोषणा करते हैं कि हिन्दी के अनुवाद के लिये यहां पर एक निगम बनाया जायगा। यहां पर सवाल किया गया तो मालूम हुआ कि १० साल में केवल २९ किताबों का अनुवाद किया गया है। और जिस निगम की बात कही गई वह कहीं अस्तित्व में नहीं आया, वह केवल तैयारी की स्टेज में है। इनकी सदा से आदत रही है कि किसी चीज का फ़ैसला कर लें लेकिन निर्गुण रूप में, उसका कोई सगुणरूप या साकार रूप नहीं आने पाये। समाजवाद के नारे का भी ऐसा ही हुआ, उसको कभी उन्होंने जिन्दा रूप में नहीं बनाया। समाजवाद का अर्थ है बराबरी। बराबरी कई प्रकार की होती है, समाज की बराबरी, मर्द औरत की बराबरी, उसको लाने के लिये आपने क्या किया? जिसका नमूना आपने पेश किया है उसमें पूंजीवादी और सामन्तवादी प्रथा फ़ल-फ़ूल रही है। आपके फ़ैसले में कोई दम नहीं, फ़ैसले को टालते रहते हैं और जब टालना मुश्किल हो जाता है तो झूठ बोल जाते हैं। इस नीति विहीनता के कारण चारों तरफ़ हालत बिगड़ गई है। जो आपने बजट पेश किया है और उसका जो फल होने जा रहा है, वह यह है कि इस प्रदेश की जनता की भूख बढ़ेगी, उसकी बीमारी और नंगापन बढ़ेगा, बेकारी बढ़ेगी। उसकी उदासी बढ़ेगी इसके अतिरिक्त और उसका कोई दूसरा नतीजा निकलने वाला नहीं है।

अन्त में मैं पूछना चाहता हूं कि यह कांग्रेस की आपकी सरकार है कहां? यह तो कांग्रेस के अन्दर एक गुट की सरकार है। वरना हमारे गेंदा सिंह और इलाहाबाद के साथी धर्मवीर और फैजाबाद के हमारे साथी प्रियदर्शी जी, जो जवान हैं, सक्रिय हैं इन लोगों को अवसर अवश्य मिला होता। इस मंत्रि परिषद् और सरकार में उनकी कोई आवाज नहीं है। यहां जो मंत्री बने हैं उसमें कोई सुन नहीं पाता, कोई बोल नहीं पाता। ये विकलांगों की सरकार है। मैं चाहूंगा कि इस बजट को आप ठुकरा दें, इस सरकार को कोई हक नहीं कि उसको एक पैसा भी खर्च करने की इजाजत मिले।

श्री होतीलाल अग्रवाल (जिला इटावा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चार दिन से इस बजट पर बहस हो रही है। एक तरफ से यह कहा जाता है कि इस बजट से गरीबों का फायदा होने वाला नहीं है और कांग्रेस जो समाज

[श्री होतीलाल अग्रवाल]

समाजवाद की बात करती है वह गलत है। मैं यह कहता हूं कि बहुत उल्टी सीधी बातें करने से कोई फायदा नहीं है। यह ठीक है कि सैद्धांतिक मतभेद है। अभी जो सज्जन बोल रहे थे वह चाहते थे कि बड़े जोरों से तब्दीली की जाय तभी फायदा हो सकता है। एक विचार उनका है और एक विचार यह भी है कि हम धीरे-धीरे करके समाज के ढांचे को बदलें। मेरा दावा है कि २०-२२ वर्षों के अन्दर हमारा ढांचा बदला है और जनता को लाभ हुआ है। यह कहा गया कि हरिजनों की दशा में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है उनको वही दिक्कतें जो २५ वर्ष पहले थीं बनी हुई हैं। जो देखना नहीं चाहते वह चाहें जो कहें लेकिन बात वैसी नहीं है। समाज में आज हरिजनों के साथ वह व्यवहार हरगिज नहीं है जो पहले था। बहुत सुधार हुआ है। मैं मानता हूं कि आज भी अत्याचार होते हैं किन्तु वह इनी गिनी जगहों पर होते हैं, वैसे साधारण तौर पर समाज में उनके साथ करीब-करीब बराबरी का बर्ताव होता है।

समाजवाद की बात कही गयी तो उसके लिये मैं कहता हूं कि आप आमदनी और खर्च के बजटों को देखें तो जहां तक खर्च की बात है पुराने जमाने में गरीबों से ज्यादा लिया जाता था और खर्च शहरों पर और बड़े आदमियों पर होता था। अब वह बात नहीं है। आज जो रुपया इकट्ठा होता है वह निस्बतन बड़े आदमियों से अधिक और छोटे आदमियों से कम होता है। कई बातों में तो छोटे आदमियों पर छूट है। रुपया खर्च छोटे आदमियों पर और हरिजनों पर ज्यादा होता है बनिस्बत बड़े और शहरी आदमियों के। इस सम्बन्ध में थोड़े से आंकड़े उपस्थित करूंगा। सन ४५-४६ में न्याय विभाग पर ८७,४१,५०० रुपये खर्च होते थे और अब ६९-७० में ४,२२,२०,१०० रुपये। जेल पर पहले ७५,९६,२०० रुपये जहां खर्च होते थे वहां अब ३,३८,३५,९०० रुपये होते हैं। पुलिस पर निस्बतन इसमें ज्यादा है लेकिन फिर भी उतना ज्यादा नहीं है जितना हमारे देश को तरक्की देने वाले विभागों पर खर्च होता है। पुलिस पर १९४५-४६ में ३,७४,४९,००० रुपया खर्च होता था और अब २६,६८,५३,२०० रुपया खर्च होता है। इसी प्रकार से जो राष्ट्र निर्माण के महकमे हैं उनके खर्च में तरक्की हुई है और खर्चा ज्यादा होता है। शिक्षा पर पहले १२,५७,४६,००० रुपया खर्च होता था लेकिन अब ६९,४८,२०,००० रुपया खर्च होता है जो लगभग ३५ गुना खर्चा बढ़ा है। इसी प्रकार से चिकित्सा पर पहले १,०२,२७,००० रुपया खर्च होता था अब १७,८७,५५,७०० रुपया खर्च होता है। स्वास्थ्य पर ४५-४६ में ४०,६०,७०० रुपया खर्च होता था लेकिन अब २१,४०,०८,००० खर्च होता है। कृषि पर ९४,८५,३०० रुपया खर्च होता था और अब २०,९१,२३,२०० रुपया खर्च होता है। इसी तरह से और भी महकमे हैं जिनमें बराबर इस तरह की तरक्की हुई है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां तक रेविन्यू का ताल्लुक है वहां तक रुपया गरीबों से कम लिया जाता है और अमीरों से अधिक लिया जाता है। पहले अमीरों से कम और गरीबों से ज्यादा लिया जाता था। अब वह बात नहीं है। गरीबों से न लिया जाय और अमीरों से ही लिया जाय यह हमेशा के लिये नहीं हो सकता है। गरीबों से भी टैक्स लेना पड़ेगा लेकिन इस हिसाब से रखना होगा ताकि उनको दिक्कत न हो और वे सहूलियत से दे सकें। उतना ही गरीब से लेना चाहिये जितना वे दे सकते हैं। यह बात हमारे यहां २२ वर्ष से बराबर चल रही है। क्या बराबरी का दर्जा नहीं बढ़ रहा है? बड़े और छोटे के अन्तर में अवश्य ही कमी हुई है। आपकी तबीयत के मुताबिक चाहे वह न हो, यह अपने विचार की बात है। आप कुछ भी अपने विचार बना लें और उस हिसाब से पूरा न हो लेकिन अन्तर जरूर मिटा है।

यह कहा गया कि खेती पर तरक्की नहीं की गई और दूसरी चीजों पर की गई। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बात नहीं है खेती की तरक्की काफी हुई है। २, ३ साल सूखा पड़ गया लेकिन किसानों को बाद में लाभ हुआ है। सूखे से किसान और दूसरे लोगों को तकलीफ हुई लेकिन २ साल के बाद अब वह जमाना आया है कि अब वह परेशानी नहीं है। खेती की तरक्की के लिये सरकार सजग है और कोशिश कर रही है कि खेती की बहुत तरक्की हो। यह सब लोग मानते हैं कि बिना खेती की तरक्की के देश की तरक्की नहीं हो सकती। खास तौर से अपने राज्य की तरक्की

तो हो ही नहीं सकती क्योंकि यहां ज्यादातर किसान ही रहते हैं। किसान की तरक्की नहीं होगी तो किसी की तरक्की नहीं हो सकेगी। किसानों के पास पैसे होंगे तो वे और तमाम चीजें खरीदने के लिये बाजार जावेंगे, किसानों का सम्बन्ध तो सबसे लगा हुआ है। पैदा करने वाले तो किसान और मजदूर के सिवा और कोई है ही नहीं, बाकी लोग तो उनसे फायदा उठाने वाले हैं। लेकिन साथ ही साथ उनके बिना भी काम नहीं चल सकता है क्योंकि वे भी समाज के अन्दर कुछ न कुछ अपना सहयोग देते हैं।

मैं यह कह रहा था और आप सब लोग जानते हैं कि खेती की तरक्की के लिये पानी की जरूरत है। बिना सिंचाई के खेती की तरक्की नहीं हो सकती। इसी तरह से खेती की तरक्की के लिये बीज की जरूरत है। इसके लिये अच्छे बीज का बड़ा महत्व है। इसी तरह से और कई चीजें हैं। कौन सा आदमी कहने के लिये तैयार है कि बीज पहले से अच्छा और आसानी से नहीं मिलता? अच्छा बीज कुछ महंगा भले ही हो, लेकिन उसे तो लेना ही पड़ेगा। उसमें थोड़ी बहुत रियायत हो सकती है तो उसमें गवर्नमेंट रियायत भी करती है और सस्ते से सस्ते दामों में किसानों को बीज मुहइया करती है।

मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां तक सिंचाई का ताल्लुक है, यहां पर तरह तरह की सिंचाई का प्रबन्ध किया जा रहा है। आप देखें कि पक्के कुवें बनवाये जा रहे हैं, ट्यूबवेल्स लगवाये जा रहे हैं—सरकारी और निजी दोनों ही। निजी ट्यूबवेल लगवाने पर अब काफी सहायता मिलती है। संविद सरकार ने तो वह सहायता कम कर दी थी और यह कर दिया था कि जहां लाइन होगी उससे एक फर्लांग की दूरी पर भी लाइन लेने पर १२०० रुपये देने होंगे लेकिन अब इसके लिये कोई पैसा नहीं लगता। यह सही बात है कि पहले की बनिस्बत अब सिंचाई का प्रबन्ध काफी ज्यादा हो गया है और मेरा खयाल है कि ५ साल में और भी तरक्की होगी। कांग्रेस गवर्नमेंट ने यह कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि हम खेत को पानी और हर गांव को बिजली दे दें। अगर ऐसा हो गया तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। यह ठीक है कि जिसका जो स्वप्न होता है वह कभी न कभी पूरा होता है परन्तु कभी कभी नहीं भी पूरा होता है। ठीक है, हमारी कोशिश है और हम समझते हैं कि वह पूरा होगा लेकिन बहुत से लोग उसमें तरह तरह की अड़चनें डालते हैं, तरह तरह के आन्दोलन व तरह तरह के झगड़े खड़े करते हैं। अगर ये झगड़े न हों तो काफी फायदे हो जायं लेकिन बिना मतलब के बहुत से झगड़े करते हैं। इन झगड़ों को अगर असेम्बली और विधान परिषद् के माननीय सदस्य आपस में पहले ही बैठ कर तय कर लें तो इस तरह से बिना बात के बात न बढ़े और इस तरह के झगड़े ही न हों। अभी नकसलबाड़ी की तारीफ हो रही थी। अगर इस तरह से नक्सलवादियों की तारीफ होगी तो उससे उतना ही नुक्सान होगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपसे कहता हूं कि जितनी तरक्की हो सकती है बिजली की, पानी की, बीज की या खाद की वह हो रही है और किसान उनको अच्छे दामों पर लेना पसन्द करता है, इसके लिये किसान कोई आन्दोलन नहीं करता है। हमारे ये नेता लोग ही हैं जो इस तरह के आन्दोलन करते हैं। आप देखें कि सोशलिस्ट पार्टी जो सबसे ज्यादा ऊधम करने वाली पार्टी थी, सबसे ज्यादा आन्दोलन करने वाली पार्टी थी उसके सदस्यों की संख्या ४८ के बजाय अब २४,२५ ही रह गयी।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री होतीलाल अग्रवाल—

श्रीमन्, आपने जो मुझे बोलने के लिये समय दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

चौधरी रघुराजसिंह, (जिला बुलन्दशहर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा कृतज्ञ हूं कि आज आपने मुझे बोलने का समय दिया। इस बजट की पहली शक्ल यह है कि इसमें ४८.६४ करोड़ का डेफिसिट दिखाया गया है।

[चौधरी रघुराज सिंह]

इससे किसी को इन्कार नहीं होगा कि डेफ़िसिट बजट के मानी दीवालिया बजट होता है। अगर किसी बड़े व्यापारी का तीन चार बार दिवाला निकल जाता है या जितनी बार उसका दिवाला निकलता है उसकी हैसियत उतनी ही बढ़ जाती है, इसी नजर से अगर इसको देखना है, इस मानी में अगर यह डेफ़िसिट बजट है, तब तो यह बड़ी खुशी की बात है। ताहम इस हाऊस में विरोधी दल की तरफ़ से सभी ने यह बताया कि यह खिसारे का बजट है। कोई नयी बात नहीं है। तकरीबन २० साल से कांग्रेस की हुकूमत इसी तरह का बजट पेश करती आ रही है। कभी भी ऐसा बजट नहीं आया जब कि सरकार ने घाटे का बजट न पेश किया हो।

अब कर्जे की हालत को देखिये। कर्जा इतना बढ़ता जा रहा है कि उसकी कोई तादाद नहीं है। इसका किस तरह से पेमेंट किया जायेगा इसका कोई जिक्र इस बजट में नहीं है। कब तक यह सरकार इस कर्जे को निबटा पायेगी, इसका भी कोई जिक्र इस बजट में नहीं है। मैं तो समझता हूं कि शायद कयामत तक भी हम इस कर्जे को निबटा नहीं पायेंगे अगर यही सरकार बरकरार रहती है।

खेती और सिंचाई को बड़ी अहमियत दी गयी है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी उसका अधिक जिक्र किया गया था। लेकिन देखने से मालूम होगा इस बजट में खेती को कोई स्थान ही नहीं दिया गया है। यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि आज नहरों की क्या हालत है, उनमें और रजबहों में पानी नहीं होता है। समय पर पानी किसी काश्तकार को मिलता नहीं। नतीजा यह होता है कि फ़सल खुश्क हो जाती है जिससे काश्तकारों का बड़ा नुकसान होता है। जो प्राइवेट और सरकारी ट्यूबवेल्स हैं उनकी हालत यह है कि उनमें बिजली इस नाकिस तरीके से दी जाती है, कभी ज्यादा कभी कम, नतीजा यह होता है कि बड़ी तादाद में मोटर जल जाते हैं, ट्रान्सफ़ार्मर्स भी फ़ुंक जाते हैं। फिर उनको दुरुस्त करने में काफ़ी समय चला जाता है। नतीजा यह होता है कि जब फ़सलें पानी मांगती हैं, तब उनको पानी नहीं मिलता बल्कि उस वक्त मिलता है जब उन को जरूरत नहीं होती। अगर सरकार इन आंकड़ों को उठाकर देखेगी और तहकीकात करेगी तो मालूम होगा कि सरकारी ट्यूब-वेलों में इस तरीके से कितने ट्रान्सफ़ार्मर्स फुंकते हैं, कितने मोटर जल जाते हैं और उनकी कितनी कास्ट पड़ती है। काश्तकार को अपनी जिन्दगी की जरूरत के लिये जितनी चीजों की जरूरत है उनकी कीमतें बराबर बढ़ती चली जा रही हैं। हालांकि यह दिखलाया गया है कि पिछले साल के मुकाबिले में प्रोडक्शन बढ़ती चली जा रही है, लेकिन कभी इसका मुकाबिला करके नहीं देखा कि कितना रकबा काश्त में बढ़ गया है और उस लिहाज से पैदावार पर क्या असर है। इम्प्रूव्ड वैरायटीज आफ सीड्स काश्त के लिये रिकमेन्ड किया जाता है। लेकिन जिस साल इसकी ईजाद हुई और काश्तकारों ने इस्तेमाल किया उस साल कुछ पैदावार ठीक हुई हालांकि उस हद तक नहीं पहुंची जिस हद तक महकमे ने बताया था और उसके बाद बराबर गिरती चली गई। मैं समझता हूं कि अब एक चौथाई पैदावार रह गई है।

फ़र्टीलाइजर का मिलना यहां तो बहुत आसान मालूम होता है कि इफ़रात के साथ समय पर मिलता है, लेकिन देहातों में अगर काश्तकारों की दिक्कतों का आप मुलाहिजा करें और देखें तो मालूम होगा कि फ़र्टीलाजर उनको कभी वक्त पर नहीं मिलता जितना उनको दरकार होता है, उतना नहीं मिलता। पूंजीपति उसको खरीदकर ब्लैक में बेचता है और काश्तकार परेशान रहता है क्योंकि वह ब्लैक मार्केट से खरीदता है। इसलिये ब्लैक मार्केट पर मौका तलाश करके देता है। इस वास्ते काश्तकार उसकी तलाश में ही फिरता रहता है। और जब इस किस्म के खाद काश्तकार इस्तेमाल करता है तो पानी भी उसको इफ़रात से मिलना चाहिये। लेकिन बिजली का यह हिसाब है कि वह दो दो और तीन तीन रोज मुतवातिर बन्द रहती है। अगर दो चार घंटों के लिये भी चली जाय तो भी कोई बात नहीं है। इससे सरकारी और प्राइवेट ट्यूबवेल सब बन्द हो जाते हैं। नतीजा इससे साफ़ जाहिर है कि काश्तकार की दिक्कत को गवर्नमेन्ट ने कभी गौर नहीं किया।

ट्रैक्टरों की सूरत यह है कि नसीब नहीं होते । अगर काश्तकार ट्रैक्टर के लिये रुपया भी जमा करवे तो भी फ़सलों पर फ़सलें गुजर जाती हैं और उनको ट्रैक्टर नसीब नहीं होता और अगर नसीब हो भी गया तो काश्तकर ट्रैक्टर की कीमत दुगुनी–तिगुनी बढ़ी हुई कीमत कैसे देगा। बैलों की कीमत भी दुगुनी–तिगुनी बढ़ी हुई है। कपड़े की कीमत देखिये। हर चीज चढ़ी हुई है। जब एग्रीकल्चर की प्रोडयूस उसके घर में होती है तब उसकी कीमत और होती है और जब दुकान पर पहुंच जाती है तो और होती है। कभी सरकार ने इस बात की ओर भी गौर किया है ?

जब दुकान में हमारी पैदावार पहुंचती है और हम वजन कराते हैं तो चालीस सेर का मन ४१ सेर का हो जाता है और जब लेने के लिये जाते हैं तो ४० सेर का ३९ सेर रह जाता है। बताइये यह क्या हक और इन्साफ़ है और इसको क्या जांच पड़ताल है। किसानों को मंडियों में कितनी दिक्कतें होती हैं, न जाने कितनी कटौतियां उन को देनी होती हैं। इन वजूहात से मैं नहीं समझता कि सरकार के दिल में किसान के लिये कोई दर्द है। काश्तकार को भूमिधरी हक हासिल करने के लिये पहले दस गुना देना पड़ता था और वह भूमिधरी हक हासिल कर लेता था मगर अब तो उसमें भी इजाफ़ा कर दिया गया कि अगर वह बीसगुना दाखिल नहीं करेगा तो उसे यह हक नहीं मिलेगा, क्या भूमिधरी हासिल करने वालों की आमदनी में भी दूना इजाफ़ा हो गया है ? इसके अलावा एक और नया टैक्स आने वाला है सीरदारी पर २५ फ़ीसदी से सौ फ़ीसदी तक और भूमिधरी पर पचास फ़ीसदी से दो सौ तक। ये टैक्स मैं तो समझता हूं कि "स्वस्ट स्ट्रा आन कैमल्स बैक" होगा अगर काश्तकार की तरफ़ यही इन्साफ़ रहेगा, बड़े अच्छे भाव हैं उनके लिये, बड़ी अच्छी पैदावार है, सिर्फ़ यह कहकर काम नहीं चलेगा। लेकिन उसके साथ साथ उसकी तालीम, उसके कपड़े, उसकी बीमारी आदि के सौ खर्चे हैं। अगर वह अस्पताल में जाता है तो दवा भी नहीं मिलती है। उम्दा सड़कें किसानों के चलने के लिये नहीं हैं बल्कि अमीरों के चलने के लिये हैं। यह सारी देहात की दिक्कतें हैं, इन पर सरकार ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। अंग्रेजों के जमाने में कांग्रेस वाले गांवों का दौरा करते थे लेकिन आज तो हालत यह है कि वे पंखों के नीचे आरामदेह कुर्सियों पर बैठकर विश्राम करते हैं। आज कितना फ़ासला है उनमें और किसानों में। वे आज नहीं जानते कि किसान भी कोई जानवर है जिसके परवरिश की कोई जरूरत है।

कहा गया है कि कारखाने खोले जायेंगे, एक नहीं दसों और बहुत बड़े-बड़े खोले जायेंगे। कारखानों को सस्ती बिजली दी जाती है, सस्ती जमीन दी जाती है, उनको टैक्सेज में भी रिआयत दी जाती है, कर्जा भी कम सूद पर दिया जाता है जिसकी वसूलयाबी भी बरसों में की जाती है लेकिन किसानों को ६ महीने से ऊपर की मोहलत भी नहीं दी जाती। उसकी कुर्की और गिरफ़्तारी भी होती है। पहले कानून में किसानों की गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी। लेकिन आज कांग्रेस सरकार के जमाने में कुर्की और गिरफ़्तारी दोनों साथ–साथ हो सकती हैं। बेचारे किसान दिन और रात काम करते हैं। मौसम का भी उनको कोई खयाल नहीं है। ऐसी हालत में भी रोजाना उन पर नये नये टैक्स लगाये जाते हैं। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार के बजट में बड़े–बड़े मालदारों और पूंजीपतियों के मुकाबले में किसानों का कुछ भी खयाल नहीं रखा गया है। फिर भी उन पर टैक्स पर टैक्स लगाने की तजावीज हो रही है इसलिये कि किसान गरीब रहे तो अच्छा है, गरीब रहेगा तो डरता रहेगा और लालच में वोट भी दे सकता है। जिसके पास पैसा होगा वह वोट के लिये खर्च भी कर सकता है। यह बजट कैपिटालिस्ट बजट है। इससे सोशलिज्म का और प्रदेश की एकानोमी का कोई ताल्लुक नजर नहीं आता।

हमारे विरोधी दल के नेता श्री चरण सिंह जी ने बहुत मुफ़स्सिल तरीके से बताया कि क्या–क्या वारदातें विरोधी दलों और खास तौर से बी० के० डी० के साथ हो रही हैं। किसी का कत्ल हो रहा है। किसी के यहां डकैती हो रही है, तरह-तरह की वारदातें हो रही हैं। इसके माने यह हैं कि अनेक तरह के जुल्म विरोधी दलों पर ढाये जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि

[चौधरी रघुराज सिंह]

इसका नतीजा कभी अच्छा नहीं हो सकता। और इसकी सारी जिम्मेवारी कांग्रेस सरकार पर है। आज इस हकूमत की वजह से यह हालत हो गयी है—

अज़ हैबते शाहेजहां, लरज़त जमीनो आसमां,
अंगुश्त हैरत दर्द हां, नीमे बिस्मिल बिस्मिलें।

यह मोहब्बत की सरकार नहीं है। आज कांग्रेस सरकार की हुकूमत जुल्म और डन्डे के बल पर हो रही है—

करीब है यार रोजे महशर छिपेगा कुश्तों का खून क्यों कर'
जो चुप रहेगी जबाने खंजर तो खूं पुकारेगा आस्तीं का।

उप मुख्य मंत्री जी मेरी तरफ़ क्या देखते हैं आप जरा महात्मा गांधी की तस्वीर की तरफ़ देखिये उनकी रूह से आवाज आ रही है—

किश्वरे हिन्दोस्तां में रात को हंगामा ख्वाब,
करवटें रह रह के लेता है, खिज में इन्कलाब,
चंद किये जल्दी हवायें तुंदोगरम आने को हैं,
जर्रा-जर्रा खाक में तब्दील हो जाने को है।

श्री गनेशदत्त बाजपेयी (जिला कानपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का कुछ समय दिया। मैं ३-४ दिन से सुनता रहा हूं, काफ़ी ज्ञान वर्द्धन हुआ है, लेकिन मैं समझता हूं कि अपने विषय को मुझे कम से कम ३ हिस्सों में बांट लेना चाहिये। १ तिहाई समय तो रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन के लिये, संसाधन जुटाने के लिये, हम को क्या करना चाहिये, कौन कौन से कदम संभव हैं, इस पर मुझे निवेदन करना है। एक तिहाई प्रायोरिटीज पर करना चाहिये कि हम अपने खर्चे को किस तरह से करें और एक तिहाई प्रशासन की कमियों को दूर करने के सुझावों में खर्च करना चहिये नहीं तो हमारा पर्सपेक्टिव ठीक नहीं होगा।

जहां तक संसाधनों के जुटाने का सम्बन्ध है, मैं यह निवेदन करना चहता हूं कि जैसे एक दो महीने पहले यहां ट्रांस्फ़र्स का सीजन रहा, और इस वक्त बी० टी० सी० की भर्ती का सीजन है, उसी प्रकार से सारे हिन्दुस्तान की स्टेट्स की एसेम्बलीज का डैफ़िसिट बजट बनाने का इस समय सीजन है। कहीं ५० या कहीं ५५ करोड़ का डैफिसिट बजट बनाया गया है। बंगाल के बजट से लेकर भारतवर्ष में कोई एसेम्बली नहीं है जिसने डैफ़िसिट बजट न बनाया हो। मैं अपने माननीय नेता विरोधी दलों से यह उम्मेद करता था (हू हैव नाट लास्ट देयर ह्यूमर) जो नाराज होकर नहीं बोलते हैं कि वे हमसे यह कहें कि आपने केवल ५० करोड़ के घाटे का ही बजट क्यों बनाया है? क्यों नहीं इस बजट को ७५ करोड़ के डैफ़िसिट का बनाया? आगामी ३१ जुलाई को मालूम हो जायगा कि फ़ाइनेंस कमीशन हर स्टेट को क्या क्या देने जा रही हैं। अधिक खर्च दिखला करके सब जगह इस आशय से डैफ़िसिट बजट बनाये गये हैं कि फ़ाइनेन्स कमीशन कुछ हद तक खर्चा मीट करे। अगर आप डैफ़िसिट बजट बनायेंगे तो हमें ज्यादा रुपया मिल सकेगा इत्यादि। मेरा खयाल है कि अपोजीशन पार्टी ने इसलिये नहीं कहा चूंकि उन की सरकार ने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने अपने समय का बैलेन्स्ड बजट बनाया था। जिससे हमारी एकोनामी को आगे बढ़ने में कम से कम ३० करोड़ का धक्का लगा। श्री पनीक्कर और डाक्टर गोपाला रेड्डी की कृपा से अब यह किडर गार्डन की नोलिज है कि हर तरह से हम इस प्रदेश में सब सूबों की बनिस्बत पहले से पीछे हैं। १९५० क्या १८५० में भी हम उस वक्त ऐसे गरीब नहीं थे कि हम सारे देश में सब से गरीब हों। इस वजह से मैं समझता हूं कि प्रत्येक विचारक के लिये यह फ़र्स्ट क्लास क्वेश्चन है कि हम रिसोर्स का मोबिलाइजेशन कैसे करें। आप किसी चीज के लिये, चाहे

वह लैंड लैस श्रमिक या अन्य श्रमिकों की समस्या हो, विद्यार्थियों की समस्या हो, बेकारी की समस्या हो, ये सब बहुत गम्भीर हैं। हर समस्या के समाधान में आपको कुछ रुपये की भी आवश्यकता है और प्रशासन की प्योरिटी या शुद्धता के लिये भी धन चाहिये। कोई भी समस्या हो, हमें अधिक धन चाहिये।

मैं माननीय नेता विरोधी दल जी की इस तजवीज का स्वागत करता हूं कि यह जो शुगर इन्डस्ट्री है इसको तुरन्त नेशनलाइज कर दिया जाय। मेरे अन्दाज में सरकार किसानों और श्रमिकों को संतुष्ट करने के बाद भी अपने एक्सचेकर को दस करोड़ सालाना दे सकेगी। केवल बी० आई० सी० कानपुर को नेशनलाइज अगर किया जाय जिसमें ३९ प्रतिशत हमारा लगा है और ४१ प्रतिशत बाजूरिया और उन के मित्रों का है। क्या हमारे कोई मित्र नहीं बन सकते? अगर हम दो परसेन्ट शेयर और लगादें तो ५ करोड़ रुपये स लाना का फ़ायदा हम कर सकते हैं। अगर हम गल्ले आदि की स्टेट ट्रेडिंग में कदम रखें तो इस योजना से हमें करीब करीब १५ करोड़ रुपये का लाभ हो जायगा। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि हमारी टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी जिसने एग्जामिन किया है टेक्सेशन रिसोर्सेज के बारेमें और उसकी सिफ़ारिशों के अनुसार इकनामिक होल्डिंगों, सिंचाई और कैशक्राप सब मिलाकर आमदनी में २५ करोड़ रुपये बढ़ने की आशा के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। आप पसन्द करें या न पसन्द करें हर सूरत में आपको उसके सुझावों पर बोलना चाहिये। यदि ऐसा न हुआ तो मैं नहीं समझ पाता किस रूप से इन संसाधनों के लिये रुपया जुटाने में हम सफ़ल हो सकेंगे। देहाती इलाके पर टैक्स लगाया जाय यह कहने की हिम्मत किसी में नहीं है। यहां कहा गया कि हम पर ९,००० करोड़ का पब्लिक डेट है जब हम डेवलपिंग इकानामी के एक्सपेंसेज के बारे में सोच रहे हों तो इसके खिलाफ़ पब्लिक डेट का जिक्र मिसफ़ायर है। पाश्चात्य विकसित देशों के पब्लिक डेट एस्ट्रानामिकल फ़िगर्स में हैं। किसी भी देश को देखिये सबने डेट्स लिये हैं। हम १३ करोड़ रुपये का स्टेट लोन लेने जा रहे हैं। यह क्यों हम नहीं कहते कि इसे २० करोड़ रुपया क्यों नहीं किया जाता। यह अपोजीशन से सवाल उठना चाहिये था। पिछले १८ वर्ष में हम करीब १ हजार करोड़ रुपये के नुकसान में डेवेलपमेंट में इंवेस्टमेंट के हो गये। सक्सेसिव फ़ायनेन्स कमीशन ने हमारे साथ न्याय नहीं किया। डा० गाडगिल को मैंने सुना। पांडित्य और शालीनता की दृष्टि से सब तरह से उनका भाषण ठीक था लेकिन जस्टिस और सत्य की उसमें कमी थी। जन संख्या के हिसाब से अब १३ परसेंट हमें मिल पाया है। रेलवे यात्री कर से जो मिलना चाहिये, आर्टिकिल २७५ के मातहत जो मिलना चाहिये, बाढ़ तथा नेचुरल कैलेमिटीज के लिये जो मिलना चाहिये उतना हमको नहीं मिल पाया। बैंक्स जो नेशनलाइज हुए वह उचित ही हुआ वर्ना जितने डिपाजिट्स होते थे वे सारे के सारे कलकत्ता, मदरास तथा बम्बई में भर दिये जाते थे, हमको कुछ नहीं मिल पाता था। इस प्रकार एक पूरा प्लान पीरियड हम पीछे रह गये हैं उसको पूरा करने के लिये हमको संसाधन जुटाने होंगे। संसाधन जुटाने के साथ ही यह ठीक है कि रुपया कायदे से खर्च हो। मैं भी निसन्देह यह कहता हूं कि हमारा प्रशासन करप्ट है, इनएफ़िशियेंट है, हमको उस पर गर्व नहीं है लेकिन केवल इतना कहना मूर्खता है।

नेहरू जी की ७० वीं वर्षगांठ पर कुछ लोग अभिनन्दन ग्रंथ भेंट करने कानपुर और लखनऊ से गये। उनमें किसानों ने कहा कि आपके राज्य में करप्शन है। नेहरू जी बहुत नाराज हुए और कहने लगे यही कहने आप लखनऊ और कानपुर से आये हैं, आप रास्ता बतलाइये वह कैसे दूर हो। चार दिन से मैं भाषण सुन रहा हूं लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव प्योरिटी या शुद्धता के बारे में सुझाव किसी ने नहीं दिये। हमारे नन्दा जी ६ महीने में करप्शन को दूर करना चाहते थे। क्या हुआ। यह इम्प्रेशन मत दीजिये कि हमारी पार्टी आये तो एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल तथा कामर्शियल करप्शन हम चन्द महीनों में हटा देंगे। फ़िर आप तो यह कहते हैं कि अगर करप्शन दूर न हुआ तो बजट में एक रुपया मंजूर नहीं करेंगे। गोया एक हफ़्ते में करप्शन दूर हो जायगा। ऐसा गुस्सा भी किस काम का। कोई कमेटी

[श्री गनेशदत्त वाजपेयी]

हो जो थारोली इसकी प्रोब करे। मिसाल के तौर पर में लेबर डिपार्टमेंट को लेता हूं इस विभाग में मजदूरों की ३० परसेंट शिकायतें ही न्यायाधिकरण को जाती हैं और उसमें भी ३० परसेंट वे जीत पाते हैं। किसी भी तरह से हम यह नहीं कह सकते हैं कि उनकी कोई सिक्योरिटी आफ़ सर्विस है या पिछले १०–१२ साल से उनके कोई रीयल वेजेज बढ़े है। तब फिर इस विभाग से क्या लाभ? मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब नेता विरोधी दल ने कहा कि यू० पी० की आर्गेनाइज्ड लेबर भारतवर्ष के दूसरे सूबों से ज्यादा तनख्वाह पाती है। किस इंडस्ट्री के बारे में वह कह रहे थे मुझे नहीं मालूम। मैंने कै सैकड़ों इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स लड़े होंगे। इसी तरह से एक ऐसे समाजवादी को भी उत्तर प्रदेश में देख कर दंग रह गया जोकि नैशनलाइजेशन आफ़ बैंक्स का विरोध कर सकते हैं जैसे कि पार्लियामेंट में सोशलिस्ट पार्टी के जो आदमी इसको सपोर्ट करते हैं वह कोई सोशलिस्ट ही नहीं हैं। एक बात और है। आजकल जो टाउन प्लानर्स हैं वह २५ लाख से १ करोड़ तक की आबादी के शहर को शहर कहते हैं। इस प्रदेश में कानपुर ही एक ऐसी जगह है जो शहर होने की दिशा में बढ़ रहा है। कृपा कर के एक करोड़ रुपया कूड़ा हटाने, सीवर लगाने को उधार ही दे दीजिये। लेकिन न तो थर्ड प्लान में ही अर्बन डेवलपमेंट के लिये कोई पालिसी है। यह एक बड़ी भारी कमी है (लाल बत्ती देखकर) मैं इतना कह कर आपको पुनः धन्यवाद देता हूं —

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, लगभग १२ वर्ष से मैं नगरपालिका का सदस्य हूं। मैं समझता था कि शायद म्युनिसिपैलिटी तक ही यह बात सीमित रहती है कि जब जो चाहे बोल दे लेकिन यहां देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिसने भी चाहा माइक पकड़ा और बोलना शुरू कर दिया.....

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य को मैं बजट पर बोलने की इजाजत दे चुका हूं। कोई और दूसरी टीका आपको करनी हो तो वह विषयान्तर होगी।

श्री जगन्नाथ खन्ना—

जो कुछ आपने कहा वह ठीक है। बजट के बारे में मुझे इतना ही कहना है कि मैंने आज से कुछ दिन पूर्व एक प्रश्न परिवार नियोजन मंत्री से किया था जिसमें पूछा था कि १–४–६८ से ३१–३–६९ तक प्रदेश में कितने लोगों की नसबन्दी की गयी है। उसका उत्तर मुझे यह मिला कि २,२७,६५१ लोगों की उत्तर प्रदेश में नसबन्दी की गयी। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने लोगों की नसबन्दी की गयी है उसमें से ९५ परसेंट हिन्दू हैं और ५ पसर्सेंट अन्य जातियों के लोग हैं। लेकिन आने वाले १५।२० वर्षों में वे क्या चाहते हैं? क्या मैजिरिटी को मायनोरिटी में बदलना चाहते हैं? अगर यही हालत रही और कम चला तो आने वाले २० वर्षों में आप लोगों का इस सिंहासन पर बैठना नहीं होगा। मैं यह नहीं कहता परिवार नियोजन की योजना खराब है लेकिन जो दबाव डाला जाता है वह ठीक नहीं है। कहीं पटवारियों के कोटे मुकर्रर किये जाते हैं और कहीं उनको सस्पेंड किया जाता है। एक जाति के ऊपर इस तरह का दबाव गलत है। सरकार को इसे रोकना चाहिये।

दूसरी ओर सरकार यह कहती है कि वह कृषि पर विशेष ध्यान देती है, लेकिन कृषि यंत्रों पर जिनसे खेती होती है, उसने ३ प्रतिशत का नया टैक्स लगा दिया है। हमारी ८५ प्रतिशत जनता खेती करती है। हमारे पड़ोसी प्रदेश, हरियाना, पंजाब और दिल्ली में कहीं भी यह नया टैक्स नहीं है। इसको वित्त मंत्री जी वापस लें।

मैंने एक एप्लीकेशन मार्च के महीने में सिंचाई मंत्री जी को दी थी, जिसमें लिखा था कि सहारनपुर जिले में छोटे-छोटे बहुत से किसान हैं जो कमांड एरिया में हैं उनको न तो ट्यूब-वेल्स से पानी मिलता है और न नहरों से पानी मिलता है। अगर उनको इजाजत मिल जाये तब भी उनके पास ट्यूबवेल लगाने के लिये पैसे नहीं हैं। इसलिये मंत्री जी इधर ध्यान दें कि जहां छोटे-छोटे किसान कमांड एरिया में हैं वहां सरकार ट्यूबवेल लगा दे, जिससे उनको पानी मिल सके। कई जगह नहरों में एक आध बार पानी आता है और ५, ६ दिनों तक पानी नहीं मिलता है, जिससे उनके खेत सूख जाते हैं।

इसके बाद में एक्साइज की ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा। शराब की हालत यह है कि उसका ठेका कई गुने अधिक आकशन में किया जाता है। एक लाख पर जिसका ठेका होता था उसका ५ लाख में होता है। क्या उसका रेशियो बढ़ा दिया ? वहां पर ठेकेदार स्प्रिट और पानी आदि चीजें मिलाकर शराब बेचता है जिससे पीने वालों की सेहत खराब होती है, परेशानी होती है और कई मौतें हो चुक हैं। अगर ऐसी चीजें होती हैं तो वह गलत है। इसी के साथ जहां मुहल्ले हैं वहां भी नये नये लाइसेंस दे दिये गये हैं। वहां नये ठेके चल रहे हैं। लोगों के ऊपर उनका क्या असर होता है इससे कोई मतलब नहीं है सरकार को तो पैसा चाहिये। सरकार को इधर ध्यान देना चाहिये कि मुहल्ले वालों के ऊपर उसका क्या असर होता है तो मैं अपने माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा, खासकर ऐसी जगहों पर जहां से उनके पास शिकायतें आई हों, अगर ऐसी चीजें हैं तो उनकी ओर पूरा-पूरा ध्यान दें।

आज आप हास्पिटल के अन्दर जायं तो कोई सुनने वाला नहीं है। कोई एकाध परिचय वाला पहुंच जाय, कोई एम० एल० ए; मिल गया तो उस मरीज को तो तीमारदारी हो गई, नहीं तो आज हास्पिटल के अन्दर लोगों को बड़ी परेशानियां होती हैं। मैं अपने स्वास्थ्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वह इस ओर पूरा पूरा ध्यान दें। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। आज इस प्रदेश के अन्दर न्याय की क्या हालत है, डेढ़-डेढ़ दो-दो साल तक हियरिंग होने के बाद भी मुकदमों का फैसला नहीं होता। बराबर तारीखें बढ़ती जाती हैं, हियरिंग होने के बाद तारीखें देते जाना यह अनुचित बात है। इस ओर भी माननीय न्याय मंत्री जी ध्यान दें। न्याय बड़ा महंगा है। लोग सुबह से शाम तक बैठते हैं, उसके बाद तारीख लग जाय और सालों तक कोई फैसला न हो यह बहुत गलत बात है। सरकार इस ओर पूरा-पूरा ध्यान दे।

इसके अलावा मैं शिक्षा मंत्री से कहना चाहूंगा कि जो लड़के बी० एस० सी०, एम० एस० सी और बी० एड० आदि में दाखिला लेने जाते हैं उनमें बड़ा कम्पटीशन दिखाई देता है। जैसे आई० सी० एस० का कम्पटिशन होता रहा है। वहां लोग तंग आ जाते हैं। पढ़ने वाले ज्यादा हैं, पढ़ने की कोई कालेजों के अन्दर व्यवस्था नहीं है। सहारनपुर वाला लड़का मुज-फ्फरनगर, देहरादून, मेरठ भागकर जाता है और चार चार जगह अप्लाई करता है। प्रशासन को इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए कि भली भांति पूरी एजूकेशन लेने का लोगों को मौका मिल सके। इसके साथ साथ आपके प्रदेश के जो चौथी श्रेणी के लोग हैं जो म्युनिसिपल बोर्ड के चपरासी हैं, या अन्य छोटे कर्मचारी, उनको ८०-८० रु० १००-१०० रुपये मिलते हैं। उनके ग्रेडों पर पर भी ध्यान दें। एक पांच आदमियों का परिवार ८० रुपये में गुजर कर सके नामुमकिन है जबकि हमारा जेब खर्चा ५०-५० रुपये १००-१०० रुपये प्रति मास हो जाता है। वहां पर एक कर्मचारी से हम यह आशा करते हैं कि वह १०० रुपये में या ८० रुपये में गुजर कर सके यह बहुत मुश्किल है। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसके बाद में यह कहना चाहूंगा कि इस सरकार को २२ वर्ष हो गये। कांग्रेस बेन्चेज के एक साथी कह रहे थे, कि कुछ महीनों में क्या हो सकता है। १९४७ से १९६९ चला जा रहा है। अब भी यह उनके लिए कुछ महीने हैं। पता नहीं उनका एक वर्ष कितने महीनों का होता है। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें नहीं हैं। सड़कों की ओर ध्यान दिया जाय। मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि जो बातें मैंने कहीं हैं, उन सारी बातों पर सरकार ध्यान दें।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस बहस में इसलिये हिस्सा ले रहा हूं कि जो मेरे विभाग के बारे में बातें कही गई हैं वह और कुछ चन्द बातें सदन के सामने प्रस्तुत करूं। मुझे आशा थी कि हमारे कांग्रेस के ही लोग एक दूसरे रूप में विरोधी दल के सबसे बड़े दल के रूप में आये हैं तो शायद अब बहस का स्तर जरा ऊंचा उठेगा। कुछ फर्क तो अवश्य पड़ा है। लेकिन फिर भी चौधरी साहब जो मेरे मित्र बहुत दिनों से रहे हैं और जिनको आज भी मैं मानता हूं, उन्होंने एक नेता विरोधी दल के रूप में जो एक बड़ा भाषण दिया वह कुछ जंचा नहीं। उसमें बहुत बातें सही हो सकती हैं। लेकिन जितनी शिकायतें की गईं सब का ढंग एक ही था। उनकी एक थोड़ी सी कमजोरी है कि जिनके खिलाफ उनकी धारणा बन जाती है, उसके प्रति यदि कोई कुछ भी कह दे वह झूठ हो या सही वह वैसा ही मान लेते हैं, उसको बिना परीक्षा किये वह सही मान लेते हैं। मैं यह कहता हूं कि इस सदन को और सारे उत्तर प्रदेश को चलाने की जिम्मेदारी इस सदन की है, जिसमें हमारे नेता की या जो विरोधी दल के नेता हैं, दोनों की जिम्मेदारी बराबर है। आज जो प्रजातंत्र की हालत देश के अन्दर है, उसको देखते हुए हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम कोई चीज ऐसी न कहें, न करें जिससे हमारा प्रजातन्त्र खतरे में पड़ता हो। हमारे कांग्रेस दल के नेता प्रजातन्त्र और समाजवाद में विश्वास करने वाले हैं। हमारे नेता विरोधी दल भी प्रजातन्त्र और स्वायत्त शासन में विश्वास करने वाले हैं। इसलिये दोनों का यह कर्त्तव्य होना चाहिये कि सदन में जो परम्पराएं पड़ें, वे सही और आदर्श हों।

अब मैं नेता विरोधी दल से सम्बन्धित कुछ अपने विभाग की बातें कहना चाहता हूं और यह चौधरी साहब पर छोड़ता हूं कि वह निर्णय करें कि उनमें से कितनी चार्ज लगाने के योग्य थीं। इसके पूर्व में यह भी कह देना चाहता हूं कि कई बजटों के बनाने में भाग लेने का मुझे सौभाग्य मिला है, लेकिन आज तक जितने बजट बने हैं, उनसे इस वर्ष का बजट पिछले बजटों से एक अच्छा बजट है। इसको जांचने का एक मोटा सा पैमाना मैं श्रीमन, के सामने प्रस्तुत करूंगा। वह यह है कि कुल रेवेन्यू एक्सपेंडीचर हमारा इसमें जो है वह ४३५.०८ करोड़ का है, जिसमें से जो शासन पर प्रशासनिक व्यय है, यह ४७.२७ है, तो श्रीमन, यह १०.८ के करीब पड़ता है। किसी भी संस्था को चलाने का पैमाना जो महात्मा गांधी ने भी बताया था यह था कि १० प्रतिशत तक प्रशासनिक व्यय किसी में होता है और बाकी खर्च सेवाओं में होता है तो उसे सही मानना चाहिये। यह और बजटों से कम है और यह आदर्श की तरफ जाता है। दूसरा पैमाना जो किसी बजट को देखने का है, उसमें प्रशासनिक व्यय पर कितना खर्च होता है और सामाजिक सेवा में और डेवलपमेंटल सेवाओं पर कितना इस बजट में विकास-कार्य पर उसका ४.१ गुना यानी १९४.२ करोड़ है। तो इसको आदर्श बजट न कहा जाय तब भी मोटे तौर पर प्रदेश की आम जनता की भलाई करने वाला बजट है।

अब मैं अपने विभाग के बारे में जो नेता विरोधी दल ने भावुकतापूर्ण ढंग से बातें कहीं हैं उनके बारे में कहता हूं। उन्होंने एक सहारनपुर के सी० ओ० जिनका ट्रांसफर जौनपुर कर दिया गया था उनका भावुकतापूर्ण वर्णन किया और जब राजा यादवेन्द्रदत्त ने कहा कि उसका दोष क्या था? तब चौधरी साहब ने ठंडी सांस लेकर कहा कि वह एक अवांछनीय बिरादरी का था इसलिये ट्रांसफर होना जरूरी था। मैं आप की आज्ञा से उनका नाम लेता हूं। वह सी० ओ० धर्मपाल सिंह जी थे। वे पौने चार साल तक वहां रहे जबकि अमूमन ३ साल में लोगों का तबादला हो जाता है। सन् ६७ में इत्तिफाक से जिसको चरणसिंह जी अपमानित बिरादरी का कहते हैं मैं उसे सम्मानित बिरादरी कहता हूं क्यों कि देश की आजादी की लड़ाई में उनका बहुत कंट्रीब्यूशन था। उसी बिरादरी के श्री केहरसिंह जी चकबन्दी कमिश्नर थे। वह सरकारी सेवा में भी अब नहीं हैं, जिससे यह कहा जा सके कि मंत्रिमंडल का दबाव उनपर पड़ा होगा, लेकिन उन्होंने इन्हीं धर्मपालसिंह जी के सन् ६७ में तबादले के बारे में लिखा था नोट और यह लिखा कि "विगरस इंटरफियरेंस" के कारण उनका तबादला रोका जाता है और लिखा किसी मंत्री विशेष की कृपा के कारण विगरेस इंटर-फियरेंस हो रहा है और उसके कारण तबादला रोका जा रहा है। यह उन्होंने अपने दिल पर

कितना पत्थर रखकर लिखा होगा। धर्मपालसिंह जी भी उसी सम्मानित बिरादरी के थे और उन्होंने ही उनका ट्रांसफर किया था जो उन्हें रोकना पड़ा था। उनके खिलाफ चार्जेज क्या थे? वे मेरठ के रहने वाले हैं। सहारनपुर अलीगढ़ एटा आदि जिलों में सारी सरविस रहे पश्चिमी जिलों में उनको रहने में फायदा होता है इसलिये वहां रहना पसन्द करते हैं। उनके खिलाफ चार्जेज थे कि मेरठ में उन्होंने पक्का मकान बनवाया, जमीन खरीदी तरह-तरह की रिश्वतें लीं और हरिजनों की तरफ से शिकायतें थीं कि उनके साथ वे बुरी तरह से पेश आते हैं और वहां के जमींदार जो 'मुसलिम झोंका' कहलाते हैं वे लोग हरिजनों को तंग करते हैं। उसके बाद उनकी शिकायत फिर आई। २६ फरवरी को यह शासन आया। ये उसके पहले की शिकायतें हैं। २६ फरवरी के बाद की नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि उनका तबादला डिप्टी डाइरेक्टर के कहने पर किया गया। जब उनकी बहुत सी शिकायतें आईं, तब किया गया।...

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

जब बहुत शिकायतें थीं तो उनको सर्विस से क्यों नहीं निकाल दिया?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इतना करने पर तो यह आरोप है और अगर निकाल देते तो यहां रह पाते या नहीं।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि मिर्जापुर जिले में मुख्य मंत्री जी गये। उस सम्बन्ध में कहा गया कि वहां पर उनसे बी० के० डी० के मेम्बर ने कहा कि टेस्ट वर्क खोलिये तो उन्होंने कहा कि बी० के० डी० के नेता के पास जाओ। उसके बाद कहा कि दूसरे एक मंत्री गये और वह वहां पर यह कह आये कि टेस्टवर्क वहीं पर खोलिये जहां जहां से कांग्रेस का सदस्य जीता इस बात को उन्होंने सच माना, लेकिन इस सम्बन्ध में मैं आंकड़े देना चाहता हूं। मिर्जापुर जिले में ५ क्षेत्रों में टेस्ट वर्क खुले जिसमें रामप्यारे कांग्रेस सदस्य के क्षेत्र में १४ टेस्टवर्क खुले। जनसंघ के सदस्य श्री सूबेदार प्रसाद के क्षेत्र में ७५ टेस्टवर्क खुले। आनन्दसिंह बी० के० डी० के क्षेत्र में ८२ टेस्टवर्क खुले। यह केवल मुख्य मंत्री जी के कहने पर किया गया। यहां पर बी० के० डी० के लोग कहते हैं कि मुख्य मंत्री जी ने ऐसा कहा था।...

श्री महीलाल —

मुख्य मंत्री जी ने क्या कहा था?

श्री चतुर्भुज शर्मा —

सच बात कड़वी लगती है। आप अगर सच बात कहने का दावा करते हैं तो हम भी सच बात कहने का दावा करते हैं। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने वे शब्द कहे थे या नहीं।

हम लोग इतने नपुंसक नहीं हैं कि हमारे कहने के बावजूद भी और क्षेत्रों में इतना काम हो जाय। एक श्री राम निहोर जनसंघ के मेम्बर हैं उनके क्षेत्र में २८ टेस्ट वर्क खोले गये और श्री निवास सिंह के क्षेत्र में ८३ टेस्ट वर्क खोले गये। और इस तरह से २८२ टेस्ट वर्क खुले जिनमें से कांग्रेस क्षेत्र में ९७ और गैर कांग्रेस क्षेत्र में १८५। अब आप ही समझ लें कि भेद-भाव कहां है? सूखे में यह भेदभाव की नीति बरती गयी या सही काम किया गया। असल बात यह है कि चाहे बी० के० डी० हो चाहे जनसंघ हो खासतौर से ये दोनों दल ऐसे हैं जिनके लिये मैं कह सकता हूं कि हमारे यहां ऐसा चल रहा है कि जो बड़े लोग हैं आमतौर पर हमारे अधिकारी उनके खिलाफ कम जाते हैं। मेरे पास शिकायत यह आयी थी मिर्जापुर में कि कांग्रेस वालों के उन गांवों में जिसमें जनता रहती है, जनता को ज्यादा दूर न जाना पड़े—उनके गांव में टेस्ट वर्क नहीं खोले जाते बल्कि उन गांवों में खोले जाते हैं जहां कि पुराने जमींदार व राजे

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

महराजे रहते हैं। जनता को दूर आना पड़ता है और ऐसे काम ले लिये जाते हैं जिनसे उन जमींदारों का फ़ायदा हो। तो ऐसा आदेश दिया गया कि ऐसी जगह टेस्ट वर्क खोले जा० जहां लोगों को कम से कम दूरी तक जाना पड़े और ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक फायदा हो। केवल यही आदेश था।

जहां तक मिर्जापुर में टेस्ट वर्क पर कितना खर्चा हुआ उसमें मैं नहीं जाऊंगा लेकिन ६२ लाख रुपया खर्च हुआ और ९२ लाख आदमियों को काम दिया गया। मैं समझता हूं कि उसी अनुपात में और जगह भी काम हुआ होगा जो अनुपात कि मैंने अभी बतलाया।

ये बातें जो चौधरी साहब ने कहीं थीं, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इसको वे फिर दोहरा लें कि जो मैं कह रहा हूं वह सही है या उनके पास जो इत्तला मिली थी वह सही है। एक बात जो चौधरी साहब ने कही थी उसका बहुत सूक्ष्म में मैं जवाब दूंगा। उन्होंने कहा था कि अबकी दफ़ा मिल मालिकों और बड़े लोगों से बकाया रकम की वसूली में बड़ी ढील की गयी है। श्रीमन्, आपके जरिये मैं माननीय चौधरी साहब से अर्ज करना चाहता हूं कि उनकी यह धारणा सही नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि ४ महीने में क्या हो सकता है, चार महीने में जो कुछ हो सकता है, जहां तक मुमकिन था वह हमने किया है और हर दिशा में किया है। जब मुझे मौका मिलेगा तो बाद में और चीजें बतलाऊंगा।

श्री चरणसिंह—

मैं आपके नोटिस में एक बात ला दूं। स्वतंत्र भारत में यह खबर छपी थी कि मार्च के महीने में जब आप मिर्जापुर तशरीफ ले गये तो वहां कांग्रेस वर्कर्स की मीटिंग में आपने यह कहा था जिन हल्कों से कांग्रेस एम० एल० ए० चुन कर आये हैं पहले वहां टेस्ट वर्क हों और बाकी में बाद में हो। अखबार में जब यह खबर छपी तो उसकी तरदीद आप कर देते तो उसको मैं मान लेता।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मैंने अभी यही कहा था कि चौधरी साहब भोले आदमी हैं, किसी विरोधी के लिये अगर उनके दल का कोई सदस्य कोई गलत बात भी कहता है, तो उसको वह सच मान लेते हैं।

(व्यवधान)

श्री मंजूर अहमद—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष —

व्यवस्था की बात क्या है ?

श्री मंजूर अहमद —

इस हाउस में बजट जैसे गम्भीर प्रश्न पर चर्चा न हो और इस तरह से एक नेता दूसरे नेता को जवाब देंगे तो सारा दिन इसी में खतम हो जायेगा इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रतिपक्ष की ओर से जो सवाल उठाये जाते हैं, उनका उत्तर दिया जा सकता है। साथ ही कुछ बजट से संबंधित बातों को भी कहना चाहिये।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जो बातें कही गई हैं मैं उन्हीं का संक्षेप में उत्तर दे रहा था। उन्होंने कहा कि बड़े-बड़े मिल मालिकों से वसूली नहीं की गयी। मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि इसके लिये हमने तीन-तीन आदेश जारी किये, अप्रैल के शुरू में एक आदेश दिया, दुबारा अप्रैल के आखिर में, और फिर मई में, इसका नतीजा यह हुआ कि जो ५–६ बड़ी-बड़ी मिलें थीं उनसे ही करीब ३३ लाख २५ हजार रुपया वसूल हुआ। यह अप्रैल के बाद हुआ। और बहुत सी डिटेल्स में समय नहीं है, मैं नहीं जाना चाहता। मैं समझता हूं कि जो भी बातें होती हैं, उसकी जिम्मेदारी माननीय मुख्य मन्त्री पर नहीं होती। यदि संविद के जमाने में भी कोई बात हुई है तो उसके लिये माननीय चौधरी साहब की ही जिम्मेवारी नहीं हो सकती क्योंकि हम यह यह नहीं कह सकते कि उनका वैसा मोटिव था, इसलिये ऐसा हुआ। मैं यह भी नहीं कहता कि उनको जिम्मेदारी से बरी किया जा सकता है। लेकिन हर बात को कहने से पहले ठंडे दिल से सोच लेना चाहिये। चौधरी चरण सिंह जी बहुत अच्छे राजनीतिक कलाकार हैं, और एक कुशल कलाकार की तरह से उन्होंने कुछ बातों का जिक्र इलेक्शन के संबंध में किया। खासतौर से मेरठ और मुजफ्फरनगर का जिक्र आया। इलेक्शन में पहिले भी ऐसी बातें होती थीं। चौधरी साहब के इशारे पर वह हुई, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन होती हैं। अगर वहां कोई बात हुई है तो उसकी आलोचना यहां होगी। एक कलाकार होने के नाते उन्होंने बड़ी मेहनत कर के जो भी अखबार मिला उसकी कटिंग्स को इकट्ठा किया, यहां उनको रखा, मगर इसमें कभी-कभी गलती भी हो जाया करती है जैसी कि अभी हुई। मैं कहता हूं कि मौदहा के इलेक्शन में, जब चौधरी साहब हमारे साथ थे, क्या हुआ था आखिर में दो तीन दिन में इलेक्शन बदल गया। एक तो कुछ नारे लगे, दूसरे हरिजनों को वोट डालने नहीं जाने दिया गया। मैं खुद वहां था, मैंने इस चीज को देखा। तो यह होता है। मुझे इस बात का गर्व है कि जो हरिजन हैं, जो काश्तकार लोग हैं, उनमें ९० फीसदी ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के साथ हैं और अगर उनको सही तरीके से वोट डालने दिया जावे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनका वोट कांग्रेस को मिलेगा। इत्तफाक से और दल वाले और अब कहीं कहीं कांग्रेस के आदमी भी आ जाते हैं, हमारी तरफ से भी गलतियां हो जाती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं। लेकिन मैं अपने यहां का कह सकता हूं। मैं और मेरे जिले में जो इतने इलेक्शन हुए, मैं इतनी बार लड़ा, हर जगह हरिजनों और काश्तकारों की शिकायत रही कि उनको वोट देने नहीं दिया जाता। लेकिन यह सब होता रहा। उसकी हमने इतनी शिकायत नहीं की थी। मौदहा के इलेक्शन के बाद इतना बवन्डर नहीं उठा था। लेकिन जिस तरीके से जान बूझ कर कुछ जिलों में इस समय हुआ। इस समय न केवल वोट डालने नहीं बल्कि उन सब लोगों के वोट पड़े हैं और कहीं-कहीं तो वोटरों से अधिक संख्या में वोट पड़े हैं। इसको चौधरी साहब बड़ी गम्भीरता से सोच रहे थे। वह इसको नहीं बरदाश्त कर सकते। वे प्रजातन्त्र के हामी हैं। वे एक कुशल राजनीतिक कलाकार थे और अब वे ज्यादा हो गये हैं कलाकार। मैंने उनसे कहा कि झांसी डिवीजन की कोई बात बतला दो। उन्होंने बतलाया हाउस में। उसके सभा में कहा था।

मऊरानीपुर में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया जो भारतीय क्रान्ति दल का था। यह रिपोर्ट की गयी। मुझे उसका पता नहीं था। मैंने अपने मित्र से जो इस जिले से सम्बन्ध रखता था पूछा कि मऊरानीपुर में क्या बात हुई। तो श्रीमन्, बात यह है कि वहां मध्य प्रदेश का इलाका लगा हुआ है। टीकमगढ़ में कोई स्टेशन है नहीं। मऊरानीपुर ही स्टेशन है। गल्ले की जो चोरी होती है वह मऊरानीपुर में पकड़ी जाती है। इत्तफाक से कोई ट्रेडर और गाड़ीवान इन दोनों ने मध्य प्रदेश से गल्ले की चोरी की और वह गल्ला पकड़ा गया मऊरानीपुर में। वह एक व्यापारी था, एक गाड़ीवान था। इत्तफाक से उस जाति का था जिसको लोग बैकवर्ड कहते हैं। यह भ्रम है कि बैकवर्ड कौन है लेकिन वह सचमुच बैकवर्ड था वह बेचारा गाड़ीवान था उस को भी पकड़ा और सेठ जी को भी। इसमें यदि गाड़ीवान को पकड़ा गया तो क्या ज्यादती हुई। तो हमारे जिले में उनकी एक भी शिकायत

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

नहीं थी और केवल शिकायत एक डिवीजन की बतलाई गई। अब मैं कहना चाहता हूं याद दिलाना चाहता हूं कि चौधरी साहब हमारे यहां जब म्युनिसिपैलिटी उरई का इलेक्शन हो रहा था चेयरमैन का उस वक्त यहां के एल० एस० जी० मिनिस्टर साहब ने एक आदेश उस समय जब कि वोटिंग सवेरे होने जा रहा था दस्ती आर्डर दिया कि एक सदस्य सस्पेंड किया जाता है। १२ बजे से १ बजे रात को एस० डी० एम० ने उसको जगाकर तामील किया। सवेरे वह वोटिंग में शामिल नहीं हो पाये हालांकि कांग्रेस का उम्मीदवार जीत गया। मैं उस वक्त उरई में था। कानून में यह है कि चेयरमैन पर अविश्वास का प्रस्ताव हो या चेयरमैन का चुनाव भी हो रहा हो तो सदस्य को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। मैंने आप से शिकायत की तो आप ने कहा कि आप की सही बात है। आप सही बात मानते हैं और मुझ को कहा कि मंत्री जी ने वह गलत बात की है वह नहीं होनी चाहिये थी। लेकिन उनको अधिकार तो था ही। अगर उनको अधिकार है, उनकी मंजूरी थी जो नहीं होना चाहिये था वह हो गया। उदारतापूर्वक वह दूसरे लोगों को भी सोचेगा कि कहीं जो चीज हो जाती है नहीं होनी चाहिये वह हो जाती है। यह चीज उसमें भी थी। हमारे यहां की सहकारी समितियों का टर्म भी पूरा नहीं हो पाया था कि भूतपूर्व सहकारी मंत्री श्री गंगा भक्त सिंह ने उनको निकाल कर खत्म कर दिया था एकदम और जनसंघ के उम्मीदवारों को नामजद किया।...

श्री कृष्णस्वरूप (जिला बदायूं)—

जो सज्जन सदन के आदरणीय सदस्य नहीं हैं जैसे ठाकुर गंगा भक्त सिंह उन पर आरोप लगाना अनुचित है। वह उत्तर नहीं दे सकते।

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई आरोप नहीं है।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इतना ही नहीं है। जब श्री प्रताप सिंह जी कोआपरेटिव के मिनिस्टर हुए तो उन्होंने जनसंघ के आदमियों को निकाल दिया और अपने आदमियों को नामीनेट कर दिया। आपके ही दल में आपस में ऐसा हुआ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय राजस्व मंत्री जी इस बात को स्मरण रखें कि आप अगर किसी के प्रति कोई बात कहेंगे तो प्रतिपक्ष की ओर से भी उसका जवाब दिया जायगा। मैं आप से निवेदन करूंगा कि जो सवाल अब तक उठाये गये हैं, आप उन्हीं तक अपने को सीमित रखें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

चौधरी साहब ने एक बात बहुत जोरों से कही कि उन्होंने जिन लोगों को भ्रष्टाचार के मामले में हटाया था उनको हमने रख लिया। चकबन्दी में चूंकि सब कर्मचारी टेम्परेरी होते हैं इसलिये उनको जब हटाया जाता है तो केवल यह नोटिस दिया जाता है कि आपकी सेवाओं की विभाग को आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोग पहले भी अलहैदा हुए हैं और आप के वक्त में हुए और आगे भी होते रहेंगे। अब मैं आप को यह बताना चाहता हूं किसने किसको रखा। कांग्रेस गवर्नमेन्ट के जमाने में ६० चकबन्दी अधिकारी अलग किये गये और सन् १९६७–६८ में १४ अलग किये गये। इसी तरह से सहायक चकबन्दी अधिकारी ६३० अलग किये गये कांग्रेस के जमाने में और ८१ आप के जमाने में अलग किये गये। इनमें से जिन लोगों को पुनः लिया गया उनमें से ७ आदमी संविद के जमाने में लिये गये और प्रेसीडेंट रूल में ९ आदमियों को रखा गया, केवल एक आदमी ऐसा है जिसको मेरे वक्त में रिइंस्टेट किया गया है। इस

प्रकार जब फैक्ट्स पर आते हैं तब हमको दूसरी ही तस्वीर मालूम पड़ती है, बरक्स उसके जो दिखायी गयी। बात यह है कि माननीय चौधरी साहब, जैसा कि मैंने अभी कहा, जो सुनते हैं वह मान लेते हैं, ऐसा उनका स्वभाव ही है।

माननीय त्रिपाठी जी ने एक बात कही थी कि राजस्व क्यों घट गया। पहले सरचार्ज लगता था वह हट गया, उससे कम हुई, कहीं सूखा पड़ गया, कहीं बाढ़ आ गयी उससे कमी हो गयी, वहां पर लैंड रेवेन्यू सस्पेंड कर देनी पड़ी। इसलिये जो कमी हुई है वह कोई विशेष बात नहीं है। वैसे उनकी स्पीच अच्छी हुई, अगर वे कुछ और कमी कहीं बतलायेंगे तो उनकी उस बात पर ध्यान दिया जायगा।

किसी ने यह कहा कि जमींदारी सबोलीशन के बाद जो जमीन ली गयी, वह भूमिहीनों को नहीं बांटी गयी, सब की सब भूमिहीनों और हरिजनों को नहीं दी गयी। कानून के अनुसार जो काश्तकार थे, जमीदारी एबोलिशन के बाद, उनको राइट दिया। जो परती और बंजर भूमि है वह गांव समाज में निहित है और भूमि प्रबन्धक समिति को अधिकार दिया गया कि वह दे। भूमि प्रबन्धक समिति ने कई स्थानों पर गलत तरीकों से उनको दे दिया तो पट्टे रद्द किये गये। हमने अब आदेश दिये हैं कि आइन्दा जब तक एस० डी० ओ० की स्वीकृति न हो तो भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा दिये गये पट्टे सही नहीं माने जायेंगे। अभी हाल में हमने आर्डर दिये हैं कि जितने केसेज हुये हैं उनकी छानबीन करके जो जमीन ऐसी निकले, उसे भूमिहीनों तथा हरिजनों को दी जाय।

दूसरी चीज यह कही गयी कि सीलिंग ऐक्ट में जो जमीन निकली है वह बड़े बड़े आदमियों को दे दी। ऐसी बात नहीं है। सीलिंग ऐक्ट में यह कानून है कि जो जमीन निकलेगी भूमिहीनों को, सरकारी समितियों को जहां-जहां होंगी पहले उनको दी जायगी। अस्थायी बन्दोबस्त उनके साथ हो सकता है। ५ साल पहले के लिये पट्टे लोगों को दिये जा सकते हैं। अभी तक ५ साल के पट्टे पर इसलिये दी गयी थी कि इस दर्मियान में सहकारी समितियां बन जायेंगी, लेकिन नहीं बनीं। तो हम कानून में परिवर्तन करने जा रहे हैं। इसके साथ यह संशोधन कर दिया जाय कि जो जमीन निकली है सीलिंग ऐक्ट से वह हरिजनों को और भूमिहीनों, के साथ भी स्थायी बन्दोबस्त करके, दे दी जाय। इसके लिये हमने एक बिल बनाया है और आपकी सहमति से उसे पास करायेंगे।

जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा वही आर्गूमेंट हम दे सकते हैं। वैसे आर्गूमेंट से कुछ न कुछ थोड़ा सा फ़ोर्स आता है, लेकिन सच्चे दिल से अगर देखें कि क्या सच्चाई है तो बहस का डिबेट का नतीजा यह होना चाहिये कि अगर सचाई से कहीं गलतियां हैं तो सच्चाई से अपने प्रदेश, जो कि सारे देश का हृदय है और सारे देश में सबसे बड़ा प्रदेश है, को दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिये। हमारे प्रदेश में अगर प्रजातंत्र कायम रहेगा, और यही मान्यतायें कायम रहेंगी तो सारे देश में रह सकती हैं। मेरे मित्र जो आज इत्तिफ़ाक से यहां उधर बैठे हुये हैं, मुझे आशा है हमारा साथ देंगे। आज हमें प्रदेश को चलाने का सौभाग्य मिला। सब लोग मिल कर प्रदेश के लिये अच्छी मान्यतायें कायम करें और प्रदेश में स्वस्थ परम्पराओं से काम करें। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, इस विभाग द्वारा २ वर्ष में २५ हजार आदमियों को निकाला जाने वाला है। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने उनको फिर से कहीं लगाने की पालिसी पर विचार करना आरम्भ किया है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

अभी हमारा कोई इरादा नहीं है। अभी पूर्वी जिलों में चकबन्दी हो रही है, वहां पर काम हो रहा है। अगर कभी कोई जरूरत पड़ेगी तो उन लोगों को, जो चकबन्दी में काम कर रहे हैं, उनको दूसरी जगह लगाने के लिये कोशिश करेंगे।

(श्री दीपनारायण मणि का नाम पुकारा जाने पर)

श्री मंजूर अहमद—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । तीन दिन से बराबर उठ बैठ रहा हूँ, लेकिन बोलने की नौबत नहीं आती ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने दीप नारायण मणि त्रिपाठी को बुला लिया है ।

श्री मंजूर अहमद—

आप कुर्सी पर इसलिये बैठे हैं कि सुबह से संसोपा का एक भी आदमी न बुलाया जाय और बी० के० डी० के ५ आदमी बुला लिये जांय ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप चुप रहिये । जहां तक आज की बात है, बी० के० डी० को मैंने कल अवश्य समय दिया था, जब से मैं बैठा हूं पहले आदमी दीपनारायण जी को ही मैंने बी०के०डी० से बुलाया है ।

श्री रियासत हुसैन—

व्यवस्था का प्रश्न है । अभी आपने मंजूर अहमद साहब से कहा "चुप रहिये" क्या यह संसदीय है ?

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने बैठे-बैठे कहा था इसलिये मैंने "चुप रहने" के शब्द इस्तेमाल किये और वे कोई असंसदीय नहीं है । ये सम्भ्रान्त शब्द हैं और इस्तेमाल किये जा सकते है । वह अगर खड़े होकर बोलते तो मैं उनसे कहता ' आप अपने आसन पर बैठ जाइये ।"

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह घाटे का बजट है । १० वर्ष से उत्तर प्रदेश में घाटे के बजट आ रहे हैं । सिवाय संविद की सरकार को छोड़ कर जिसने पार साल ५६ लाख का सरप्लस बजट पेश किया था । केन्द्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री वी० के० आर० वी० राव की पुस्तिका "Deficit financing Capilal formations etc." देखे उसमें यह लिखा हुआ है कि डेफ़िसिट बजटिंग लड़ाई के जमाने में अथवा विकास के लिये की जाती है । विकास की योजनायें जब चलने लगी तो भारत सरकार ने डेफ़िसिट बजटिंग शुरू की । और गत वर्ष को छोड़ कर उत्तर प्रदेश सरकार १९५७ ई० से बराबर केन्द्रीय सरकार का डेफ़िसिट बजटिंग में अनुकरण कर रही है । मैं आपकी आज्ञा से १९६९–७० के बजट के खंड २ के पृष्ठ १७९ पर दिया हुआ कर्जे का विवरण बताना चाहता हूं । इसमें कई तरह के ऋण हैं । प्रस्तुत बजट में ९७ करोड़ का कर्जा लिया है । उसके बाद और भी बहुत से लोन्स हैं जो कुल मिला कर ९४३ करोड़ होते हैं । इस प्रदेश की जो स्थिति है उसमें तीन वर्ष तक उत्तर प्रदेश बजट का सारा धन अगर कर्जे में दिया जाय तो शायद यह भरना न हो पायेगा । अतः मेरी आपत्ति है कि डेफ़िसिट फ़ाइनेंसिंग (घाटे के बजट) का भी एक समय होता है जब उसे समाप्त होना चाहिये । इस सम्बन्ध में एक हाल में पुस्तक निकली है बी० एन० गुप्ता की "Govt. Budgeting" उसमें से दो लाइन पढ़ना चाहता हूं :—

"The Government of India resorted to deficit financing for financing development projects envisaged under Five Year Plans. The greatest danger from deficit financing is of inflation. India has reached a stage in which further large-scale deficit financing will aggregate the situation."

तो डेफ़िसिट फ़ाइनेंसिंग की जो एक प्रथा बन चुकी है उसे बंद होना चाहिये । ४९ करोड़ रुपये का घाटा इस साल दिखाया गया है । डेफ़िसिट फ़ाइनेंसिंग में दूसरी कमी यह कि वह एक्जास्टिक

बजट नहीं है। एक और किताब है "Grove's, view points on public finance" जिसमें लिखा है कि बजट की सबसे बड़ी खराबी है comprehensive न होना। अगर वह एग्जास्टिव न हो। इस सम्बन्ध में उसमें लिखा है :—

"Comprehensiveness is undoubtedly the most widely recognized of budgetary principles, and one that has been recommended as a feature of of budgetary policy regardless of the nature of the approach to budgetary matters."

एक तीसरी बात और है जो गुप्ता जी ने अपनी उपरोक्त पुस्तक में कही है। कहा है कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा स्टेज आ गया है कि डेफ़िसिट फ़ाइनेंसिंग समाप्त होनी चाहिये। इसलिये मैं वित्त मंत्री जी का, जो बहुत ही योग्य हैं, ध्यान इन साधिकार लेखों की ओर आकृष्ट करते हुये अपनी शंका प्रकट करता हूं कि उत्तर प्रदेश का बजट प्रदेश को सही रास्ते पर नहीं ले जा रहा है।

इसके बाद एक, दो बातें और कहना चाहता हूं। भारतीय संविधान,' संविधान की धारा ४५ है उसका बजट में अनुकरण नहीं किया गया है। उसमें फ़्री और कम्पलसरी एजूकेशन का प्राविजन है। लेकिन सरकार ने जो शिक्षा की पद्धति रखी है उसमें फ़्री और कम्पलसरी एजूकेशन की कोई व्यवस्था नहीं की है। छठे क्लास तक लड़कों के लिये और ७ वें तक लड़कियों के लिये फ़ीस माफ़ है लेकिन प्राइमरी शिक्षा के लिये कोई व्यवस्था है ही नहीं। लड़कियों की शिक्षा के बारे में आप देखें कि धन कम होता गया है। आप देखें लड़कों के लिये ९,०७,७१,८०० रुपये रखा गया है।

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

इस साल १३ करोड़ रखा है। लड़कियों के लिये १ करोड़ ८५ लाख रखा है जबकि उस वर्ष २ करोड़ कुछ लाख है और प्राइमरी एजूकेशन पर ३१ करोड़ रखा है। संविधान की उस धारा की ओर मैं वित्त मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। भारतीय संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अनुसार भी यह बजट अधूरा है। इसी तरह से डेफ़िसिट बजटिंग की वजह से यह भारतीय संविधान के अनुकूल नहीं है। इसलिये यह अधूरा बजट है। इसी संविधान की धारायें ४६–४७ तक में अनइम्पलाइड को काम देने की जहां बात है वहीं लिविंग वेजेज फ़ार वर्कर्स की भी बात है। जहां तक खाद्यान्न की दशा सुधारने की बात है यह बजट अधूरा है। इसी आधार पर धारायें ४१–४५ तक जो हैं उनके उद्देश्यों को भी यह पूरा नहीं करता है। खाद्यान्न के बारे में भी कोई ध्यान नहीं है। जनता का स्वास्थ्य ठीक रहे इस पर कोई ध्यान नहीं है। यह ऐसा बजट नहीं है जो समाज कल्याण का हो बल्कि एक तकनीकी बजट है। प्रदेश के कल्याण का यह बजट नहीं है।

यूनिवर्सिटी के बारे में शिक्षा का बजट ऐसा है कि विश्वविद्यालय की शिक्षा पर प्रति विद्यार्थी ४५३–४५४ रुपये पड़ रहा है। प्रदेश में ३४८ का रेट है। इसके माने यह हैं और प्राइमरी एजूकेशन पर केवल ३४३–३४४ रुपये पड़ रहा है। प्राइमरी एजूकेशन पर आपकी दृष्टि नहीं है और हायर एजूकेशन पर ज्यादा खर्च हो रहा है। इसके अलावा नये नये विश्वविद्यालय बनाये जा रहे हैं वैसे मैं इनका विरोध करना नहीं चाहता हूं। ऊंची शिक्षा पर ज्यादा और प्राइमरी एजूकेशन पर कम पैसा लग रहा है जो सबका मौलिक अधिकार है वह नहीं हो रहा है। ३४३ प्राइमरी एजूकेशन पर और ४५४ विश्वविद्यालय की शिक्षा पर लग रहा है। इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालयों में ९–१० लाख रुपये का घाटा है। ऐसी जगह कायम की जाती हैं जिन पर अनअथोराइज्ड पोस्टिंग्स किये जाते हैं। अन्त में सरकार पूरा कर देती है। इसलिये हमारा बजट अधूरा है। प्राइमरी शिक्षा पर ज्यादा और यूनिवर्सिटी शिक्षा पर कम व्यय होना चाहिये।

चिकित्सा में प्लान्ड बजट में ज्यादा दिया और नान प्लान्ड का कहीं जिक्र नहीं है। इसलिये एक, दो आना प्रति मरीज पर खर्चा आता है। देवरिया के अस्पतालों में सिवाय पानी के और

[श्री दीप नारायण मणि]

कुछ नहीं मिलता है। नारवे की एक स्कीम देवरिया में चल रही है हमारे यहां के दो कृषि मंत्री रहे। एक तो गेंदा सिंह जी और सीताराम जी। सीताराम जी ने जो ३२ लाख रुपया दो ब्लाक पर रखा है उसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं लेकिन वे उपयुक्त नहीं है क्योंकि वहां बाढ़ आती है। देवरिया में ३ साल से आर० एम० पी० की स्कीम चलती है। दो वर्ष से उसमें तनख्वाह नहीं मिली है। साथ ही गंडक और छितौनी की ५० करोड़ की योजना चल रही है। बाढ़ आने पर अंधाधुन्ध व्यय होता है। उस पर सिंचाई मंत्री जी की बड़ी निगाह चाहिये। मान्यवर, मैं इसकी ओर सिंचाई मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इतनी बड़ी योजना की ओर विशेष रूप से जागरूक होना चाहिये। हर साल लाखों रुपया उसके लिये रखा जाता है और इस साल एक करोड़ रुपया छितौनी के लिये खर्च किया जा रहा है। २५–३० प्रतिशत रुपया ठीक से काम में लगता है। बाकी बाढ़ के वक्त पानी में रुपया फेंक दिया जाता है। माननीय मंत्री जी को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जनता की गाढ़ी कमाई का धन ठीक से प्रयोग हो सके। नियोजन विभाग, में, देवरिया में ऐसे कर्मचारी रखे गये हैं, जिनकी क्षमता में जनता को जरा भी विश्वास नहीं है। माननीय सीताराम भी गये थे, उन्होंने पब्लिक मीटिंग में कहा कि मेरी एक बात नहीं मानी मैंने डी० पी० ओ० को चुटकी लगाकर भेज दिया और एक ऐसे आदमी को रखा है जो ए० डी० पी० ओ० थे जिनमें काम करने की क्षमता नहीं है। अच्छे अधिकारी रहेंगे तो प्रदेश का लाभ होगा चाहे व्यक्तिगत लाभ न हो।

पटेल आयोग की योजना जो चली थी, पता नहीं उसका क्या हो गया, उसमें छोटे-छोटे उद्योग रखे गये थे। अगर देवरिया में उद्योग नहीं होंगे, तो बड़ी कठिनाई हो जायगी। पटेल आयोग की योजनाओं की ओर कोई ध्यान नहीं रखा गया है। मैं इसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि जो जिले पिछड़े हुये हैं और जो यह प्रदेश पिछड़ा हुआ है, इसमें डेफ़िसिट फ़ाइनेंसिंग करके जनता का कल्याण नहीं हो सकता, उसको सुधारने का प्रयास करें। इसलिये मैं इस बजट का घोर विरोध करता हूं। और चूंकि प्रदेश के लिये धन की उपयोगिता पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिये जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने कहा इस बजट का एक पैसा भी नहीं स्वीकार होना चाहिये।

उद्योग मंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

श्रीमन् मुझे कितना समय देंगे? चौधरी साहब का साढ़े चार घंटे भाषण हम सुनते रहे।

श्री अध्यक्ष—

आध घंटा समय मिलेगा।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

५–१० मिनट बढ़ा दें, तो कृपा होगी।

एक सदस्य—

व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। आपके सामने माननीय सदस्य खड़े हुये हैं।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, हमारे प्रदेश के लोग समझते हैं कि यहां अच्छा शासन चले, यहां के लोगों की माली हालत सुधरे, सड़कों का इन्तजाम हो, पढ़ने का इन्तजाम हो। मैं यह भी मानता हूं कि हमारा प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। यहां की विधान सभा एक ऐसी सभा है, जिसकी चारों तरफ़ धाक है और हम जो काम कर रहे हैं, बड़ी शान के साथ मिलजुल कर अपनी सभा को चला रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो हम अपने यहां ट्रेडिशन्स बनाते हैं वह

विधान सभा के लायक ही हैं। पिछली दफा जब इस विधान सभा में इस तरफ के बैठने वालों ने यह महसूस किया कि यहां उनका बहुमत नहीं है, तो एक मिनट इस बात में नहीं लगाया कि यहां से छोड़ कर उधर चले जायं और निरन्तर उस तरफ़ बैठ कर कभी शोर नहीं किया। (व्यवधान) मैं तो आपकी तारीफ़ कर रहा हूं। (व्यवधान) मैं सदन में नहीं था, लेकिन मेरे साथी तो थे। मैं यह कह रहा था कि हमने कभी इस बात का प्रयास भी नहीं किया कि यह गवर्नमेंट गिरे। जब कभी भी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमको इस बात का विश्वास हो जायगा कि हमारा बहुमत नहीं है तो हम एक मिनट भी यहां पर नहीं रहेंगे। हमने एक परम्परा बनाई है, उसे बनायें रहेंगे। हमारे इस प्रदेश को चलाने में गुप्ता जी और कमलापति त्रिपाठी का जितना हाथ है, उतना चौधरी साहब का भी है। चौधरी साहब बराबर सन् ४६ से इस सरकार में चले आ रहे हैं, सिर्फ़ इस समय नहीं है। उन्होंने सारे विभाग सरकार के धीरे-धीरे अपने पास रक्खे हैं और उसका काम चलाते रहे। अच्छी सरकार के लिये जरूरी है कि मंत्रि-मंडल ठीक हो, विधान मंडल ठीक हो और उसके कर्मचारी भी ठीक हों। यह आवश्यक है कि सरकार के कर्मचारी ठीक प्रकार से काम करें। एक अच्छी सरकार चूंकि विधान मंडल, मंत्रि-मंडल और सरकार से मिल कर चलती है। आज तक इस सभा में अफ़सरों की शिकायतें बराबर की गईं, लेकिन आज तक मैंने यह नहीं देखा कि इतने हमारे राज्य कर्मचारी हैं, यह लोग भी कुछ अच्छा काम करते हैं, उनकी सराहना भी करते कभी। कैसी परिस्थिति में हमारे अफ़सर काम करते हैं, इस पर विचारते कभी। अगर आप कभी बाहर जायें तो आपको इस बात का पता चलेगा। इसके पूर्व मेरे पास पावर डिपार्टमेंट था। मुझे स्मरण है कि वहां के अधिकारी कहा करते थे कि हमारे पास तो तमाम काम हैं, हमसे गलती होगी उसको आप हमें सजा दीजिये, निकाल दीजिये, लेकिन जो अच्छा काम करे उसकी तारीफ़ भी आप करें। यदि ऐसा नहीं होगा तो उनका उत्साह मारा जायगा।

प्रदेश को चलाने के लिये यह आवश्यक भी है, क्योंकि किसी के दिल में यदि यह बात बैठ जाए कि हमेशा हमें गाली ही मिलती है तो उसका काम में कैसे दिल लगेगा जब लड़ाई हुई तो मुझे बार्डर पर भेजा गया तो हमें बताया गया कि जहां पर फ़ौज रहती है, उससे भी १७ मील आगे पुलिस रहती है। वह ऐसी जगह थी जहां पर आने जाने का कोई रास्ता या साधन नहीं है। कैसी परिस्थिति में ये लोग काम करते हैं, कितनी कम तनख्वाह पाते हैं इस पर आपने कभी नहीं सोचा होगा। नदियों पर आपने पुल देखे होंगे, बिलकुल जंगल में पुल बनाये गये हैं, क्या कभी आपने उनके बारे में सोचा है, ऐसे निर्जन स्थान पर कैसे उनकी तबियत लगती होगी? हमारे जो इंजीनियर्स हैं, जो नई नई प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, सिंचाई मंत्री के साथ आप जाकर देख सकते हैं कि जहां पर आप पहुंच नहीं सकते हैं वहां पर उन्होंने पहुंच कर ऐसे-ऐसे काम किये हैं जिन्हें देख कर आप दंग रह जायंगे। श्रीमन्, अगर निरन्तर किसी आफ़िसर की बुराई करते रहेंगे तो फिर उनसे काम लेना होता है, उनमें उत्साह घटेगा। जो खराब काम करे उसको जरूर सजा दी जायगी लेकिन हम सब का फर्ज है कि अच्छे काम करने वाले को दाद दें। (व्यवधान)।

श्रीमन्, मैं सोचता था कि हमारे विरोधी दल के नेतागण बजट के ऊपर कुछ कहेंगे। लेकिन माननीय चौधरी साहब ने सिवाय ट्रांसफ़र के बारे में कहने के बजट के बारे में कुछ भी नहीं कहा। बजट के बारे में कहते तो मैं कुछ कहता। ट्रांसफ़र्स की बात का उत्तर तो माननीय गुप्ता जी देंगे। दूसरे साथी जी आज बोले, उन्होंने कहा कि इस प्रदेश में क्राइम बहुत बढ़ गये हैं। डाकेजनी, राहजनी, चोरी सब बढ़ गयीं। ऐसा लगा उत्तर प्रदेश अब क्राइम का घर बन गया है, ऐसा वे सोचते हैं। यह प्रदेश बहुत बड़ा है, क्राइम जरूर कुछ ज्यादा होना चाहिये। लेकिन उसकी रोक हो रही है और होनी चाहिये लेकिन अगर यही कह दिया जाय एकाध जगह की बात को लेकर कि, क्राइम बढ़ गये हैं अनुचित है। मैंने कुछ फ़ीगर्स मंगाये हैं सिर्फ यह जानने के लिये कि जब एस० वी० डी० की गवर्नमेंट थी तब क्राइम की क्या स्थिति थी। आप एक साल के लगभग ही रहे और उसमें सभी लोगों की जिम्मेदारी थी लेकिन उस साल क्राइम ज्यादा

[श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा]

थे। मैंने सन् ६५–६६, ६६–६७ और ६७–६८ के आंकड़े मंगाये हैं। सन् ६५–६६ में डकैती १,८३२ हुइ, सन् ६६–६७ में १,७२० और सन् ६७–७८ में २,१८०। (व्यवधान)

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल—

व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कोई व्यवस्था का प्रश्न इस समय नहीं हो सकता है। आप बैठ जाइये जायसवाल जी, मैं देख रहा हूं कि जब आपके खिलाफ़ कोई बात कह दे तो कई आदमी इधर से खड़े हो जायेंगे जबाव देने के लिये और बोलने वाले को बोलने नहीं देंगे। पचास बातें उन्होंने कहीं थीं लेकिन मैंने नहीं देखा कि इधर से कोई चिल्लाने लगता हो। अब आप इस तरह से संतोष और शांति के साथ न सुनें, उचित नहीं है। कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, मैं यह बता रहा था कि डकैती १९६५ में १,८३२; १९६६ में १ ७२० और १९६७ में २,१८०। इसी प्रकार से राहजनी की घटनायें १९६५ में २,३७२; १९६६ में २६१९ और में ३,२९७। इसी प्रकार से हत्याओं की संख्या इस प्रकार है कि १९६५ में २,४४१; १९६६ में २,५८७ और १९६७ में २,७५२। दंगे १९६५ में ६,०५७; सन् ६६ में ६,४५०, सन् ६७ में ७,१६२।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

आप १९६८–६९ के भी आंकड़े दे दें तो उससे कम्पेरेटिव स्टडी हो जायगी।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

१९६८ के आंकड़े मैंने इसलिये नहीं दिये कि वह गवर्नर शासन के हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जब वे कोई बात आपके विरुद्ध भी कहें तो उसको चुपचाप होकर सुनें और जब आपका समय आवे उसका जबाव दें, और उस समय उत्तर दें।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैं १९६८ के आंकड़े भी आपकी सेवा में प्रस्तुत कर देता हूं। १९६८ में डकैती १,७९५; राहजनी २,५९५; हत्यायें २,९०२ और दंगे ६,९१२ हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या मन्त्री जी को यह पता है कि संविद सरकार को इस बात के लिये सख्त आदेश था कि क्राइम्स का कंसीलमेंट नहीं होगा।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आंकड़े हैं, वे चाहे कम हों या ज्यादा, इतना बड़ा प्रदेश है, ऐसा हो सकता है। मैं इस बात को नहीं कहता हूं कि ये दंगे आपने कराये। मैं इस बात को मानता भी नहीं हूं। यह तो एक नेचुरल प्रोसेस है, किसी रोज ज्यादा हो गया।

अब एक दूसरी बात मैंकहना चाहता हूं। हमारे वीरेंद्र वर्मा जी जो आज यहां बैठे हुए हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी संविद सरकार ने काश्तकारों के लिये क्या किया जो काश्तकारों की बड़ी हामी थी? हमने नियम बना रखा था कि जो काश्तकार बिजली लेंगे उनको

४ फर्लांग तक फ्री बिजली देंगे। जब आप नहीं थे तब हमने काश्तकारों के लिये यह आदेश दे दिया था, उसको रद्द करके आपकी संविद सरकार ने ३ फर्लांग का आदेश कर दिया।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

चूंकि मेरे नाम की चर्चा हुई है, इसलिये मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

वे बैठते नहीं है, आप तो बोल चुके हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

अध्यक्ष महोदय, बैठ तो मैं भी नहीं रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

जो कुछ वे कहना चाहते हैं, पहले उनको सुन तो लूं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मेरा नाम उन्होंने लिया है तो मैं पर्सनल एक्प्लेनेशन देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

पर्सनल एक्सप्लेनेशन बाद में होता है, भाषण के बाद दे सकते हैं।

(व्यवधान)

आपके तीन मिनट बाकी रह गये हैं। आप जारी रखें।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न आपके सामने उपस्थित करना चाहता हूं। जब आप अध्यक्ष के पद पर आसीन हैं तो किसी माननीय सदस्य को क्या अधिकार है कि वे किसी सदस्य को कहें कि आप बैठ जायं ?

श्री अध्यक्ष—

वैसे ही अधिकार है जैसे आपको खड़े होकर टोकने का। आपने तथा उन्होंने मेरी इजाजत के बगैर अनुचित व्यवधान उत्पन्न किया है।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

अपनी तमाम बातें मैं नहीं कह सकता क्योंकि हमारे पास समय अब कम है।

श्री अध्यक्ष—

देखिये नियम बन चुका है कि साढ़े ४ बजे तक यह डिबेट खतम हो जाय। अगर समय बच रहा तो बाद में आपको समय मिलेगा।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

तो कल सबेरे दे दिया जाय। श्रीमन्, मैंने इस बाद की कोशिश की कि बजट को स्वयं देखूं कि इसमें क्या है। हमने तमाम फीगर्स दो वर्ष के रेवेन्यू एक्सपेंडीचर के निकाले कि इस बजट में लोगों की यूटिलिटी सर्विसेज के लिये क्या है। उसके परसेंटेज क्या हैं,

[श्री शान्ति प्रसन्न शर्मा]

यह मैं आपकी जानकारी के लिए बतलाना चाहता हूं। पहले शिक्षा में ५३ करोड़ ६५ लाख रुपया था और इस साल हमने ६९ करोड़ ४८ लाख रुपया रखा है। करीब २३-२४ करोड़ रुपया बढ़ाया है और पहले जहां इस पर १६.३ परसेंट खर्चा था जिसके लिये नित्यानन्द स्वामी जी ने कहा कि आपने बहुत खर्चा किया वहां हमने २३-२४ करोड़ रुपया बढ़ाकर १६ परसेंट के बजाय १८ परसेंट कुल बजट का शिक्षा के लिये इस बजट में रखा है। मेडिकल ऐंड हेल्थ के लिए जहां पहले १० करोड़ ७२ लाख था वहां इस साल १७ करोड़ ६८ लाख रुपया रखा गया है। पहले ३.३ परसेंट था और इस साल ४.१ परसेंट है। पब्लिक हेल्थ में जहां पहले ९ करोड़ ४४ लाख था वहां इस साल २१ करोड़ रुपया है। पहले २.९ परसेंट था और इस साल ४.९ परसेंट है। इसी तरह से अगर आप एग्रीकल्चर को देखें तो पहले उसके लिये १२ करोड़ ५१ लाख रुपया था और इस साल २० करोड़ ९२ लाख रुपये रखा गया है। पहले .८ परसेंट था और इस साल ४.८ परसेंट है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह जो बजट हमने रखा है क्या बुरा है? इसी तरह से इर्रीगेशन है....

श्री अध्यक्ष—

अब आप अपना भाषण कल जारी रखें।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

कल मैंने नियम ५१ की दो सूचनायें स्वीकार नहीं की थीं। मैंने कहा था कि मैं पढ़ कर सुना दूंगा। एक माननीय सुखलाल पांडेय का यह है "मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय पर आज विधान सभा में चर्चा उठाने की अनुमति चाहता हूं। बस्ती व गोंडा, देवरिया, गोरखपुर में गत सीजन में गन्ने का सरकारी अनुमान गलत लगाने एवं अव्यवस्था के कारण बरसात में मिलों के चलने के बावजूद भी गन्ना खेतों में खड़ा रह गया। गन्ना उत्पादकों को कीमतें कम मिलों ने दीं जिससे लाखों रुपया का घाटा किसानों का हुआ। भारी असंतोष लाखों किसानों में फैला हुआ है। इस विषय पर माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए नियम ५२ के अनुसार प्रश्न उठाने की अनुमति चाहता हूं।" यह मैंने पढ़ा दिया है। मैं चाहूंगा कि जिस समय मंत्री जी बजट के विवाद में उत्तर दें तो इस विषय के बारे में भी बतला दें, जो भी मंत्री जी बोलें।

एक दूसरा है, वह भी ऐसा ही है, इन्हीं का है।

एक कामरोको प्रस्ताव है श्री हरबंश सहाय का। उसको मैंने स्वीकार नहीं किया किन्तु उसे पढ़ कर सुनाये देता हूं। मंत्री जी इस विषय की भी जानकारी प्राप्त कर के बता देंगे जब बोलेंगे तब। यह इस प्रकार है—"शहीद रामचन्द्र इंटर कालेज, बसंतपुर भूसी, जिला देवरिया के अध्यापक श्री चंद्रिका प्रसाद शुक्ल दिनांक २५ जुलाई, १९६९ से विद्यालय पर आमरण अनशन विद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में कर रहे हैं, वहां के अध्यापकों का वेतन १६ माह से बाकी है और सरकार द्वारा प्राप्त महंगाई की रकम भी अध्यापकों को नहीं दी गई है। श्री शुक्ल के साथ-साथ अध्यापक भी हड़ताल पर हैं। परिणामस्वरूप विद्यालय का वातावरण अशांतिमय हो गया है और विद्यार्थी समुदाय भी रोषपूर्ण आन्दोलन पर उद्यत है, जिससे शांति और व्यवस्था को खतरा है।" इसको मैंने कामरोको प्रस्ताव के रूप में स्वीकार नहीं किया है। सरकार से इसका संबंध नहीं है और कामरोको का विषय भी नहीं है। सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए मैंने इसको पढ़ दिया है ताकि सरकार इस पर कार्यवाही कर सके।

गोरखपुर जिले के ग्राम मुगलहा में लूटमार तथा झोपड़ियों को जलाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

एक मैंने आज स्वीकार किया है, चूंकि एक दिन में एक ही स्वीकार हो सकता है, वह है श्री हरिवंश सहाय का, उसे मैं पढ़े देता हूं "प्रातः गोरखपुर जिले के थाना खोराबार के ग्राम मुगलहा पर २०० व्यक्तियों ने २५-७-६९ को बंदूक, लाठी, भाले एवं चाकू से लैस होकर धावा बोल दिया। ७३ झोपड़ियों को लूट कर आग लगा दी। परिणामस्वरूप २५ परिवार बेघरबार हो गये, एक की अस्पताल में मृत्यु हो गयी, १३ व्यक्तियों को अभी भी गम्भीर चोटें हैं जिसमे २ औरतें भी हैं, एक स्त्री की हालत गम्भीर है। आगजनी में पचासों हजार रुपये की सम्पत्ति जल कर राख हो गयी है। अभी भी स्थिति तनावपूर्ण है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित कर स्पष्टीकरण की मांग करता हूं।"

इसको मैंने स्वीकार किया है वक्तव्य के लिये। माननीय गृह मंत्री का उत्तर भी आ गया है। पहले इसको ले लेंगे। फिर बाकी जो कल के हैं वे लिये जायेंगे।

श्री शिवदास (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, दैनिक जागरण समाचार पत्र में एक समाचार छपा हुआ है जिसमें श्री राधेश्याम शर्मा, एस०पी० ने ऐसा वक्तव्य किया है, जिससे इस सदन का अपमान हो रहा है। यह मिर्जापुर जिले के गोपालपुर फ़ार्म के संबंध में है, जिस बात को हम लोगों ने उठाया है। हम लोगों को श्री राधेश्याम शर्मा, एस० पी० ने एक धमकी दी है उसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष—

आप लिखकर मेरे पास भेज दीजिये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, मैंने भी एक अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रस्ताव आपको दिया था जिसमें लड़कियों का अनैतिक व्यापार हो रहा है सीतापुर में, जिसमें पुलिस भी शामिल है। उस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता था और यह कम वर्षों से चल रहा है। यह बड़े महत्व का है....

श्री अध्यक्ष—

वह महत्व के विषय नियम में दिये गये हैं, पर लोक महत्व के विषयों पर नियम में यह दिया हुआ है कि एक ही उपवेशन में एक से अधिक ऐसे विषय नहीं उठाये जायेंगे। एक ही दिन के लिये एक से अधिक सूचना प्राप्त होने की दशा में उस सूचना को स्वीकार किया जायेगा जिसका विषय अध्यक्ष की राय में सर्वाधिक अविलम्बनीय महत्व का हो। सो महत्वपूर्ण विषय की बात आप कर रहे हैं, वह हो रहा है। गांव का गांव जला दिया गया है उसमें कुछ व्यक्ति मर भी गये हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

हमारे नेता का कहना यह नहीं कि उसे आज ही स्वीकार करें। उसे अभी किसी तिथि के लिए रख दें। कम से कम बता दें कि ऐसा प्रस्ताव आया है।

श्री अध्यक्ष—

अगर चार पांच एक साथ में आये तो मैं क्या करूं ? मेरी दिक्कत भी आप नहीं समझ रहे हैं । यह एक घर है और हम घर के कुटुम्बी मौजूद हैं । मेरी भी दिक्कत आप लोगों को समझनी है । मेरी भी दिक्कत समझ लें । अगर आठ-आठ सूचनायें आने लगें और उसमें से हर एक ले लिया और उसके बाद उन्हें हर रोज वक्तव्य के लिये लगा दूं कि रोज ले लिया जाय तो कोई अविलम्बनीय महत्व का विषय दूसरे रोज आये तो मैं ले ही नहीं सकता हूं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

अगर अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो कहूं । एक महत्वपूर्ण प्रश्न है । जैसे कि हमारे माननीय नेता ने कहा । उन्होंने एक ऐसा प्रश्न उठाया जिसमें महिलाओं का व्यापार हो रहा है । यह उनकी आज नोटिस में आया । बहुत से ऐसे जुर्म हैं जो सालों होते रहते हैं और बाद में मालूम होते हैं तो मेरा निवेदन यह है कि उसे पढ़कर सुना दें और तिथि निश्चित कर दें । दूसरा मैंने एक दिया था कि पी०डब्लू० डी० के कर्मचारी अनशन कर रहे हैं । सारे प्रदेश के कर्मचारियों के समान उनकी समस्यायें हैं । कोई विशेष सूचना सरकार की ओर से दे देते । यह बात थी ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने ये तीनों सवाल लिये थे । ये स्वीकार करने योग्य हैं । अब मुझे छांटने पड़े यह रूल देखकर कि इनमें से एक ले लूं । दो पहिले से मौजूद हैं पर एक कसौटी से अधिक महत्व का है । ऐसी हालत में इन दो को नहीं ले सकता हूं । मैं कम्पेयर कर लूं । कोई और अधिक महत्व की समस्या होगी जैसे गांव का गांव जल गया हो तो उसे पहले भी ले सकता हूं । मैं ऐसी चीजों को ले लूंगा ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि, श्रीमन्. . . .

(इतना कहकर माननीय सदस्य बैठ गये)

श्री अध्यक्ष—

आपने बड़ी कृपा की कि बैठ गये ।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

राप्ती नदी के मार्ग में परिवर्तन के फलस्वरूप नदी के किनारे स्थित ग्राम की भूमि के संबंध में कमी एवं बढ़ोत्तरी हुई है। ग्राम मुगलहा, थाना खोराबार में स्थित इस प्रकार की भूमि के संबंध में इस ग्राम के तथा ग्राम करंजही के निवासियों के बीच विवाद बहुत दिनों से चला आ रहा है । इस भूमि के संबंध में धारा १४५ जाब्ता फ़ौजदारी के अन्तर्गत कार्यवाही की जा चुकी थी और न्यायालय द्वारा ग्राम करंजही के लोगों के पक्ष में निर्णय हुआ था । धारा १०७, ११७ जा० फ़ौ० के अन्तर्गत दोनों विरोधी पार्टियों के विरुद्ध कार्यवाही भी की गई थी और दोनों पक्ष के लोगों को विधिवत् बाध्य किया गया था । २५-७-६९ की सुबह लगभग १०० व्यक्तियों ने जो लाठियों, बल्लमों, फ़रसों तथा बन्दूकों से लैस थे ग्राम मुगलहा के लोगों के झोपड़ों को घेर लिया और आग लगा दी । उन लोगों ने सम्पत्ति भी लूटी जिसकी, अनुमानित कीमत १०-१२ हजार रुपया है । आक्रामकों ने कई लोगों को आहत भी किया जिनमें से १ की २६-७-६९ को अस्पताल में मृत्यु हो गयी ।

इस घटना की सूचना खोराबार थाने पर ८-३० बजे सुबह प्राप्त हुई जिसके आधार पर धारा ३९५।३९७।४३६ भा०दं० वि० के अन्तर्गत एक मुकदमा अपराध संख्या ६८ पर कायम किया गया। घटना की सूचना मिलते ही जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और सहायक पुलिस अधीक्षक, जो पुलिस अधीक्षक की अनुपस्थिति में उनका काम देख रहे थे, घटना स्थल पर पहुंचे। एहतियातन काफ़ी तादाद में पुलिस, पी०ए०सी० प्रभावित स्थान पर लगा दी गयी है और स्थिति अब सामान्य है। मुकदमे की विवेचना की जा रही है। आज जिले से प्राप्त सूचना के अनुसार ८ गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस घटना से प्रभावित व्यक्तियों की आर्थिक सहायता हेतु ५,००० रु० की धनराशि स्वीकृत करने की व्यवस्था की जा रही है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, क्या माननीय गृहमंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि १४५ की कार्यवाही का फ़ैसला कब हुआ था? (२) क्या जिस जमीन पर यह झोंपड़ी लगी हुई थीं वह जमीन १४५ का विषय थी या नहीं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, यह इतने बड़े महत्व का प्रश्न है कि १४५ की कार्यवाही कब समाप्त हुई तथा १०७ की कार्यवाही कब प्रारम्भ हुई और कब बाउन्ड डाउन हुआ। अगर ये सूचनायें मुख्य मंत्री जी के पास नहीं हैं तो इसको कल के लिये स्थगित कर दिया जाय।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, इसको कल के लिये स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

१४५ की कार्यवाही कब समाप्त हुई तथा १०७ और ११७ में बाउन्ड डाउन कब हुआ, इनकी जानकारी करके सदन को बाद में बता दिया जायगा। इसके अतिरिक्त क्या और कुछ उनसे मालूम करना है?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इसमें एक चीज और है, जिस जमीन पर ये झोपड़ियां पड़ी हुई थीं, वह जमीन भी १४५ का विषय थी या नहीं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

यह सूचना भी मंगा दी जायगी।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

राप्ती नदी का किनारा ऐसा है जिसमें गोरखपुर, देवरिया का बहुत सा हिस्सा आता है। उनमें इस तरह की बहुत सी घटनायें होने वाली हैं अथवा भविष्य में हो सकती है। रायबाह और समोहा आदि गांवों में ऐसी स्थिति किसी भी दिन आ सकती है। उसको रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री अध्यक्ष—

इसको आप अलग से लिख कर भेज दीजिये। इसको इसमें शामिल न कीजिये।

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)—

जहां तक गोरखपुर का सवाल है मैं २–३ बातों की जानकारी करना चाहता हूं। क्या माननीय मंत्री जी इस बात को बताने की चेष्टा करेंगे कि उस जमीन का बन्दोबस्त किस सन् में हुआ था और तब से लेकर आज तक कोई बन्दोबस्त हुआ या नहीं। दूसरी बात मैं जानना चाहता हूं कि कि जब जिले के अधिकारी वहां पर गये तो क्या उन्होंने देखा कि उनकी झोंपड़ियां मौजूद नहीं थीं ? अधिकारियों को क्या कहना था ?

श्री अध्यक्ष—

आप तो सब मिला रहे हैं। एक-एक प्रश्न को लीजिये।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

अध्यक्ष महोदय, जो य सूचना चाहते हैं, उसको लिखकर आपको दे दें, मैं उसे मंगाकर दे दूंगा।

श्री रामकरन—

इसका विस्तृत विवरण आये। तीसरी बात मुझे यह निवेदन करनी है कि जब सैकड़ों आदमी उस गांव पर गये तो दफ़ा ३९५, ४३६ और ३९७ जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा उसके स्थान पर दफ़ा १४६-१४७ क्यों नहीं लगायी गयी जब कि यह एक बलवा हुआ ? मैं चाहूंगा कि इसमें विस्तृत जांच हो।

एक सदस्य—

श्रीमन्, ५० हजार से भी ज्यादा नुक्सान हुआ। १२,००० रुपये का आंका गया है। मैं चाहूंगा कि ५० हजार के ऊपर मुआविजा देना चाहिये।

श्री रामलखन शुक्ल (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे आवश्यक तथ्य भी इकट्ठे कर लें।

श्री अध्यक्ष—

जो प्रश्न आपने पूछे हैं, उनको लिखकर मेरे पास भेज दें। मैं उन्हें माननीय मुख्य मंत्री जी के पास भेज दूंगा। जब उन्हें जानकारी प्राप्त हो जायेगी, आप लोगों को बता दिया जायगा।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

श्रीमन्, कल नहीं आ सकती है।

श्री अध्यक्ष—

मैं यह कह रहा हूं कि किसी दूसरे दिन। मैं माननीय सदस्यों से चाहूंगा कि वे लिख कर दे दें।

श्री रामकरन—

मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय शुक्ल जी का उनके साथ कोई रिश्ता है ?

श्री अध्यक्ष—

इसमें मुख्य बात जो है वह यह है कि वे जलाये गये हैं। कुछ आदमियों को चोटें लगी हैं। जो माननीय सदस्य उनकी हमदर्दी में हैं, वे सब चीजें जो जानना चाहते हैं लिख कर मेरे पास भेज दें ताकि मा० मुख्य मंत्री वांछित सूचना मंगाकर आप लोगों के सामने रख दें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं एक बात यह जानना चाहता हूं कि नदी के कटाव के से जो जमीन इधर से उधर चली जाती है और इसके लिये बंगाल एल्युवियम एंड इरोजन ऐक्ट बना हुआ है। उसमें कुछ बदलाव हुआ है। इस जमीन कटने से १९७, १४७, १०७ और ३०२ के झगड़े चलते हैं। यह जो जमीन कट कर आती है इधर से उधर वह गांव समाज की सम्पत्ति होगी या पुराने लोगों की, जिनके खेत कट जाते हैं और जिसके लिये १०,१० साल से झगड़े चले आते हैं ?

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

किस जाति के लोग थे जो मारने आये थे और वह गांव की जमीन थी अथवा भूमिधरी की जमीन थी जिसके लिये झगड़ा हुआ ?

श्री अध्यक्ष—

गंगा प्रसाद जी अपना प्रश्न लिख कर भेज दें। मुख्य मंत्री जी उसका जवाब दे देंगे।

इसी प्रकार माधव प्रसाद त्रिपाठी जी का जो प्रश्न है यह आम प्रश्न है। आप भी उसे लिख कर भेज देंगे मुख्य मंत्री जी के पास।

श्री रामलखन शुक्ल—

व्यवस्था का प्रश्न है। जहां तक शान्ति और व्यवस्था का प्रश्न है सरकार की तरफ से उसकी पूर्ण व्यवस्था है। पूरा प्लाटून पड़ा हुआ है। पुलिस के अधिकारी आ जाते हैं मौके पर। मेरा प्रश्न यह है कि मुख्य मंत्री तकलीफों की जांच करायेंगे। करंजही गांव के लोगों ने.....

श्री अध्यक्ष—

आप भी लिख कर भेज दें। उसका जवाब दे दिया जायेगा।

(कुछ रुक कर)

अब आज के प्रश्न में ले रहा हूं।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा हजारों विद्यार्थियों का परीक्षाफल घोषित न करने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तगत वक्तव्य

शिक्षा मंत्री (श्री रामजी लाल सहायक)—

श्री दीप नारायण मणि ने ध्यान आकर्षण का प्रस्ताव रख कर अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह उल्लेख किया है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद ने इस वर्ष हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट में परीक्षा देने वाले २०,००० छात्रों का परीक्षाफल घोषित न कर उनको भविष्य शिक्षण एवं उच्च कक्षाओं में भर्ती होने से वंचित कर दिया है तथा इस कारण प्रदेश के अभिभावकों, अध्यापकों एवं छात्रों में असंतोष है।

२—यह सत्य है कि परिषद् के १९६९ के इन्टरमीडिएट तथा हाई स्कूल परीक्षा के ३०,१६८ परीक्षार्थियों का परीक्षाफल रुका हुआ है। यह परीक्षाफल अनुचित साधन का प्रयोग करने, अनुशासनहीनता एवं वास्तविक परीक्षार्थियों के स्थान पर अन्य व्यक्ति का परीक्षा

[श्री रामजीलाल सहायक]

देना गलत सचना प्रेषित करने इत्यादि कारणों से रोका गया है। जिन छात्रों का परीक्षा फल रोका गया है उनमें अधिकांश संख्या उन छात्रों की है जिनके विषय में अनुचित साधन प्रयोग करने की शिकायत है। जिन छात्रों के विरुद्ध नकल करने की शिकायत है उनकी जांच परिषद् द्वारा नियुक्त विशेष समिति से कराई जाती है तथा प्रत्येक मामले को विशेष सावधानी से सम्पूर्ण प्रक्रिया और कानूनी पहलू से निस्तारित करना आवश्यक होता है। इस जांच में आरोपित परीक्षार्थियों को भी अपनी बात कहने का पूर्ण अवसर दिया जाता है तथा सब परिस्थितियों को अच्छी प्रकार देखने भालने के पश्चात् ही इस विषय में निर्णय लिया जाता है। अतः यह स्वाभाविक ही है कि ऐसे परीक्षार्थियों का परीक्षाफल घोषित करने में कुछ समय लगता है। यह प्रयत्न किया जा रहा है कि जितनी जल्दी सम्भव हो यह जांच समाप्त कर ऐसे परीक्षार्थियों के विषय में निर्णय ले लिया जाय।

३—जिन परीक्षार्थियों का अन्य कारणों से परीक्षाफल रुका हुआ है उन परीक्षार्थियों द्वारा उन कमियों को पूर्ण करने के पश्चात् ही उनका परीक्षाफल घोषित करना सम्भव होगा। यह व्यवस्था की जा रही है कि परीक्षार्थियों द्वारा पूर्ण सूचना देने पर उनका परीक्षाफल शीघ्र घोषित कर दिया जाये।

श्री दीपनारायणमणि (जिला देवरिया)—

मंत्री जी ने तीन तरह के विद्यार्थियों को बताया। एक तो ऐसे हैं जिन्होंने अनुशासनहीनता का व्यवहार किया है, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अनुचित साधन प्रयोग किये हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने इन्परसोनिफिकेशन किया है। दूसरे इन्होंने बताया है कि जांच समिति कार्य कर रही है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इन तीन प्रकार की श्रेणियों में कितने कितने छात्र किस-किस अभियोग में अपराधी हैं और दूसरे यह कि जांच समिति के सदस्य कौन-कौन हैं?

श्री रामजीलाल सहायक—

'ए' श्रेणी में केन्द्र व्यवस्थापकों द्वारा सूचित अनुचित साधन के विषय ५,५९६, 'बी' श्रेणी में शक्ति अनुचित साधन का विषय २०,६३०, उत्तर पुस्तक गायब कर दिये जाने के विषय ८३, तथ्यों को छिपाने का विषय ५४, अनुशासनहीनता एवं वास्तविक परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य व्यक्ति का परीक्षा देना १,०४७, परीस्थिति प्रतिशत में कमी के विषय ३०, गलत श्रुतिलेखन एवं सुविधा के विषय २५, अध्याय १२, विनियम ५(११) के अन्तर्गत २६, अप्राप्त शुल्क के विषय १५८२, उन परीक्षार्थियों के विषय जिनके १९६८ के परीक्षा का परिणाम अभी तक विचारार्थ रुका होने के कारण १९६९ की परीक्षा में अस्थायी रूप से सम्मिलित होने की अनुमति दी गयी ४४, उन परीक्षार्थियों का विषय जिनका १९६९ की हाई स्कूल/इंटर परीक्षा का परीक्षाफल योग्यता सम्बन्धी प्रतिबन्ध की पूर्ति न होने के कारण रोका गया है—१०९४, उन परीक्षार्थियों की सूची जिनका हाई स्कूल इंटर परीक्षा, १९६९ का परीक्षाफल विभिन्न कारणों से रद्द कर दिया गया है —५७।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

कुछ केन्द्र ऐसे हैं जहां सारे के सारे विद्यार्थियों के परीक्षाफल रोक दिये गये हैं, जैसे रतनसिंह इन्टरमीडियेट कालेज, तो मंत्रीजी ने कहा है कि एक समिति कायम कर दी गयी है इस सब मामले को देखने के लिये। यह तो असम्भव है कि सारे के सारे विद्यार्थियों ने कसूर किया हो, लेकिन अगर वह समिति नियुक्त है और एक समय ऐसा आये जिसमें साबित हो कि ७० फीसदी विद्यार्थियों ने कुछ कसूर नहीं किया है तो क्या मंत्रीजी विचार कर रहे हैं कि इस प्रकार का कोई आदेश जारी करेंगे कि यह परीक्षा घोषित होने के बाद वे परीक्षार्थी अगली क्लास में भर्ती कर लिये जांय?

श्री रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, कोई नई समिति के गठित करने का प्रश्न नहीं है। बोर्ड की एक परीक्षा समिति है और उसकी कई उप समितियां बनी हैं। क्योंकि यह एक बहुत बड़ा मसला है सूबे भर में वह समिति अपना कार्यक्रम बनाकर जाती है और स्थल पर भी जाती है और लिखित बयान भी लिये जाते हैं। अभ्यर्थियों से लिखित बयान भी मांगे जाते हैं। मौखिक रूप में भी छानबीन होती है। यह बहुत बड़ा काम है इसके लिये आदेश जारी कर देंगे तो यह नामुमकिन होगा। जब वह समिति तय करेगी तभी आदेश होंगे।

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे १९६८ के विद्यार्थियों का परीक्षाफल अभी तक घोषित नहीं किया गया, तो उसमें कितना समय लगेगा?

श्री रामजीलाल सहायक—

मैंने अभी निवेदन किया कि १९६८ के विद्यार्थियों का परीक्षा फल रुका हुआ है। उनके ऊपर कुछ आरोप थे वे जांच नहीं हो पाये। कुछ हाईकोर्ट चले जाते हैं, उनको इजाजत दे दी जाती है लेकिन आरोप लगे रहते हैं। जब समिति निर्णय दे देगी तभी घोषित किये जायेंगे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या मंत्री जी यह देखते हुये कि इस प्रकार की शिकायतें प्रति वर्ष होती हैं, इनके निबटारे में आम तौर पर कितना समय लगता है? दूसरा यह कि क्या विधान परिषद् के अध्यक्ष ही इस समिति के अध्यक्ष हैं?

श्री रामजीलाल सहायक—

जो समय की बात है तो इसमें एक वर्ष और दो तक लग जाते हैं (शेम शेम की आवाजें) इसकी कोई बात नहीं है क्यों कि यह बहुत बड़ा काम है। दूसरा प्रश्न है, वह सही है।

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

जिन विद्यार्थियों में गड़बड़ी है या जिन इंस्टीटयूशन्स में टीचर्स नकल के लिये जिम्मेदार हैं क्या उनके विरुद्ध मंत्री जी कोई कार्यवाही करने की सोच रहे हैं?

श्री रामजीलाल सहायक—

जो अध्यापक अनुचित साधन करने के प्रयोग में पाये जाते हैं उनके लिये पहले से ही सजा है। परीक्षार्थी को परीक्षा से छुड़ा दिया जाता है और कई साल तक डिबार कर दिया जाता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि जिनके नाम से सूचना है उनको मौका अवश्य दें।

श्री अध्यक्ष—

उनका ध्यान रखा जाता है।

श्री अनुग्रहारी पांडेय (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, १२५ विद्यार्थियों का परीक्षाफल रुका हुआ है और उन्होंने मुंसिफी में दावा दायर कर दिया है। उनका प्रवेश भी रुका है। उनके लिये तत्काल आदेश दिये जायं वरना अगर मुंसिफी से फैसला हो जायेगा तो आपकी समिति के निर्णय का क्या होगा?

श्री रामजीलाल सहायक—

माननीय, मैंने निवेदन किया समिति जब निर्णय लेगी तभी हम कुछ कर सकते हैं। ऐसी बात है तो लिखकर दें हम जल्दी जांच कराकर व्यवस्था करेंगे।

श्री सत्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करेंगे कि इसके अन्दर लगभग ३१ हजार विद्यार्थियों का भविष्य निहित है, उनमें से कुछ ऐसे केसेज हैं, जोकि व्यक्तिगत केसेज हैं और कुछ सामूहिक हैं। दो हजार विद्यार्थी या तीन हजार विद्यार्थी एक ही केन्द्र के हैं, तो क्या इस बात की सम्भावना पर विचार करेंगे कि एक ही सामूहिक केन्द्र के विद्यार्थियों को रोक दिया गया है। उनको इस कंडीशन के साथ प्रवेश की अनुमति दें दें यदि उनमें से कुछ लोग दोषी पाये जायेंगे तो उनको अगली परीक्षा में बैठने नहीं दिया जायगा। मैं यह इसलिये कह रहा हूं क्योंकि कई बार कोर्ट के अन्दर व्यक्ति जाता है तो कोर्ट यह कंडीशनल आर्डर कर देती है कि सब्जेक्ट टु फाइनल आर्डर, परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाता है। आप अगर उन लोगों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दे देते हैं, तो कुछ विद्यार्थियों को छोड़कर सब विद्यार्थी पढ़ाई शुरू कर देंगे। जो दोषी पाये जायेंगे वह रह जायेंगे बाकी लोग कोर्स पूरा कर सकेंगे। क्या माननीय मंत्री जी इसका उत्तर देने की कृपा करेंगे?

श्री रामजीलाल सहायक—

मैं समझता हूं कि इस संबंध में इस प्रकार उत्तर देना उचित नहीं होगा। वह समिति को सौंपा गया है—जब तक उसका निर्णय न हो जाय। बाकी आप लिखकर दें तो मैं दिखवा लूंगा।

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इतनी बड़ी संख्या में जो छात्रों को रोका गया है, उनकी जांच में बहुत अधिक समय लग सकता है। इसलिये कोई ऐसी प्रक्रिया बनाएंगे कि शिक्षा समिति में लगभग ५० सदस्य हैं और प्रदेश में ५० जिले हैं, एक-एक सदस्य एक-एक जिले की जांच कर लें और १५ अगस्त तक यह काम पूर्ण हो जाय।

श्री रामजीलाल सहायक—

मैं समझता हूं कि जो एक तरीका बना हुआ है, उसके मुताबिक वही समिति निर्णय ले सकती है, मैं नहीं ले सकता।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी छात्रों की संख्या को देखते हुए प्रश्न के महत्व को विशेष रूप में दृष्टि में रखकर इस बात पर विचार करेंगे कि परिषद् की सत्ता का विकेन्द्रीयकरण करके अलग-अलग खंडों में उसको बांट दिया जाय, जिससे भविष्य में इस प्रकार की कठिनाइयां उपस्थित न हों?

श्री रामजीलाल सहायक—

यह तो माननीय सदस्यों को ज्ञात होना चाहिये कि बोर्ड का विकेन्द्रीयकरण किया जा रहा है। पन्त्रों तो कोई इस पर प्रश्न था। हमारा प्रयास है कि जल्दी परीक्षा परिणाम घोषित कर दिये जायं। हमारा प्रयास है कि समिति जल्दी से काम शुरू करके, निपटा दे।

श्री राजेन्द्रकुमार शर्मा (जिला रामपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन केन्द्रों का परीक्षा फल रोक दिया गया है वहां का स्टाफ जो इग्जामिनेशन में इनविजिलेशन कर रहा था, उसके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया?

श्री रामजीलाल सहायक—

ऐसे केन्द्रों की संख्या मेरे पास अभी नहीं है, सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री डी० पी० बोरा—

क्या शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के सामने यह भी विचाराधीन है कि गांधी जन्म शताब्दी के अवसर पर जो विद्यार्थी एक विषय में फेल हुए हैं, उनको कम से कम ५ अंक देने का कोई सुझाव सरकार के सामने आया है, जैसे १९४७ में आजादी पाने के बाद सभी विद्यार्थियों को जो एक विषय में फेल थे, पास कर दिया गया था ?

श्री अध्यक्ष—

आप मेरे पास प्रस्ताव भेजिये, मैं भेज दूंगा।

श्री दीपनारायण मणि—

अध्यक्ष महोदय, विधान परिषद् के अध्यक्ष उस परीक्षा समिति के चेयरमैन हैं और इस समय वे काफी व्यस्त हैं। एजूकेशन मैनुअल की दफा ९ के अनुसार गवर्नमेन्ट को आदेश देने का अधिकार है। उसके अधीन क्या सरकार यह व्यवस्था करेगी कि उस समिति के अन्य सदस्य १५ अगस्त से पहले जांच करके परीक्षाफल घोषित कर दें ?

श्री रामजीलाल सहायक—

माननीय सदस्य तो अध्यापक रह चुके हैं और सम्भवतः उन्हें पता है कि परीक्षा समिति का अध्यक्ष कुछ नहीं करेगा। इसलिये उनकी उपस्थिति अनुपस्थिति से कुछ नहीं होगा उसमें तो सारे अन्य लोग मिलकर कार्य करेंगे।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, ३० हजार लड़कों का परीक्षाफल रोका गया है, जिसमें से २० हजार परीक्षार्थी ऐसे हैं जिनको केवल शंका के आधार पर रोका गया है। इनका परीक्षा फल आप शीघ्र जांच कर घोषित कर सकते हैं। क्या इनका परीक्षाफल सरकार तुरन्त घोषित करने की कृपा करेगी ?

श्री रामजीलाल सहायक—

शंका के आधार पर जो रोके गये हैं, उनकी भी तो इंक्वायरी होगी उनमें भी सच्चाई हो सकती है, उनमें भी दोषी हो सकते हैं।

श्री राजितराम पाण्डेय (जिला इलाहाबाद)—

आप तो गुनहगारों के साथ बेगुनाहों का भी परीक्षाफल केवल शंका के आधार पर रोके हुये हैं, क्या आप कातिल के साथ निरपराध को भी फांसी दे देंगे ? उनका परीक्षा फल आपको तुरन्त घोषित करना चाहिये।

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

जहां तक मुझे याद पड़ता है इस साल के पूर्व एक नियम यह लागू रहा करता था कि जो समय जांच और नतीजा घोषित करने में लगता है, उस अवधि को देखते हुये यह इजाजत मिल जाती थी कि प्राविजनल एडमिशन कुछ को मिल जाए। किन्तु मंत्री जी के उत्तर से ऐसा लगता है कि उस नियम को तोड़ दिया गया है, मैं यह जानना चाहता हूं कि वह नियम अब भी है या अब समाप्त कर दिया गया है ?

श्री रामजीलाल सहायक—

मुझे ऐसे किसी नियम की जानकारी नहीं है ।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि सन् १९६७ में संविद सरकार ने परीक्षार्थियों द्वारा की जाने वाली नकल को रोकने के लिये क्या कोई समिति बनाई थी ? और यदि हां तो क्या उस समिति के सुझावों को सरकार ने स्वीकार किया ? मेरा विचार है कि यदि उनको कार्यान्वित किया जाता तो इतनी नकल न होती ?

श्री रामजीलाल सहायक—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री सुधामप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

क्या कुछ परीक्षाफल इसलिये रोके गये कि परीक्षक, यानी जांचकर्ता ने संदेह प्रकट कर दिया ?

श्री रामजीलाल सहायक—

यह जो २० हजार रोके गये हैं, संशय के आधार पर यह नहीं हैं ।

श्री रामविलास (जिला आजमगढ़)—

क्या शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोई ऐसा विद्यार्थी था जिसका परीक्षा फल हाईस्कूल का रोक दिया गया था किन्तु उसने इन्टरमीडिएट परीक्षा पास कर ली है ? क्या आप इसकी जांच करेंगे कि यह कैसे हुआ यह बात बिलकुल सही है, इस बारे में मैंने एक पत्र श्री वीरेन्द्र स्वरूप जी को लिखा था, और उन्होंने इन्टरमीडिएट बोर्ड के सक्रेटरी को लिखा था ।

श्री रामजीलाल सहायक—

मेरी जानकारी में तो ऐसी कोई बात नहीं है ।

श्री दीपनारायण मणि—

पूरक परीक्षा के विषय में यह नियम है कि विद्यार्थी को इस शर्त के साथ ऊंचा दर्जा दे दिया जाता है कि यदि वह पूरक परीक्षा में पास नहीं होगा तो उसे नीचे उतार दिया जायगा, क्या मंत्री जी इस व्यवस्था को इन २० हजार विद्यार्थी के बारे में भी लागू करने की कृपा करेंगे ?

श्री रामजीलाल सहायक—

इस सुझाव पर विचार किया जायगा ।

श्री अध्यक्ष—

काफी हो गया । अब दूसरा प्रश्न (व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

केवल एक प्रश्न, श्रीमन् । क्या शिक्षा मंत्री जी इस सुझाव पर भी विचार करने के लिये तैयार हैं कि समिति को निर्देश दिया जाय कि १० या १५ दिन में वह अपना निर्णय दे दे जिससे विद्यार्थियों का भविष्य नष्ट न हो जाय ?

श्री रामजीलाल सहायक—

मैं समिति के निर्णय के लिये ऐसी व्यवस्था कर दूंगा ।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

यह जो विद्यार्थियों का वर्ष खराब हो रहा है, उसके लिये शिक्षा मंत्री जी अपने को जिम्मेदार समझते हैं या समिति को और अगर अपने को समझते हैं तो उसके लिये उचित प्राविधान क्यों नहीं करते ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने विचार करने को कह दिया है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

उच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि परीक्षकों से काम न लेना कोई दंड नहीं है। तो क्या मंत्री जी मास्टरों की इस बीमारी को दूर करने के लिये कि वह नकल कराते हैं जो मास्टर ड्यूटी पर हैं, उनको दंड देने का कोई प्राविधान अपने नियमों में करायेंगे ?

श्री रामजीलाल सहायक—

मैं माननीय सदस्य के सुझाव का स्वागत करता हूं और इसका ख्याल आगे रखकर कोई न कोई व्यवस्था होगी।

श्री अध्यक्ष—

दूसरा प्रश्न ..... (व्यवधान)

श्री चेतराम गंगवार—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जानबूझकर मंत्री जी द्वारा प्रश्नों के सही उत्तरों को टाला जा रहा है। आप समय प्रश्नों के करने का नहीं देते और यदि समय मिल भी जाता है तो संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता। इसलिये आपकी ऐसी व्यवस्था के विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री चेतराम गंगवार सदन त्याग करके चले गये।)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

प्राविजनल ऐडमिशन के सिलसिले में माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि उन्हें ऐसे नियम की जानकारी नहीं है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि क्या वे उस नियम की जानकारी करके कोई आदेश निर्गत करके इस सदन को सूचित करने की कृपा करेंगे ?

श्री रामजीलाल सहायक—

हां, इसकी जानकारी हासिल की जायगी और यदि नियम में ऐसी बात होगी तो उसके अनुसार व्यवस्था भी की जायगी।

श्री रामविलास—

यदि माननीय मंत्री जी को पता हो कि वे विद्यार्थी उत्तीर्ण हो चुके हैं तो उनके लिये कोई प्रबन्ध भविष्य में करेंगे ?

श्री रामजीलाल सहायक—

अब क्या परिस्थिति हो, उसके लिये पहले से कैसे बताया जा सकता है।

सिंथेटिक्स ऐण्ड केमिकल्स लि०, बरेली में बन्दी के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

अब सेंथेटिक्स एण्ड केमिकल्स लि०, बरेली में औद्योगिक अशान्ति के संबंध में श्री ओम प्रकाश सिंह तथा श्री रामसिंह खन्ना द्वारा दिये गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर नियोजन मंत्री का वक्तव्य होगा।

नियोजन मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

मेसर्स सेंथेटिक्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड बरेली के सेंथेटिक्स एण्ड केमिकल्स कर्मचारी यूनियन ने दिनांक २६ अप्रैल, १९६९ को कुछ मांगों के सम्बन्ध में हड़ताल करने की नोटिस दी थी, परन्तु ८ मई, १९६९ को एक समझौता हो गया जिसके कारण हड़ताल नहीं हुई। समझौते के अनुसार यूनियन ने यह स्वीकार कर लिया था कि श्री पी० सी० झिंगन जो कि उपरोक्त यूनियन के सेक्रेटरी हैं, को बरेली के बाहर उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थान पर स्थानान्तरित किया जाय। उस समझौते पर श्री झिंगन के भी हस्ताक्षर थे। सेवायोजकों ने जब श्री झिंगन को गोरखपुर भेजने के आदेश दिये तो उन्होंने वहां जाने से इन्कार किया और कहा कि उनका तबादला न किया जाय। सेवायोजक इस बात को तैयार नहीं हुए जिसके फलस्वरूप श्री झिंगन ने १ जुलाई, १९६९ से भूख हड़ताल शुरू कर दी। इसके बाद ७ जुलाई, १९६९ से उपरोक्त प्रतिष्ठान के श्रमिकों ने भी क्रमशः पारी पारी से भूख हड़ताल शुरू कर दी। प्राप्त सूचना के अनुसार तत्पश्चात् श्रीमती झिंगन ने आसपास के गांवों की कुछ महिलाओं को भी इस आन्दोलन में सम्मिलित कर लिया एवं सेवायोजकों ने नोटिस लगा दी कि यदि भूख हड़ताल चलती रही तो उन्हें स्थायी आदेश के अन्तर्गत बिना वेतन की बैठकी करनी पड़ेगी। इसी बीच यह भी बतलाया जाता है कि श्री झिंगन के साथियों द्वारा कर्मचारियों को फैक्टरी के अन्दर जाने से रोकने की भी चेष्टा की गयी, जिससे कि तनावपूर्ण वातावरण बन गया। सेंथेटिक्स एण्ड केमिकल्स फैक्टरी में उत्पादन हेतु जिन वस्तुओं का प्रयोग होता है उनमें कुछ वस्तुयें अत्यन्त विस्फोटक हैं। श्री झिंगन और उनके साथियों के इस रवैये से सेवायोजकों ने यह भय व्यक्तकिया कि फैक्टरी में इन कर्मचारियों द्वारा किसी प्रकार की ऐसी घातक कार्यवाही न की जाय जिससे कि इस फैक्टरी को ही नहीं बल्कि आसपास से समस्त इलाके में भारी जान-माल की हानि होने की संभावना हो जाय। १० जुलाई, १९६९ की रात की पाली के सभी श्रमिकों द्वारा पूरी हड़ताल करने के कारण सेवायोजकों ने ११ जुलाई, १९६९ से लगभग १,१०० श्रमिकों को बैठकी पर भेज दिया। ११ जुलाई, १९६९ की सायंकाल पुलिस ने शान्ति तथा व्यवस्था अधिक न बिगड़न बन क लिये इंडियन पैनल कोड की धारा ३०९ तथा क्रिमिनल ला एमेन्डमेंट ऐक्ट की धारा ७ के अन्तर्गत श्री झिंगन तथा उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। श्री झिंगन १६ जुलाई, १९६९ की शाम को तथा श्रीमती झिंगन २२ जुलाई, १९६९ को जमानत पर रिहा कर दिये गये। अपनी कार्यवाहियां जारी रखने के कारण श्री झिंगन क्रिमिनल ला एमेन्डमेंट ऐक्ट की धारा ७ के अन्तर्गत २१ जुलाई, १९६९ को पुनः गिरफ्तार कर लिये गये तथा २६ जुलाई, १९६९ को फिर जमानत पर रिहा कर दिये गये। यह भी सूचना मिली है कि जो श्रमिक कार्य पर मोटरों या बसों पर फैक्टरी में जाते उन्हें रास्ते में प्रदर्शनकारियों द्वारा अब भी रोका जाता है। बसों को रोकने के आरोप में लगभग ७ अन्य व्यक्तियों के गिरफ्तार किये जाने की सूचना मिली है।

श्रम विभाग द्वारा बराबर समझौता कराने का प्रयास किया जा रहा है। सेवायोजक किसी भी हालत में श्री झिंगन को बरेली में रखने को तैयार नहीं हैं। दूसरी ओर श्री झिंगन और उनके साथियों ने पहली शर्त यह लगा रक्खी है कि उन्हें बरेली में ही रखा जाये।

श्री गोविन्दसिंह (जिला टेहरी गढ़वाल)—

क्या यह मंत्री जी को सूचना है कि श्रीमती झिंगन जिस समय गिरफ्तार की गईं जब कि वह मूलहड़ताल करने वाले श्रीझिंगन की तीमारदारी कर रही थीं और क्या यह भी सच है कि श्रीमती झिंगन के पास १० मास का दूध पीता बच्चा था जब उनको जेल भेजा गया और उस बच्चे को उन्होंने जेल में नहीं जाने दिया ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मुझे ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री ओमप्रकाशसिंह (जिला बरेली)—

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि १८ मई, १९६९ को जो समझौता हुआ था, उसमें जब उनसे पूछा गया कि तुम कौनसा प्रिफरेंस का ट्रांसफर चाहते हो तो उनसे यह तय हुआ था कि उनको कानपुर ट्रांसफर किया जायगा ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, जहां तक एग्रीमेंट का सवाल है उसमें किसी समझौते होने का उल्लेख नहीं है ।

श्री ओमप्रकाशसिंह—

जो समझौता हुआ था, उसमें प्रिफरेंस मांगी गई थी और उसमें कानपुर लिखा गया था यह आप दोबारा जानकारी कर सकते हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि श्रमिकों की और मांगें क्या हैं जिस पर इतनी बड़ी हड़ताल चल रही है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जहां तक प्रिफरेंस की बात आई, ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है ।

दूसरी जो उनकी मांग थी वह बोनस या एलाउन्स वगैरह के बारे में थी । इसी प्रकार की अन्य मांगें भी थीं और उन सभी पर समझौता हुआ है लेकिन उनके कार्यान्वित होने का प्रश्न ही नहीं आया क्योंकि पहले यह विवाद खड़ा हो गया कि झिंगरन साहब को जाना है या नहीं जाना है ।

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि लेबर कमिश्नर को प्रबन्धकों ने आश्वासन दिया था कि श्री झिंगरन का तबादला केवल कानपुर को ही होगा ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

माननीय सदस्य मुझे क्षमा करें, मुझे ऐसी कोई सूचना नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—

अगर आपके पास कोई सूचना हो तो लिखित माननीय मंत्री जी के पास भेज दें । एक ही चीज को बार-बार पूछने से क्या लाभ है ?

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

जो एग्रीमेंट श्रमिकों और मालिकों के बीच हुआ है क्या उसका रजिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के अन्तर्गत हुआ है ? यदि हां, तो उनको सदन के पटल पर लाया जायगा ताकि मालूम हो जाय कि झिंगरन के तबादला होने की बात दोनों पक्षों ने स्वीकार कर ली थी या नहीं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

ऐग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के अन्तर्गत हो चुका है। जहां तक उसके सदन के पटल पर रखने का प्रश्न है, अगर माननीय सदस्य देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या माननीय मंत्री जी, सिंथेटिक्स ऐंड केमिकल्स लिमिटेड, बरेली के सेवारत कर्मचारियों और मिल मालिकों के बीच इस तरह का कोई प्राविधान है कि उनका एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रांसफर किया जा सके ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जहां तक मुझे ज्ञात है, इस तरह की फैक्टरी भारत में दूसरी जगह है या नहीं, नहीं कह सकता लेकिन जब ट्रांसफर के लिये दोनों पक्ष राजी हो गये तो जरूर इस प्रकार की कोई न कोई व्यवस्था होगी ?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिये मैं चाहता हूं कि इसके लिये सदन का समय कुछ बढ़ा दिया जाय।

श्री रामसिंह खन्ना (जिला बरेली)—

माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में यह कहा है कि झिंगरन और उनके साथियों ने कर्मचारियों को फैक्टरी में जाने से रोका, और दूसरी ओर आगे उन्होंने कहा कि हाई एक्सप्लोसिव प्रोडक्ट की वजह से उनके अन्दर जाने से खतरा पैदा हो सकता है, तो इन दोनों बातों में कौन सी बात सही है जिससे लेबरर को अन्दर नहीं जाने दिया जाता ?

दूसरी बात यह कि क्या यह सही नहीं है कि प्ले आफ का हुक्म दिया जा चुका है और हड़ताल की नोटिस भी नहीं दी गयी, तो यह कहां तक सही है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं माननीय सदस्य से सादर यह निवेदन करना चाहता हूं कि दोनों वक्तव्यों में कोई विरोधाभास नहीं है क्योंकि फैक्टरी के अन्दर विस्फोटक पदार्थ होते हैं और मालिकों को सन्देह है कि लेबरर अन्दर जाकर विस्फोट करा सकते हैं। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि उन्होंने श्रमिकों को अन्दर जाने से रोका, सेवायोजकों का कहना है कि उन्होंने भूख हड़ताल की नोटिस देकर बाधा डाली है जिससे मिल मालिकों को यह एक्शन लेना पड़ा।

श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बरेली)

यह जो वहां पर भूख हड़ताल चल रही है, क्या यह नियमों के अनुसार है? क्योंकि प्लेग्राफ के अन्तर्गत कुछ नियम हैं?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जहां तक मेरी सूचना है बैठक के पहले उन लोगों ने सूचना दे दी थी कि हम बैठकी करेंगे।

एक सदस्य—

नोटिस कब दिया गया लाक आऊट के लिये?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

लाक आऊट की सूचना नहीं है, बैठकी की है।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। साढ़े ५ हो चुके हैं?

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं, कल साढ़े १० बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन के साढ़े १० बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
२८ जुलाई, १९६९।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८६ पर)

यू० पी० जनरल मर्चेन्ट्स फेडरेशन, अमीनाबाद पार्क, लखनऊ के दिनांक १९ मार्च, १९६९ के प्रत्यावेदन की प्रतिलिपि

(१) बिक्रीकर अधिकारियों द्वारा बिना किसी प्रमाणित आधार के प्रस्तुत हिसाब-किताब को केवल अनुमान पर अस्वीकृत करके देय कर में वृद्धि नहीं की जानी चाहिये।

(२) एक वर्ष की सर्वे रिपोर्ट से आगे पीछे के वर्षों के फैसले प्रभावित नहीं होने चाहिये।

(३) अपीलों की सुनवाई में जहां स्वीकृत देय बिक्रीकर में २५ प्रतिशत से अधिक बढ़ोत्तरी कर दी गई हो सहायक आयुक्त (न्याय) द्वारा प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

(४) न्याय विभाग के ही न्याय अधिकारी हों और उन पर 'आयुक्त बिक्रीकर' का बिलकुल ही अनुशासन न हो।

(५) उपायुक्त बिक्रीकर (अनुसंधान) को व्यापारियों के साथ-साथ भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ भी जांच करने का सीधा अधिकार हो।

(६) वस्तुओं पर 'उत्पादन अथवा प्रथम आयातकर्ता' द्वारा देय केवल दो प्रकार की दर का 'एक स्थानीय कर' हो जो साथ में लगे प्रदेशों से अधिक न हो।

(७) मूल्यों की स्थिरता, भ्रष्टाचार एवं कर वंचना के उन्मूलन तथा हिसाब-किताब रखने में सुविधा हेतु, अविलम्ब कम से कम निम्न वस्तुओं पर ६ प्रतिशत अथवा दिल्ली के समान उत्पादन अथवा प्रथम आयातकर्ता द्वारा देय एक स्थानीय बिक्री कर की एक ही दर हो:—

(१) टायलेट कास्मेटिक, (२) हेयर आयल, (३) टायलेट साबुन, (४) सेन्ट परफ्यूम, (५) टूथपाउडर व पेस्ट, (६) टार्च सेल, बल्ब, (७) क्राकरी, ग्लास वेयर, इनामिलवेयर, (८) बिजली का सामान, (९) गैस स्टोव, लालटेन व इनके हिस्से, (१०) बूट पालिश, ताले, कैंची व कटलरी। दूध का सामान, मक्खन बिस्कुट, शहद, प्राविजन, काफी, चाय, सिरप, क्वेश तरकारी, खुराकी फल, कन्फेक्शनरी इत्यादि के बन्द डिब्बे, बोतल व टीन।

ह० जगत बिहारी लाल गुप्ता

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं० १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०१ पर)

उत्तर प्रदेश राजकीय लाटरी नियमावली, १९६९

उत्तर प्रदेश राज्य लाटरी नियमावली, १९६९

(इसके नियम २५ को छोड़कर, जो पहले ही घोषित राज्य लाटरी के द्वितीय ड्रा की समाप्ति के बाद अतिक्रमित रहेगा) का अतिक्रमण करके, जो विज्ञप्ति संख्या एल–२/१९६८, दिनांक ५ दिसम्बर, १९६८ की विज्ञप्ति के साथ प्रकाशित है और असाधारण उत्तर प्रदेश राजकीय गजट, दिनांक ५ दिसम्बर, १९६८ में विज्ञापित है, राज्य सरकार एतद्द्वारा राजकीय लाटरी के संचालन के लिए निम्नांकित नियमावली बनाती है :—

१—(१) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राजकीय लाटरी नियमावली, १९६९ कहलायेगी।

(२) यह नियमावली (नियम २५ को छोड़कर) सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी और नियम २५ राज्य लाटरी के तृतीय ड्रा के लिए टिकटों की बिक्री की घोषणा के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

२—(१) उत्तर प्रदेश राजकीय लाटरी योजना (जिसे आगे राजकीय लाटरी कहा गया है) उत्तर प्रदेश सरकार (जिसे आगे सरकार कहा गया है) द्वारा चलाई जायगी।

(२) राजकीय लाटरी के कार्यान्वयन के फलस्वरूप जो धनराशि एकत्र होगी उसका उपयोग ऐसे प्रयोजनों के लिये और ऐसे रीति से किया जायगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर विज्ञापित की जाय।

३—राजकीय लाटरी निदेशक, उत्तर प्रदेश (जिसे आगे निदेशक कहा गया है) जिसका मुख्यालय लखनऊ में होगा, राजकीय लाटरी को सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग, लखनऊ के सर्वोपरि नियन्त्रण के अधीन चलायेगा।

४—राजकीय लाटरियों के टिकट जिन पर सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग के चित्र हस्ताक्षर होंगे, अधीक्षक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश द्वारा सरकारी प्रेस में मुद्रित किये जायेंगे।

५—टिकट प्रतिपर्ण के साथ मुद्रित किये जायेंगे और विशिष्ट तथा अलग-अलग श्रेणियों में जारी किये जायेंगे और प्रत्येक श्रेणी में वर्णमाला क्रम का एक विशिष्ट चिन्ह होगा। सरकार प्रत्यक ड्रा के लिये बेचने के निमित्त दी जाने वाली श्रेणियों की संख्या और ऐसी प्रत्येक श्रेणी में टिकटों की संख्या निश्चित करेगी।

प्रत्येक श्रेणी के टिकट सिलसिलेवार संख्यांकित किये जायेंगे और सिलसिलेवार संख्यांकित टिकट ऐसी संख्या में पुस्तिका के रूप में जारी किये जायेंगे, जैसा कि सरकार समय-समय पर निश्चित करे।

६—राजकीय लाटरी के टिकट ऐसे अभिधान में जारी किये जायेंगे, जैसा कि सरकार किसी ड्रा के लिए टिकटों की बिक्री की घोषणा करने से पूर्व इस सम्बन्ध में विज्ञापित कर सकती है और जब तक कोई अन्य अभिधान विज्ञापित नहीं होता है, तब तक टिकट केवल एक रुपये के अभिधान में ही जारी किये जायेंगे।

७—किसी ड्रा के इनामों की संख्या और उनका मूल्य वही होगा जो सरकार द्वारा विज्ञापित किया जाय और जिसका व्यापक प्रचार किया जायगा।

८—कोई व्यक्ति जितने टिकट चाहे खरीद सकता है, किन्तु १६ वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को कोई टिकट नहीं बेचा जायगा। फिर भी, १६ वर्ष से कम आयु के व्यक्ति की ओर से उसके अभिभावक या माता-पिता द्वारा टिकट खरीदे जा सकते हैं।

९—कोई टिकट किसी ड्रा में एक से अधिक इनाम पाने का हकदार नहीं होगा। किसी खास टिकट पर एक से अधिक इनाम निकलने की दशा में टिकटधारी व्यक्ति उस टिकट पर केवल सबसे अधिक मूल्य के एक इनाम का हकदार होगा।

१०—सरकार इनामी धन के भुगतान की गारंटी देती है।

११—लाटरी के टिकट सामान्यतया इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये जाने वाले प्राधिकृत एजेंटों के माध्यम से बिक्री के लिये उपलब्ध कराये जायेंगे। निदेशक अन्य रीति से जो वह आवश्यक समझें व्यक्तियों के या जनता के हाथ टिकट बेचने का प्रबन्ध कर सकता है।

१२—जिला मैजिस्ट्रेट को अपने जिले के भीतर और निदेशक को उत्तर प्रदेश के बाहर ऐसे राज्य और क्षेत्र के संबंध में जिनके साथ उत्तर प्रदेश का ऐसा पारस्परिक प्रबन्ध हो, किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था को एजेन्ट नियुक्त करने का अधिकार होगा जो उत्तर प्रदेश लाटरी प्रपत्र—१ में ऐसी एजेन्सी के लिये आवेदन-पत्र दे। यथास्थिति जिला मैजिस्ट्रेट या निदेशक का निर्णय अन्तिम होगा और एजेन्ट नियुक्त करने या आवेदन-पत्र अस्वीकार करने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील स्वीकार नहीं की जायगी। जिला मैजिस्ट्रेट या निदेशक द्वारा उत्तर प्रदेश लाटरी प्रपत्र—२ में एजेन्ट को नियुक्ति-पत्र जारी किया जायगा, जिसकी एक प्रतिलिपि ऐसे कोषागार या उप-कोषागार को भेजी जायगी, जिससे ऐसे एजेन्ट को सम्बद्ध किया गया हो। किसी एजेन्ट की नियुक्ति का कार्यकाल यथास्थिति, जिला मैजिस्ट्रेट या निदेशक द्वारा बढ़ाये अथवा नवीकृत न किये जाने की दशा में ड्रा के पश्चात् समाप्त हो जायगा। कोई भी सरकारी कर्मचारी एजेन्ट नियुक्त होने का पात्र न होगा।

१३—प्रत्येक जिला मैजिस्ट्रेट तथा निदेशक एक रजिस्टर रखेगा जिसमें उसके द्वारा नियुक्त एजेन्टों के नाम, उनके पते, एजेंसी संख्या और वह कोषागार या उप-कोषागार लिखे जायेंगे जिससे वे सम्बद्ध किये गये हों।

१४—एजेन्टों को लाटरी के टिकट नियुक्ति पत्र में उल्लिखित कोषागार या उप-कोषागार से, टिकटों पर, यथास्थिति, कोषागार या उप-कोषागार के नाम की अथवा निदेशालय की रबड़ की मुहर लगाने के पश्चात् कमीशन कम करके कुल कीमत के भुगतान करने पर जारी किये जायंगे। कोषागार, उप-कोषागार या निदेशालय, यथास्थिति उत्तर प्रदेश लाटरी प्रपत्र—३ में एक हस्ताक्षरित वाउचर भी जारी करेगा जिसमें प्रत्येक अवसर पर प्रत्येक एजेन्ट को बेची गई टिकट पुस्तिका के ब्योरे उसका नाम और एजेन्सी संख्या दी होगी तथा वह उसकी एक रसीद लेगा।

१५—उत्तर प्रदेश के एजेंटों को प्रत्येक बार अपने लिये टिकट जारी कराने के पूर्व कोषागार या उप-कोषागार में सत्यापन के लिये अपना नियुक्ति-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

१६—उत्तर प्रदेश के बाहर के एजेन्टों को लाटरी के टिकट (पुस्तिकाओं में) निदेशक द्वारा उनकी कीमत कमीशन कम करके नकदी में या मनीआर्डर द्वारा अथवा पोस्टल आर्डर या बैंक ड्राफ्ट द्वारा प्राप्त हो जाने के पश्चात् उत्तर प्रदेश लाटरी प्रपत्र—३ में, जिसके साथ एक वाउचर होगा, जारी किये जायेंगे। निदेशक यह सुनिश्चित कर लेगा कि उस राज्य या क्षेत्र के साथ, जहां एजेंट कार्य करेगा, तत्संबन्धी पारस्परिक प्रबन्ध हो। मार्ग में खोयी हुई टिकट पुस्तिकाओं के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायगा।

१७—टिकट पुस्तिकायें पूर्ण पुस्तिकाओं के रूप में केवल एजेन्टों को बेची जायेंगी। बेची गयी टिकट पुस्तिकायें वापिस नहीं ली जायेंगी।

१८—(१) सरकार एजेन्टों को प्रत्येक ड्रा के पूर्व सरकार द्वारा विज्ञापित और निर्धारित दरों पर कमीशन देगी। किसी ड्रा के टिकटों की बिक्री की घोषणा के बाद उस ड्रा के सम्बन्ध में दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा। सरकार समय-समय पर वह रीति निश्चित करेगी, जिसके अनुसार कमीशन, इनाम, आदि दिये जायेंगे या वे समायोजित किये जायेंगे।

(२) किसी टिकट के सम्बन्ध में जीतने वाले को देय १,००० रुपये और उससे अधिक के प्रत्येक इनाम में से, इनामी मूल्य के ५ प्रतिशत के बराबर धनराशि काट ली जायेगी और उसे ऐसे एजेन्ट को जिसने वह टिकट बेचा हो, बोनस के रूप में दे दिया जायेगा।

१९—बोनस के लिये हकदार कोई एजेन्ट सरकारी गजट में ड्रा के परिणाम विज्ञापित किये जाने के दिनांक से ३० दिन के भीतर उत्तर प्रदेश लाटरी प्रपत्र—४ में आवेदन-पत्र देकर बोनस का दावा कर सकता है। अपने आवेदन-पत्र के साथ वह टिकटों की बिक्री के समय कोषागार/उप-कोषागार या निदेशक द्वारा जारी किये गये संगत वाउचर को और प्रतिपर्ण को इस बात के प्रमाणस्वरूप संलग्न करेगा कि इनाम जीतने वाले टिकट की टिकट पुस्तिका वास्तव में उसे जारी की गयी थी।

२०—यथास्थिति जिला मैजिस्ट्रेट या निदेशक को अपने द्वारा नियुक्त किये गये किसी एजेन्ट की नियुक्ति खत्म कर देने अथवा उसकी जमा प्रतिभूति को, यदि कोई हो, जब्त करने का अधिकार होगा, यदि उन्हें एजेन्ट द्वारा अपने कृत्यों के सम्पादन में कोई अनियमितता मालूम पड़े।

२१—कोषागारों/उप-कोषागारों में बच रहे बिना बिके टिकट (पूर्ण पुस्तिकाओं में) बिक्री बन्द हो जाने के पश्चात्, यथाशक्ति शीघ्र किसी मैजिस्ट्रेट या जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिनियुक्त किसी अन्य अधिकारी की उपस्थिति में नष्ट कर दिये जायंगे। जिला मैजिस्ट्रेट ऐसे टिकटों के (पूर्ण पुस्तिकाओं में) ब्यौरे और उन्हें नष्ट करने का एक प्रमाण-पत्र निदेशक को लाटरी निकालने के दिनांक के पहले ऐसे दिनांक के पूर्व, जो तदर्थ निश्चित किया जाये, भेज देगा और उसकी एक प्रति अभिलेख के लिये रख लेगा। निदेशक के पास बच रहे बिना बिक्री टिकट पुस्तिकायें उनके निदेश में नष्ट किये जायेंगे।

२२—प्रत्येक ड्रा के सम्बन्ध में, निदेशक निम्नलिखित दिनांक विज्ञापित करेगा, अर्थात्—

(क) टिकटों की बिक्री प्रारम्भ होने का दिनांक,

(ख) कोषागारों/उप-कोषागारों द्वारा बिक्री बन्द करने का दिनांक, और

(ग) ड्रा का दिनांक।

२३—लाटरी निकाले जाने के समय और स्थान का प्रचार किया जायेगा और लाटरी के टिकटों पर अन्य बातों के साथ-साथ लाटरी निकालने का दिनांक, इनामों की संख्या तथा उनके मूल्य भी दिये जायेंगे।

२४—लाटरी निकालने के पर्यवेक्षण के लिये एक अध्यक्ष सहित ऐसे सात व्यक्तियों की उपस्थिति में जो सरकार द्वारा निर्णायक नियुक्त किये जायेंगे, लाटरी निकाली जायेगी। किन्हीं भी तीन निर्णायकों की उपस्थिति से गणपूर्ति होगी।

२५—(१) ड्रा नीचे उप-पैरा (३) और (४) में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार रोटेटिंग ड्रमों या ड्रा मशीन द्वारा किया जायगा, जब तक कि राज्य सरकार किसी ड्रा के लिए टिकटों की बिक्री प्रारम्भ होने के पूर्व विज्ञप्ति द्वारा यह आदेश न दे कि ड्रा किसी अन्य उपाय, यांत्रिक, विद्युतीय या शारीरिक श्रम द्वारा किया जायगा।

(२) ड्रा प्रारम्भ होने से पूर्व निदेशक निर्णायकों को एक सूची प्रस्तुत करेगा जिसमें बच गये टिकटों की विभिन्न श्रेणियों की अक्षर संख्या (Notations) दी होंगी और प्रत्येक श्रेणी में जारी किये गये टिकटों की संख्या की सूची भी प्रस्तुत करेगा जिसके साथ बिना बिके और जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा नष्ट कर दिये गये तथा सूचित किये गये टिकटों की सूची भी संलग्न की जायेगी। निदेशक के पास बिना बिके बच रहे तथा नष्ट किये गए टिकटों की एक सूची भी प्रस्तुत की जायेगी।

(३) ड्रम की प्रक्रिया—किसी ऐसे प्रमुख स्थान पर, जहां लाटरी निकाली जानी हो, सात ड्रम होंगे। ड्रमों पर निम्नलिखित लेबिल लगे होंगे :—

१	२	३	४	५	६	७
श्रेणी की अक्षर संख्या	लाख	दस हजार	हजार	सैकड़ा	दहाई	इकाई

पहले ड्रम में उतने चक्के (डिस्क) होंगे जितनी विभिन्न श्रेणियों की अक्षर संख्या हो, प्रत्येक चक्के पर एक अक्षर चिन्ह होगा। शेष पांच ड्रमों में (संख्या २ से ७ तक) १० चक्के होंगे और प्रत्येक पर ० तथा १ से ९ तक के अंक (डिजिट) बने होंगे। परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि नियम ५ के अधीन जारी किये गये टिकट किसी ड्रम के संबंध में समस्त १० अंकों तक नहीं बढ़ जाते हैं, तो ऐसे ड्रम में स्थित चक्के केवल उन अंकों तक सीमित रखे जायेंगे, जिन अंकों में टिकट जारी किये गये हों। लाटरी, पहला इनाम जीतने वाली संख्या निकलने के साथ शुरू होगी। निर्णायक अपना यह समाधान कर लेंगे कि लाटरी शुरू होने के पूर्व और कोई अक्षर या संख्या बाहर निकाले जाने के पूर्व सभी चक्के ड्रम में रख दिये गये हैं। तत्पश्चात् ड्रमों को निर्णायकों द्वारा यथाविधि अनुमोदित व्यक्तियों द्वारा घुमाया जायेगा और कुछ समय पश्चात् निर्णायकों के निदेश पर रोक दिया जायगा। तत्पश्चात् प्रत्येक ड्रम, उन पर दी गयी संख्याओं के क्रम में खोला जायेगा और निर्णायकों द्वारा अनुमोदित व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक ड्रम में से एक चक्का निकाला जायगा। निर्णायक, संख्या १ से ७ तक के ड्रमों में से प्राप्त श्रेणियों की अक्षर संख्या तथा अंकों को उसी क्रम में मिला कर बनने वाली संख्या की घोषणा करेंगे। प्रत्येक श्रेणी के सभी शेष इनामों को निकालने के लिये यही प्रक्रिया अपनाई जायगी। इनामी संख्यायें, एक के बाद एक करके बनाई जायगी और अध्यक्ष द्वारा संख्या पढ़ी जायेगी और तत्पश्चात् उसकी घोषणा की जायगी। यदि निर्णायक, लाटरी के परिणाम को शीघ्र निकालने के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक समझें, तो वे प्रत्येक ५०० रुपये या उससे कम मूल्य के इनामों को निकालने के लिये ७ ड्रमों के अतिरिक्त सेट का प्रयोग कर सकते हैं और ऐसी दशा में लाटरी के इनाम की संख्या निकालने के लिये अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के प्रथम सेट के लिये लागू प्रक्रिया ही होगी।

(४) ड्रम मशीन की प्रक्रिया—विकल्प में, यदि निर्णायक शीघ्र ड्रा करने के हित में चाहें तो वे सात वृत्ताकार चक्के वाले ड्रा मशीन का उपयोग कर सकते हैं, जिसे चक्र की क्रम-व्यवस्था द्वारा एक साथ घुमाया जा सकता है। चक्कों पर निम्नलिखित लेबिल लगे होंगे।

१	२	३	४	५	६	७
श्रेणी की अक्षर संख्या	लाख	दस हजार	हजार	सैकड़ा	दहाई	इकाई

चक्के व्यासार्ध खण्डों में विभाजित किये जायेंगे।

प्रथम चक्के के खण्ड पर विभिन्न श्रेणियों को व्यक्त करने के लिये अक्षरानुक्रम के अनुसार चिन्ह अंकित किये जायेंगे। अन्य चक्कों पर दस खण्ड होंगे और ० और १ से ९ तक के अंक व्यक्त करने के लिये उन पर चिन्ह अंकित किये जायेंगे। उस खण्ड को व्यक्त करने के लिये प्रत्येक चक्के के समीप नियत सूचक होंगे, जिससे अक्षर संख्या या अंक पढ़े जा सकते हैं।

जीतने वाली संख्या को निकालने के लिये चक्के निर्णायकों के निदेश से घुमायें जायेंगे और उन्हें अपने आप रुक जाने के लिये छोड़ दिया जायगा। जब चक्के रुक जायें और वे अंक जो चक्के पर सूचकों द्वारा सूचित किये जायें और चक्के पर दी गई संख्या से उच्चतर क्रम के अनुसार पढ़े जायें जीतने वाली संख्या मानी जायगी।

(५) इनामों की पहली चार श्रेणियों में से किसी के लिये निकाली गई संख्या किसी बिना बिके टिकट की होती है (अर्थात् वे टिकट, जो एजेन्टों को नहीं जारी किये गये हों, अथवा वे टिकट जो नियम ११ के अधीन बेचे नहीं गये हों), तो यह प्रक्रिया बार-बार दुहराई जायगी, जब तक कोई बेचा गया टिकट नहीं निकलता है, परन्तु इनामों की अन्य श्रेणियों की दशा में, बिना बिके हुये टिकट की संख्या पर इनाम यदि निकल आये तो इनाम सरकार रख लेगी।

२६—ज्योंही कोई खास संख्या निकले और घोषित कर दी जाये, वैसे ही इसे निदेशक की वैयक्तिक अभिरक्षण में रखने के लिये रजिस्टर में दर्ज करके दे दिया जायगा। निर्णायक अध्यक्ष भी अपने

द्वारा रखे जाने वाले एक रजिस्टर में, स्वयं अपने हाथ से ऐसी संख्या को दर्ज करेगा। लाटरी निकालने का कार्य पूरा हो जाने पर उपस्थित निर्णायकों को इन दोनों रजिस्टरों पर हस्ताक्षर करने होंगे।

२७—इनाम जीतने वाले द्वारा इनाम जीतने वाला टिकट लौटाने पर और इनाम की धनराशि प्राप्त करने के बदले में एक स्टाम्प लगी रसीद प्रस्तुत करने पर निदेशक इनाम की धनराशि का भुगतान करेंगे।

२८—नगर के बाहर के इनाम जीतने वाले निदेशक के पास रजिस्टर्ड डाक द्वारा इनाम जीतने वाला टिकट और स्टाम्प लगी रसीद भेज सकते हैं, जिसमें यह सूचित किया जाय कि वे अपने इनाम की धनराशि बैंक ड्राट, पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर द्वारा भेजा जाना पसन्द करते हैं, जिसका व्यय इनाम जीतने वाले को वहन करना पड़ेगा। मार्ग में टिकट आदि के खोने के संबंध में कोई दावा ग्रहण नहीं किया जायगा।

२९—इनाम जीतने वाले व्यक्ति सरकारी गजट के परिणाम के प्रकाशित होने के दिनांक से ३० दिन के भीतर इनाम की धनराशि की मांग करेंगे। इस अवधि के भीतर मांग न की गई इनाम या बोनस की धनराशि व्यपगत हो जायेगी और स्वतः ही सरकार के प्रति जब्त हो जायेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि सरकार सरकारी गजट में परिणाम के प्रकाशित होने के दिनांक से ३० दिन के भीतर तदर्थ आवेदन-पत्र दिये जाने पर इनाम की धनराशि या बोनस देने का प्राधिकार दे सकती है, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि, यथास्थिति इनाम जीतने वाला या एजेण्ट पर्याप्त कारणों से सरकारी गजट में परिणाम के प्रकाशित होने के दिनांक से ३० दिन के भीतर धनराशि की मांग नहीं कर सका।

३०—इनाम जीतने वाली टिकट संख्याओं की सूची सरकारी गजट में विज्ञापित की जायेगी जो परिणाम की सरकारी घोषणा होगी और उसका व्यापक प्रचार भी किया जायगा।

३१—प्रत्येक लाटरी के सम्बन्ध में लेखे की परीक्षा, परीक्षक, उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा, इलाहाबाद, द्वारा की जायेगी और निदेशक उसकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट सरकार को यथासमय प्रस्तुत करेगा।

३२—लाटरी निकल जाने के पश्चात्, राजकीय लाटरी से सम्बन्धित अभिलेख तथा पत्रादि निदेशक की अभिरक्षा में रखे जायेंगे।

३३—सरकार, इस नियमावली में ऐसे परिष्कार, परिवर्धन या परिवर्तन, जो इष्टकर हों, सरकारी गजट में ऐसे परिवर्तनों को विज्ञापित करके और एजेन्टों तथा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रचार करने के पश्चात् कर सकती है। तथापि किसी लाटरी के लिये टिकटों की बिक्री शुरू करने के लिये विज्ञापित दिनांक के पश्चात् उस लाटरी के सम्बन्ध में विभिन्न इनामों की संख्या और धनराशि तथा इनामी टिकटों को निकालने से सम्बन्धित प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

३४—यदि इस नियमावली के निर्वाचन के, या किसी ऐसे अन्य विषय के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठे, जिसकी इस नियमावली में व्यवस्था न की गयी हो, तो वह विषय सरकार को निर्दिष्ट किया जायगा, जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा।

३५—राजकीय लाटरी से सम्बन्धित सभी विषयों के सम्बन्ध में विधिक क्षेत्राधिकार लखनऊ होगा।

आज्ञा से,

राम कृष्ण त्रिवेदी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग,
लखनऊ।

उत्तर प्रदेश राजकीय लाटरी नियमावली, १९६९

उ० प्र० लाटरी प्रपत्र—१

(नियम १२ देखिये)

एजेन्ट के रूप में नियुक्ति के लिये प्रार्थना-पत्र

सेवा में,

जिला अधिकारी,

जिला——————————

——————————

(उत्तर प्रदेश में एजेन्टों के लिये)

सेवा में,

निदेशक, राजकीय लाटरी,

वित्त विभाग,

उत्तर प्रदेश सरकार,

लखनऊ।

(उत्तर प्रदेश से अन्य राज्यों में एजेंटों के लिये)

महोदय,

मैं/हम (ब्योरे नीचे दिये गये हैं) उत्तर प्रदेश राजकीय लाटरी नियमावली, १९६९ के अधीन जारी की गयी उत्तर प्रदेश राजकीय लाटरी के टिकटों की बिक्री के लिये एजेन्ट के रूप में कार्य करने का/के इच्छुक हूं/हैं:—

(१) पूरा नाम——————————————

(२) पिता का नाम——————————————

(३) पेशा/वृत्ति——————————————

(४) व्यवसाय/कार्यालय का पता——————————————

——————————————

(५) घर का पता——————————————

——————————————

(६) आयु ——————————————

२—मैं/हम यह भी घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैं/हम, एजेन्ट की नियुक्ति के सम्बन्ध में समस्त नियमों तथा विनियमों, आदेशों, आदि का अनुपालन करूंगा/करेंगे।

३—एजेन्ट के रूप में चुन लिये जाने पर मैं/हम टिकटों की प्रथम खरीद के लिये आरम्भिक न्यूनतम जमराशि के रूप में .....रु० भेजने को तैयार हूं/हैं।

४—टिकटोंकी कीमत का भुगतान करने पर (कमीशन काटकर) मुझे/हमें————.. कोषागार/उपकोषागार से टिकट पुस्तिकायें जारी की जाएं।

या (उत्तर प्रदेश से बाहर के एजेन्टों की दशा में)

डाक खर्च तथा टिकटों का भुगतान करने पर (कमीशन काट कर) मुझे/हमें टिकट पुस्तिकाएं रजिस्ट्री डाक से भेज दी जाएं।

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने किसी अन्य प्राधिकारी को, राजकीय लाटरी के टिकटों की बिक्री करने की एजेन्सी के लिये, आवेदन पत्र नहीं दिया है।

मैं/हम यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपरोक्त तथ्य ठीक तथा सत्य हैं।

स्थान———————— आवेदनकर्ता/आवेदनकर्ताओं के हस्ताक्षर

दिनांक————————

टिप्पणी—दिल्ली और कलकत्ता में एजेन्सी के लिये प्रार्थी राजकीय उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प इम्पोरियम से -२७-ई, कनाट प्लेस, नई दिल्ली—१ में और १२-बी, लिन्डसे स्ट्रीट, कलकत्ता में (फोन संख्या २४२४८२ द्वारा) क्रमशः सम्पर्क करें और टिकट प्राप्त करें।

आदेश,

राजकीय लाटरी निदेशक/जिला अधिकारी

उत्तर प्रदेश राजकीय लाटरी नियमावली, १९६९

उ० प्र० लाटरी-प्रपत्र—२

(नियम १२ देखिये)

एजेन्ट के रूप में कार्य करने के लिये नियुक्ति का प्रमाण-पत्र

नियुक्ति प्रमाण-पत्र की संख्या————————दिनांक————————

एजेन्ट का नाम————————पुत्र————————

एजेन्ट का पता————————

————————

निम्नलिखित से सम्बद्धः

कोषागार/उप-कोषागार का नाम

जहां से एजेन्ट टिकट प्राप्त करेगा।

ऊपर नामित व्यक्ति————————जिसके हस्ताक्षर का नमूना नीचे संलग्न है, एतद्द्वारा जनता को उत्तर प्रदेश राजकीय लाटरी के टिकट बेचने के लिये, नियुक्त किया जाता है।

एजेन्ट के नमूने के हस्ताक्षर :

राजकीय लाटरी निदेशक/जिला अधिकारी के हस्ताक्षर

उत्तर प्रदेश राजकोय लाटरी नियमावली, १९६९

उ० प्र० लाटरी प्रपत्र—३

(नियम १६ देखिए)

कोषागार/उप-कोषागार का नाम———————————————

टिकट जारी होने का दिनांक———————————————

जारी की गयी टिकट पुस्तिकाओं की संख्या	प्रत्येक पुस्तिका में टिकटों की क्रम संख्या		
	क्रम-सं०	से	तक
	१		
	२		
	३		
	४		
	५		
	६		
	७		
	८		
	९		
	१०		

कोषागार/उप-कोषागार की सील या रबड़ की मुहर

.....

टिकट जारी करने वाले कर्मचारी का हस्ताक्षर

टिकट पुस्तिकाओं की प्राप्ति स्वीकार करने वाले एजेन्ट के हस्ताक्षर

उत्तर प्रदेश राजकीय लाटरी नियमावली, १९६९

उ० प्र० लाटरी प्रपत्र—४

(नियम १२ देखिये)

इनामी टिकटों की बिक्री पर बोनस/विशेष बोनस की मांग के लिये एजेन्ट/ विक्रेता द्वारा आवेदन-पत्र

एजेन्ट/विक्रेता का नाम————————————————दिनांक————:—.....

*नियुक्ति प्रमाण-पत्र की संख्या————————————————

कोषागार या उप-कोषागार जिससे सम्बद्ध है————————————————

टिकट पुस्तिका जिससे इनाम जीतने वाला टिकट बेचा गया————————————————

इनाम जीतने वाले टिकट की संख्या————————————————

नाम का मूल्य————————————————

क्या:

(१) सम्बद्ध टिकट पुस्तिका से सम्बन्धित वाउचर

तथा/अथवा

(२) टिकट के प्रतिपर्ण प्रमाण स्वरूप पेश किये गये हैं। यदि हां तो, उसका ब्यौरा————————————————

बोनस की मांग की धनराशि————————————————

प्रमाणित किया जाता है कि————————————————रुपये के बोनस /विशेष बोनस के लिये किया गया मेरा दावा, मेरे द्वारा बेचे गये तथा इनाम जीतने वाले ऊपर लिखित टिकट संख्या————————————————के सम्बन्ध में है।

स्थान————————————————

एजेन्ट के हस्ताक्षर तथा दिनांक

*केवल एजेन्टों के लिये:—

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०३ पर)

१५ पूर्वी जिलों में तीसरी योजना व वार्षिक योजनाओं में हुये व्यय

विकास-मद	व्यय (लाख रु० में)		
	तीसरी पंचवर्षीय योजना	१९६६—६९*	योग
१—कृषि तथा सम्बर्धन कार्यक्रम ..	३१६५.७७	४३५२.८६	७५१८.६३
२—सहकारी तथा सामुदायिक विकास ..	२०२७.५३	५३७.४५	२५६४.९८
३—सिंचाई तथा विद्युत् ..	७६२२.२५	४२६६.५६	११८८८.८१
४—ग्राम एवं लघु उद्योग ..	३२२.०८	६१.८३	३८३.९१
५—परिवहन और संचार साधन ..	६५५.५७	६०७.८१	१२६३.३८
६—समाज सेवायें ..	२६२१.२०	००२.११	३६१३.३१
७—विविध ..	८.७०	०.१३	८.८३
कुल योग ..	१६४२३.१०	१०८१८.७५	२७२४१.८५.

*इसमें १९६८–६९ के प्रत्याशित व्यय सम्मिलित हैं ।

नोट—उपरोक्त व्यय में उन परियोजनाओं पर हुआ व्यय सम्मलित नहीं है जो बहुक्षेत्रीय हैं क्योंकि उनका क्षेत्रीय वितरण संभव नहीं है ।

---

१५ पूर्वी जिलों में तीसरी पंचवर्षीय योजना व वार्षिक योजना में हुई भौतिक उपलब्धियां

मद	इकाई	तीसरी पंचवर्षीय योजना में	१९६६–६९ में उपलब्धि	योग (स्तम्भ ३+४)
१	२	३	४	५
१—कृषि उत्पादन				
(१) अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र ..	लाख हेक्टर	×	८.१८ × ×	८.१८ × ×
(२) पौधों की सुरक्षा ..		२३.१९	४७.८९	७१.०८
(३) भूमि संरक्षण ..	,,	०.८६	१.१७	२.०३
(४) चकबन्दी ..	,,	९.४७	७.५०	१६.९७

मद	इकाई	तीसरी पंचवर्षीय योजना में	××× १९६६–६९ में उपलब्धि	योग (स्तम्भ (३+४)
१	२	३	४	५
२—निजी लघु सिंचाई				
(१) सिंचन क्षमता का सृजन	लाख हैक्टर	२.६५	५.१६	७.८१
(२) पक्के कुयें ..	संख्या	९४,५३३	८७,७३४	१,८२,२६७
(३) बोरिंग ..	,,	२४,५९९	८०,५८१	१,०५,१८०
(४) पंपिंग सेट ..	,,	६,३३९	३३,१३५	३९,४७४
(५) रहट ..	,,	२४,१३१	२७,७२८	५१,८५९
(६) निजी नलकूप ..	,,	४,४७९	२२,०६४	२६,५४३
ख—राज्य लघु सिंचाई से सिंचन क्षमता का सृजन ..	लाख हेक्टर	१.५३	०.१९	२.४२
स—बड़ी व मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से सिंचन क्षमता का सृजन ..	,,	१.८१	०.४०	२.२१
३—सहकारिता				
(१) प्राथमिक सहकारी समितियां (कृषि संबंधी ऋण)				
(क)—सहकारी समितियां ..	संख्या	४,६८२	३,०६८	७,७५०
(ख)—सदस्यता ..	लाख संख्या	१७.८०	४.२५	२२.०५
(२) कृषि ऋण वितरण..	करोड़ रु०			
क—अल्प कालीन ..	,,	११.४५	३७.३८	४८.८३
ख—मध्य कालीन ..	,,	१.३१	४.४८	५.७९
××× इसमें वर्ष १९६८–६९ ..की प्रत्याशित उपलब्धियां सम्मिलित हैं।				
×यह कार्यक्रम १९६६–६७ से प्रारम्भ किया गया।				
××वर्ष १९६८–६९ में प्रत्याशित क्षेत्र।				
ग—लम्बी अवधि के ऋण को अवशेष धनराशि ..	करोड़ रु०	०.४२	१३.२३	१३.६५
(३) ग्रामीण भंडार ..	संख्या	२९७	..	२९७
(४) प्राथमिक क्रय-विक्रय समितियां ..	,,	१३	१	१४
४—विद्युत्				
कस्बे व ग्राम जिनका विद्युतीकरण किया गया ..	संख्या	१,६६३	१०८	१,७७१
५—ग्राम एवं लघु उद्योग				
ऋण एवं अनुदान का वितरण	लाख रु०	१४०.३८	३९.११	१७९.४९
६—यातायात				
(१) नई सड़कों का निर्माण	किलोमीटर	६८७	४८०	१,१६७
(२) पुरानी सड़कों का पुनरुद्धार ..	,,	५७९	२९६	८७५

मद	इकाई	तीसरी पंचवर्षीय योजना में	××× १९६६–६९ में उपलब्धि	योग स्तम्भ (३+४)
१	२	३	४	५
७—सामान्य शिक्षा				
अ—भर्ती—				
(क) कक्षा १–५ में ..	लाख सं०	..	३८.५७*	३८.५७*
(ख) कक्षा ६–८ में ..	,,	..	५.६०*	५.६०*
(ग) कक्षा ९–१२ में ..	,,	..	३.४४*	३.४४*
ब—जूनियर बेसिक स्कूल ..	संख्या	६,१९१	१३६	६,५२७
स—जूनियर हाई स्कूल	,,	९४	२६८	३६२
द—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	,,	२१७	७८	२९५
८—चिकित्सा एवं स्वास्थ्य				
(१) अस्पताल व डिस्पेन्सरी अतिरिक्त ..	,,	१३	१	१४
(२) अस्पताल व डिस्पेन्सरी में शैय्याओं की संख्या (अतिरिक्त) ..	,,	५७०	३९०	९६०
(३) क्षय चिकित्सालय (अतिरिक्त) ..	,,	१३	८	२१
(४) फाइलेरिया नियंत्रण इकाइयां ..	,,	९	..	९
(५) परिवार नियोजन क्लिनिक	,,	३०६	१६	३२२

वर्ष १९६८–६९ के अन्त में प्रत्याशित स्तर ।

*वर्ष १९६८–६९ के अन्त में प्रत्याशित स्तर ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—४५ एल०ए०—१९६९—८७० ।